राजस्थान विधान सभा

३५ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक २४ मार्च, सन १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर ६ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २१०

वर्तमान वर्ष में खोले गये वेटरनरी अस्पताल तथा डिस्पेन्सरियां

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वेटरनरी हॉस्पिटल्स व डिस्पेन्सरीज़ ५४-५५ के वर्ष के आरम्भ में थीं।

(२) ५४-५५ के वर्ष में कितने नये हॉस्पिटल्स व डिस्पेन्सरीज़ किस किस जिले में खोली गई।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)— (१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(२) १५ नई डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं। उनका विवरण इस प्रकार है:—

पावा, जिला जोधपुर।

कुचामन, जिला नागौर।

डूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

Page No.2

[श्री रामनिवास मिर्धा]

नोखा, जिला बीकानेर।

लूणकरनसर, जिला बीकानेर।

सरदारशहर, जिला चूरू।

सादुलपुर, जिला चूरू।

नोहर, जिला गंगानगर।

नाथद्वारा, जिला उदयपुर।

बेगू, जिला चित्तौड़गढ़।

सगवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

इन्द्रगढ़, जिला कोटा।

मांगरोल, जिला कोटा।

फतहपुर, जिला सीकर।

नवलगढ़, जिला सीकर।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रथम आपत्ति तो यह है, जो कि आमतौर पर रहती है कि "सूची संलग्न" कह दिया जाता है, लेकिन वह सूची मुझे नही मिली है जिसका कि खंड १ के जवाब में जिक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे बार बार निवेदन करना पड़ता है। इससे सदन का वक्त भी जाया होता है।

श्री रामनिवास मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो वह सूची सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—If it is a long list, it ought to have been delivered earlier

श्री चांदमल मेहता—जो नई डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं उनके लिए आधार क्या माना गया है?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिन इलाकों में डिस्पेन्सरीज़ नहीं थीं और जहां आवश्यकता है, पशुओं की आबादी को देखते हुए, उस हिसाब से यह डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं।

श्री चांदमल मेहता—आवश्यकता का क्राइटेरिया क्या है? क्या कुचामन में भी पशु अधिक हैं या परबतसर में।

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह माना जाय कि बिना किसी आधार पर यह डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा--बिना आधार पर नहीं खोली गई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सब सुविधाओं को देखते हुए पशुओं की आबादी के इलाके के अन्दर वहां बिल्डिंग पर्याप्त मात्रा में हैं कि नहीं, देखकर लिया जाता है। एक वजह कुचामन में खोलने की यह भी है कि वहां एक दो गोशालाएं है जिनकी देखरेख करने की जरूरत है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि न तो कोई क्राइटेरिया सरकार के समक्ष है और न यह बात है कि इतने क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या यह होगी और इतने पशु-धन वाले क्षेत्र पर इस तरह की डिस्पेन्सरियां खोली जायंगी।

श्री रामनिवास मिर्धा—इतना रिजिड काइटेरिया तो नहीं है, लेकिन सब बात को देखते हुए कोशिश यही की जाती है कि ऐसे क्षेत्रों में खोली जांय कि जहां उनकी उपयोगिता सबसे अधिक हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या भविष्य में कोई निश्चित क्राइटेरिया मुकर्रर करने के बारे में सरकार विचार रखती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जहां तक काइटेरिया का सम्बन्ध है, कम से कम तहसील हैडक्वार्टर है वहां पर ये डिस्पेन्सरियां खोली जायं, लेकिन तहसील हैड क्वार्टर ऐसी जगह हो कि जहां उनकी उपयोगिता नहीं हो तो दूसरी जगह पर खोल सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि परबतसर तहसील हैड क्वार्टर है और कुचामन तहसील हैड क्वार्टर नहीं है और परबतसर अधिक उपयुक्त स्थान होने पर भी वहां अस्पताल नहीं खोल कर कुचामन में खोला गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा— आयन्दा यहां के लिये भी ध्यान रखा जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— क्या गंगानगर जिले में नोहर के अलावा और भी कहीं ऐसी डिस्पेन्सरीज़ हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा— जी हां, भादरा में है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— क्या वहां सरकार की ओर से खुली हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— क्या सिर्फ दो अस्पताल होना गंगानगर जिले के लिये काफी समझा जा रहा है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— यह संख्या काफी नहीं है, इसलिये कोशिश की जा रही है कि जितने ज्यादा खोले जा सकें, खोले जांय।

श्री जवानसिंह— क्या पशु चिकित्सालय होने के लिये मनुष्यों की आबादी होना आवश्यक माना गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— कुछ हद तक।

श्री जवानसिंह— क्या पशु–चिकित्सालय में मनुष्यों की भी चिकित्सा होती है ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्नोन्तर २११ प्रश्नोत्तर संख्या २१२ के बाद लिया गया।

प्रश्न संख्या २१२

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री भोगीलाल पंड्या— क्या मैं इसका जवाब दे दूं ?

श्री अध्यक्ष— वे आ जाते तो ठीक रहता।

श्री भोगीलाल पंड्या— वे शायद आज नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष— अच्छा जवाब दे दीजिये।

शेरगढ़ में निम्न श्रेणी की अफीम का विक्रय एव अफीम से शासकीय आय

प्रश्न— क्या मंत्री, पृथक राजस्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे

(अ) सरकार का तहसील शेरगढ़ में बहुत ही इन्फीरियर क्वॉलिटी का अफीम भेजने का क्या प्रयोजन है ?

(आ) क्या सरकार इस अमल को हमेशा के लिए बन्द करने का कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस तारीख से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(इ) राजस्थान सरकार की अमल विक्रय से कितनी आय है ?

श्री भोगीलाल पंड्या–(अ) शेरगढ़ तहसील में वही अफीम दी जाती है जो अन्य राजस्थान के स्थानों में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से आई हुई दी जाती हैं। शेरगढ़ को कोई खास प्रकार की खराब अफीम नहीं दी जाती।

(आ) हां, ता० ३१–३–५६ से अफीम खाने के काम के लिये कतई बन्द हो जावगी।

(इ) अफीम से सन् ५३.–५४ में निम्न प्राकर आमदनी हुई :

[श्री भोगीलाल पंड्या]

१.ड्यूटी रु० ६४,०४,३३६

२.लाइसेन्स रु० १०,०७,६५८

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कमीशन वसूल होता है उससे ठेका ज्यादा होता है या कम ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ठेका कम हुआ करता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार जांच करेगी कि जो ठेका दिया जाता है वह ज्यादा होता है और कमीशन कम है, इसलिये ब्लेक होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा हुआ नहीं करता है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उसकी निश्चित रकम बतायेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अभी रकम बताई थी वह इस प्रकार है ।

१. ड्यूटी रु०.६४,०४,३३६

२. लाइसेन्स फीस रु०.१०,०७,६५८

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता का प्रश्न संख्या २११ रह गया ।

प्रश्न संख्या २११

वर्तमान वर्ष में खोले गये नये वेटरनरी अस्पताल तथा डिस्पेन्सरियां

श्री चांदमल मेहता— क्या कृषि-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ५४-५५ के वर्ष में फलों के कितने-कितने पौधे कृषि-विभाग द्वारा किस-किस जिले में वितरण किये गये ?

(२) उक्त पौधे किन शर्तों पर वितरण किये गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(१) निम्नलिखित जिलों में फलों के पौधे वितरण किये गये :—

क्रम संख्या	नाम जिला	वितरण किये गये पाधौं की संख्या
१.	जयपुर (दुर्गापुरा	१०,०५०
	उद्यान)	३,७५६

Page No.6

[श्री रामनिवास मिर्धा]

२.	अलवर	८०
३.	झालावाड़	१,०८८
४.	उदयपुर	१,६८०
५.	कोटा	१,६७४
६.	गंगानगर	१,५६६

(२) उपरोक्त पौधे नकद दामों पर वितरित किये गये थे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— गंगानगर में ये कहां तकसीम किये गये ?

श्री चांदमल मेहता— खंड २ का जवाब नहीं मिला।

श्री रामनिवास मिर्धा— मैंने बतलाया था कि किस बेसिस पर वितरित किये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता— किस बेसिस पर, मैंने सुना नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा— उनके लिये रेट निर्धारित है।

श्री चांदमल मेहता — किस हिसाब से रेट निर्धारित की जाती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— इसकी लिस्ट मेरे पास है। हर पौधे के अलग-अलग दाम हैं।

श्री चांदमल मेहता— क्या सरकार फलों के पेड़ों की वृद्धि के निमित्त मुफ्त में पौधे देने का विचार रखती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— मुफ्त में देने का विचार नहीं है क्योंकि अभी जिस तरह की कीमत से वितरित किये जाते हैं, वह बाजार भाव से बहुत कम है।

श्री चांदमल मेहता— बाजार और सरकार की कीमतों में कितना फर्क है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— काफी फर्क है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— साइटर्स प्लान्ट्स किस रेट पर दिये जाते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा— ये कई तरह के होते हैं, मसलन् लेमन, ओरेन्ज आदि और अलग अलग किस्म की अलग-अलग कीमत है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में किन लोगों को ये प्लान्ट्स दिये गये और कहां से दिये गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा— यह बताना कि किस-किस को दिये गये, बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने दिये गये उनकी संख्या बता दी गई है। यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हैं तो इसके लिये अलग प्रश्न होना चाहिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— लेकिन दिये कहां से गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा— गंगानगर से।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— कौन सी जगह से, वहां कोई नर्सरी है या होर्टिकल्चर है ?

श्री रामनिवास मिर्धा— गंगानगर फार्म के साथ नर्सरी है।

प्रश्न संख्या २१३

पुलिस विभाग में वर्तमान में वर्ष सस्पेन्डेन्ड कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता— क्या गृह-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) सन् ५४-५५ के वर्ष में राजस्थान में पुलिस विभाग में कुल कितने कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये ?

(२) उक्त व्यक्तियों में से कितने बर्खास्त कर दिये गये ?

(३) बर्खास्तशुदा व्यक्तियों में ऑफिसर्स कौन-कौन हैं ?

(४) बर्खास्तशुदा कर्मचारी अधिकतम कितने समय के लिये सस्पेन्डेड रहे ?

(५) बर्खास्तशुदा व्यक्तियों पर सस्पेन्डड पीरियड में कुल कितनी रकम तनख्वाह या एलाउन्स के रूप में खर्च हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह-मन्त्री)—(१) सन् १९५४ तथा जनवरी, १९५५ में ६७२ कर्मचारी पुलिस विभाग में सस्पेन्ड किये गये।

(२) इनमें से ९९ बर्खास्त किये गये।

(३) एक भी नहीं।

(४) बर्खास्तशुदा कर्मचारी अधिकतम १ वर्ष के लिये सस्पेन्ड रहे।

(५) बर्खास्तशुदा व्यक्तियों को सबस्टीनेन्स एलाउन्स के रूप में रु० ५,९८४।६।० खर्च हुए।

श्री चांदमल मेहता— सस्पेन्डेड कर्मचारियों को एलाउन्स किस रेट से दिया जाता है ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास— तनख्वाह का एक चौथाई हिस्सा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अधिकांश कर्मचारी निरपराध सस्पेन्ड किये गये थे?

श्री रामकिशोर व्यास— जी नहीं। उनमें से ६६ डिसमिस कर दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—६००में से सिर्फ ६६ डिसमिस हुए हैं, तो बाकी तो सभी निरपराध ही थे?

श्री रामकिशोर व्यास—कई तरह के अपराध होते हैं। इनमें से अधिकतर डिसिप्लिन के होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वे अपराधी तो थे, लेकिन बाद में सिफारिश पहुँचाते-पहुँचाते वापिस बहाल कर दिये गये?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आपका ख्याल ही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बड़ी तादाद में कर्मचारियों को सस्पेन्ड रखने से बहुत खर्चा करना पड़ता है और बाद में वे बहाल हो जाते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने आपको बतलाया था कि कुल खर्चा ५,६८४ रु० ६ आ० हुआ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इतनी बड़ी तादाद में सस्पेन्डेड कर्मचारियों को बहाल किया गया, इसमें सरकार को काफी खर्चा करना पड़ा?

श्री रामकिशोर व्यास—नियम का पालन करना ही पड़ता है।

श्री ज़वानसिंह—क्या सस्पेन्शन पीरियड में उनसे काम लिया जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार यह विचार रखती है कि जिनको लम्बे अर्से तक सस्पेन्ड रखा जाता है उनसे कुछ काम लेगी?

श्री रामकिशोर व्यास—उनसे काम लेने के लिये विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे नियम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—उनसे श्रमदान लिया जाय।

श्री ज़वानसिंह—रूल्स नहीं हैं तो क्या सरकार इस प्रकार के नये रूल्स बनायेगी?

श्री रामकिशोर व्यास—ये ऑल इण्डिया के रूल्स हैं, इनको हम नहीं बदल सकते।

Page No.9

प्रश्न संख्या २१४

सिरोही जिले के सन् १६५४ के पूर्व रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के मामलों का निर्णय

श्री जवानसिंह—क्या वित्त-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सिरोही जिले के ऐसे कितने सन् १६५४ के पूर्व के सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनके पेन्शन के केस अभी तक फाइनल न होने से पेन्शन नहीं दी जा सकती है ?

(ख) उपरोक्त अफसरों को अभी तक पेन्शन न मिलने के विशेषतः क्या कारण हैं ?

(ग) साधारणतया एक सरकारी अफसर को रिटायर्ड होने की तारीख से कितने अर्से बाद पेन्शन मिल जाया करती है ?

(घ) सन् १६५३ से पहिले के कितने पेन्शन केस सरकार के विचाराधीन हैं और इस लम्बे अर्से की देरी के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—(क) ३६ ।

(ख) जन-लेखा आयोग द्वारा उनको सेवा-काल प्रमाणित नहीं किया जा सका ।

(ग) इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी की सेवा का रेकार्ड जन-लेखा आयोग द्वारा प्रमाणित हो जाय तो उसके रिटायर होते ही पेन्शन मिल सकती हैं । रिटायर होने के पहले ही प्रार्थनापत्र देने का नियम बन गया है ।

(घ) ३८ । इसका शेष उत्तर (ग) के उत्तर में दिया गया है ।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि सिरोही के रिटायर्ड कर्मचारियों का रेकार्ड जन-लेखा आयोग के दफ्तर से चोरी चला गया है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—सिरोही में सन् ४१ से पहले पहले के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने के लिये स्लिप दे दी जाती थी और उस स्लिप को पेश करने पर तनख्वाह ले लेते थे । उसकी दोहरी पर्त नहीं रखी जाती थी और इस कारण उनका कोई रेकार्ड नहीं था । इसके बाद जब मर्जर हुआ तो सिरोही में जितने भी कागजात थे वे वहां से आ गये । अब उन्हें प्रमाणित करना ए.जी. के ऑफिस पर डिपेन्ड करता है । लेकिन क्योंकि अभी इन रूल्स में काफी ढिलाई सरकार की तरफ से दे दी गई है और अभी कम्प्ट्रोलर एन्ड ऑडिटर जनरल यहां आये थे तो उन्होंने भी इस सम्बन्ध में काफी ढिलाई कर दी है इसलिये उम्मीद है कि ये मामले जल्दी ही निपट जायेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी—यह जन-लेखा आयोग क्या है ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—ए.जी. का ऑफिस ।

श्री जवानसिंह—मैंने पूछा था कि आया जन-लेखा आयोग से फाइलें चोरी गई हैं या नहीं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—इसकी मेरे पास सूचना नहीं है। ए. जी. से पूछते तो अच्छा रहता।

श्री जवानसिंह—इतनी देरी होने का कारण नहीं बताया कि क्या कारण है कि वे अब तक फाइनल नहीं हुए ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—अभी मैंने बतलाया था कि रेकार्ड नहीं है। जो स्लिप दी जाती थी उसकी दोहरी पर्त नहीं रखी जाती थी। वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण से देरी हो रही है। वेरिफिकेशन के लिये अब नये रूल्स बनाये हैं। अभी जो नया ऑर्डर निकला है उसको यदि माननीय सदस्य पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि अब वेरिफिकेशन के लिये या तो कोई रेकार्ड हो या एविडेन्स ले ली जाय और यदि कोई भी चीज मिलती नहीं है तो रिटायर होने वाला कर्मचारी हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट के सामने एफिडेविट पेश करता है और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट उसको वेरिफाइ कर देता है तो ए.जी. उसको मान लेगा।

श्री जवानसिंह—तो क्या यह विश्वासपूर्वक माना जाय कि आने वाले दो महीनों में ये केसेज़ फाइनेलाइज़ कर दिये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—२५ रुपयों से कम तक पाने वालों के बारे में तो ऐसा माना जा सकता है, इससे ऊपर पाने वालों के बारे में कम्प्ट्रोलर व ऑडीटर जनरल से लिखा-पढ़ी चल रही है और शीघ्र ही इन मामलों को तय करने के लिए एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की जाने वाली है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१५

कृषि-विभाग द्वारा कृषि के हेतु 'न हानि, न लाभ' के आधार पर मशीनें आदि देना

श्री जवानसिंह—क्या कृषि-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या कृषि-विभाग अपनी मशीनरी खेती आदि के लिए 'नो प्रोफिट नो लोस' के आधार पर देता है ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने रूल्स कब स्वीकृत किये और कब आम सूचनार्थ प्रकाशित किये ?

(ग) उपरोक्त रूल्स क्या सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) हां।

Page No.11

[श्री रामनिवास मिर्धा]

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने दिनांक २७ दिसम्बर, १९५४ को नियम स्वीकृत किये व उनकी प्रतिलिपियां सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रत्येक जिले में सूचनार्थ भेज दी गई हैं।

(ग) इन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन के सूचनार्थ मेज पर रखी जाती है।

(नियमावली अधिक विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री जवानसिंह—क्या इन रूल्स की अवहेलना पूरी तरह से सब जिलों में नहीं हुआ करती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी सरकार के सामने नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस मामले में जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कोई शिकायत खास तौर से होगी तो जरूर जांच कराई जायगी।

प्रश्न संख्या २१६

जयपुर जिले में वर्तमान वर्ष में सस्पेन्डेड कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(१) सन् ५४-५५ के वर्ष में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने पुलिस कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये ?

(२) उक्त कर्मचारियों में से कौन-कौन बहाल किये जा चुके हैं ?

(३) जो कर्मचारी बहाल किये गये हैं उनके नाम क्या हैं ? वे कितने-कितने समय के लिये सस्पेन्ड रहे ?

(४) उक्त कर्मचारियों को सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह का कितना रुपया सरकार द्वारा दिया जा चुका है और कितने रुपयों का पेमेन्ट होना बाकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(१) सन् १९५४-५५ में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल ७० कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये।

(२) इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

(३) इसका उत्तर भाग दो में दिया जा चुका है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(४) उक्त कर्मचारियों को सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह के रूप में ३,२३६ रु० १३ आने दिये जा चुके हैं। कितने रुपयों का पेमेन्ट होना बाकी है, इसका अन्दाज अभी नहीं लगा सकते जब तक कि उनके विरुद्ध हो रही डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी पूरी न हो जाती।

प्रश्न संख्या २१७

शुगर केन की उपज बढ़ाने के लिए कृषकों को बिना मूल्य के आर्टीफीशियल मेन्योर देना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कृषि-मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार गंगानगर जिले में कमाद (शुगर केन) की पैदावार बढ़ाने के लिये पंजाब व उत्तर प्रदेश की तरह किसानों को मुफ्त मसनूई खाद (आर्टीफीशियल मेन्योर) देने के लिए तैयार है ?

(ख) यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—(क) पंजाब और उत्तर प्रदेश में केवल डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिये अमोनियम सल्फेट मुफ्त दिया जाता है और इसी तरह राजस्थान में भी डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिये यह खाद मुफ्त दिया जाता है।

(ख) (क) के जवाब देने के पश्चात् प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या ऐसा खाद गंगानगर जिले में भी इस तरह खाद डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मुफ्त में दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कितना-कितना और कहां-कहां ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आपने खास तौर से शुगर केन के लिये पूछा था, इसके लिये २०० प्लॉट बनाये गये हैं, ज्यादा प्लॉट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सरकार की तरफ से बनाये गये हैं, वहां डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मुफ्त में दिया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेकिन ऐसे तो गंगानगर में देखने में नहीं आये, इसीलिये जानना चाहता हूं कि कहां-कहां बनाये गये हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—लेकिन गंगानगर इलाके में यह तकसीम की गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—देखिये सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन कराने के लिए मुफ्त में दी जाती है, ज्यादा बड़ी तादाद में मुफ्त में नहीं दी जाती। छोटे-छोटे प्लॉट हों, वहां डिमोन्स्ट्रेशन के लिये मुफ्त में दी जाती है।

प्रश्न संख्या २१८

कृषि-मशीन खरीदने हेतु पांच हजार रुपया तकावी लोन पर सूद

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कृषि-मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

कृषि-मशीन खरीदने के लिये अगर ५,००० रु० कर्जा तकावी लिया जावे तो उस पर सारा सूद कितना लगेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि-मन्त्री)—१०५४ रु०.११ आना।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इतना ज्यादा प्रोफिट लेने के बाद भी क्या सरकार समझती है कि वह किसानों की इमदाद ..र रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह ज्यादा प्रोफिट नहीं है। १०५४ रु० ११ आना ब्याज लिया जाता है और ८ साल में रकम वसूल होती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह जो आपने बताई है वह १०५४ रुपये की रकम ठीक है या १६०० रुपये की रकम जो वसूल की जा रही है वह ठीक है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जो बताया जा रहा है वह ठीक है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—अगर कहीं ज्यादा वसूल की गई है तो क्या सरकार उसे वापिस दे देगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां, जरूर देखेंगे

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१६

वर्तमान वर्ष में भ्रष्टाचार-निरोधक विभाग पर व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट पर सन् ५४-५५ के खर्च में कितना रुपया खर्च किया गया ?

(२) सन् ५३-५४ के मुकाबिले में वह कितना अधिक है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह-मन्त्री)—(१) एन्टी करप्सन विभाग पर अप्रेल, १६५४ से जनवरी १६५५ तक ७३,३७४ रु० १४ आने ६ पाई व्यय किये गये।

(२) यह अभी नहीं कहा जा सकता, सन् १६५३-५४ में कुल ७६,४२५ रु० ३ आना ६ पाई व्यय हुए थे।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि खर्चा बढ़ा है और यह विभाग अपने काम में और अधिक असफल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैंने जैसा निवेदन किया, दोनों के फीगर्स अब तक के बता दिये हैं। असफल के बारे में कहा, वह मैं नहीं मानता। हां, यह मैं जरूर मानता हूं कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।

श्री चांदमल मेहता--जो इम्प्रूवमेंट हुई है उससे क्या सरकार सन्तुष्ट है ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैंने कहा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।

श्री चांदमल मेहता--इम्प्रूवमेंट के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास--सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है, एन्टी-करप्शन बोर्ड बनाया है।

प्रश्न संख्या २२०

नहरों पर लगे वृक्षों पर नम्बर लगाने के लिये छिलका काटना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सिचाई-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :--

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि काटने से वृक्ष कमजोर हो जाता है ? यदि हां, तो नहरों के किनारों पर जो वृक्ष लगे हुए हैं उन पर नम्बर लगाते समय उनका छिलका आदि क्यों काट दिया जाता है ?

(ख) क्या सरकार सरहन्द नहर की तरह नहरों के किनारे लगे हुए वृक्षों पर सफेदी लगा कर नम्बर लगाने के लिये तैयार है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामनिवास मिर्धा--(क) नहरों के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उन पर नम्बर लगाने के लिये थोडे से स्थान पर से जिसकी आवश्यकता सिर्फ नम्बर लगाने के लिये ही होती है, थोड़ा सा छिलका छीला जाता है ताकि नम्बर लगाया जा सके और वह काफी समय तक रह सके।

(ख) थोड़े स्थान पर से छिलका छीलने से कोई भी पेड़ कमजोर नहीं होता है।

(ग) छिलके को उतार कर कोलतार से नम्बर लगाने का तरीका सफेदी लगा कर नम्बर लगाने के तरीके से ज्यादा अच्छा है इस तरह से पेड़ों पर लगाये गये नम्बर काफी अधिक समय तक रह सकते हैं।

(घ) 'ग' के उत्तर को विचार में रखते हुए इस प्रश्न पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या २२१

राजस्थान में बोरिंग मशीनों का उपयोग

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कृषि-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार के पास कितनी बोरिंग मशीनें हैं और वे अभी कहां-कहां काम में आ रही हैं ?

(२) सरकार इनको सार्वजनिक कामों के लिये मुफ्त देती है अथवा फीस लेती है ?

(३) घरू उपयोग के लिये सरकार किस दर से फीस लेती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि-मंत्री)—(१) दो। एक मशीन सामोद जिला जयपुर और दूसरी मशीन गोहाला सीकर जिले में ट्यूब वैल बनाने का काम कर रही हैं।

(२) फीस 'नो लोस नो प्रोफिट' के आधार पर।

(३) ऊपर के आधार पर।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या 'नो प्रोफिट नो लोस' के अन्दर मशीन के काम में न आने की हालत में पड़ी रहने का खर्चा व आने-जाने का खर्चा भी शामिल है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—काम में नहीं आने की हालत में काम न करने पर खर्चा नहीं लिया जाता, ट्रान्स्पोर्ट का खर्चा लिया जाता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक कार्यों के लिये मुफ्त में दिया जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

प्रश्न संख्या २२२

राजस्थान में प्रयोगात्मक कृषि-फार्म्स

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the Minister for Agriculture be pleased to tate :—

(a) How many experimental Agricultural Farms are there in Rajasthan ?

(b) What is the yearly expenditure on each of these farms ?

(c) What profit does each of them give yearly to the Government ?

(d) How much seed is yearly distributed by different farms to the villagers ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि-मंत्री)—(अ) निम्न चार फार्मों पर खास तौर से एक्स्पेरीमेंट्स होते हैं :

(ब) १६५३—५४ / १६५४—५५

	१६५३—५४ खर्च	१६५३—५४ आय	१६५४—५५ खर्च	१६५४—५५ आय
१. गंगानगर	३१,५८१ रु०	३८,२६० रु०	४२,६१६ रु०	५४,४१६ रु०
२. मंडोर	२३,१७० रु०	७,४७६ रु०	२५,४५३ रु०	१२,२१८ रु०
३. दुर्गापुरा	२२,६३१ रु०	२०,००२ रु०	१८,६३० रु०	१८,६५६ रु०
४. बस्सी	२३,४४६ रु०	२३,४६३ रु०	२४,१०३ रु०	१८,३१४ रु०

(स) ब में दिये हुए आंकडों से स्पष्ट है।

(द)

१. रायसिंह नगर	५०० मन
२. पदमपुर	५०० मन
३. करनपुर	५०० मन
४. जैतसर	५०० मन
५. बूंदी	५० मन
६. सवाई माधोपुर	५० मन
७. पडासोली	३,००० मन
८. सादड़ी	१५० मन
९. बिलाड़ा	१५० मन
१०. दोनदी	१५० मन
११. टोंक	५० मन
१२. बांसवाड़ा	५० मन
योग	५,६५० मन

महाराज श्री केसरीसिंह—इसके घाटे का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जितने भी एक्स्पेरीमेन्टल प्रोसेस होते हैं, उसमें नफे की उम्मीद करना ठीक नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—अभी ५०० मन पदमपुर में सीड्स वितरण करने की बात आपने बताई। क्या यह वहीं से दिया गया या बाहर से मंगाया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह तो वहीं से ही दिया गया।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वहां से नहीं दिया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आपने जानकारी करा दी है, सरकार की जानकारी में नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—पदमपुर में इतना कम पैदा होता है कि हमेशा घाटा ही रहता है।

श्री रामनिवास मिर्धा—घाटे का सवाल नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि ५०० मन सीड वितरण के लिये दिया गया।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—५०० मन सीड वितरण किया गया, उसमें क्या गेहूं ही था या जौ भी थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—गेहूं और जौ थे।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार पता लगायेगी कि पदमपुर में ५०० मन गेहूं पैदा हो सकता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके लिये जांच कराई जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—कब तक कराई जावेगी ?

श्री जवानसिंह—(अश्रव्य)।

श्री रामनिवास मिर्धा—बहुत जोर से हो गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२३

म्युनिसिपल कमेटियों में कार्य करने वाले हरिजनों के लिए न्यूनतम वेतन

श्री चान्दमल मेहता—क्या श्रम-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री चांदमल मेहता]

(क) क्या म्युनिसिपल कमेटियों में काम करने वाले हरिजनों के लिये कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित है ?

(ख) यदि हां, तो कितना ?

(ग) क्या यह सही है कि किशनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजनों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त एवं श्रम-मन्त्री)—

(क) हां।

(ख) ३० रु० प्रतिमास या एक रुपया दो आने प्रतिदिन। २६ दिनों के लिये इसमें मंहगाई तथा अन्य एलाउन्स भी सम्मिलित हैं।

(ग-घ) न्यूनतम वेतन म्युनिसिपल बोर्ड किशनगढ़ में स्त्री और बच्चों को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि म्युनिसिपेलिटी की आर्थिक दशा खराब है फिर भी विभाग ने उनको लिखा है कि निर्धारित न्यूनतम वेतन लगाया जावे, जो कि उनके विचाराधीन है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या जिन म्युनिसिपेलिटियों की आर्थिक हालत खराब है, उन पर इस प्रकार का कानून लागू नहीं करने का आदेश जारी किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। चाहे आर्थिक स्थिति अच्छी हो चाहे खराब, न्यूनतम वेतन तो देना होगा।

श्री चान्दमल मेहता—फिर किशनगढ़ में न्यूनतम वेतन नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमने पहले उनको लिखा है कि वे उनकी मांगों को पूरा करें।

श्री चान्दमल मेहता—राजस्थान की सभी म्युनिसिपेलिटियों से किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी की आर्थिक स्थिति अच्छी है; फिर भी न्यूनतम वेतन हरिजनों को नहीं दिये जाते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी हमने उनसे पूछा है और उसके बाद भी अगर वे यह कहेंगे तो उसकी जांच करायेंगे और जो कुछ भी कानून के मुताबिक कार्यवाही करनी होगी, करेंगे।

प्रश्न संख्या २२४

सिंचाई विभाग की ओर से किसानों पर पिछले तीन वर्षों में तावान

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सिंचाई-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पिछले तीन साल में सिंचाई विभाग की ओर से किसानों पर तावान लगाया गया ?

(ख) क्या इससे पहले भी नहरी क्षेत्रों में किसानों पर इस तरह और इतना ज्यादा तावान लगाया जाता रहा है ?

(ग) क्या यह सच है कि नहर के छोटे कर्मचारी बेलदार आदि के द्वारा नहरें कटवा कर किसानों पर तावान वसूल किया जाता है ?

(घ) क्या यह सच है कि चक १४, एम० एल०, तहसील रायसिंहनगर, में भी ऐसी घटना हुई है ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करेगी ?

(च) यदि 'ग' व 'घ' का उत्तर 'ना' में है, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—

(क) पिछले तीन सालों में सिंचाई विभाग की ओर से किसानों पर कुल १,३६,००० रु० तावान लगाया गया।

(ख) इसके पहले भी कानून तोड़ने पर तावान लगाये जाते थे परन्तु तावान की रकम कम हुआ करती थी।

(ग) यह सत्य नहीं है

(घ) यह सत्य नहीं है।

(ङ) यह सवाल नहीं उठता।

(च) अगर इस विषय में कोई भी हस्ताक्षरित शिकायत करें तो उसकी जांच अवश्य की जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या तावान पहले नहीं लगता था ? अब ज्यादा क्यों लगता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह रकम जो ज्यादा दिखती है वह इस वजह से है कि पहले जो रकम वसूल नहीं हुई थी, वह भी वसूल की गई है। तावान तो पहले लग चुका था।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सही है कि नहर को छोटे कर्मचारियों द्वारा कटवा कर किसानों पर तावान लगाया जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह सच नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने को तैयार है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत आवेगी तो जांच कराई जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या विशेष शिकायत की जांच करावेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२५

डाकुओं द्वारा किसी व्यक्ति को राजगढ़ से उड़ा ले जाना

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या गृह-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजगढ़, जिला चूरू से किसी सूरजमल नामी मनुष्य को डाकू उठा कर ले गये ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि हजारों रुपया देकर उस मनुष्य को डाकुओं से छुड़ाया गया था ?

(ग) यदि यह सच है तो क्या सरकार को यह विदित है कि सूरजमल को किन लोगों ने छुड़ाया था ?

(घ) यदि (ख) का उत्तर ना में है तो क्या सरकार उस मामले की जांच करायेगी कि सूरजमल डाकुओं से किस प्रकार छुड़ाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह-मंत्री)—

(क) राजगढ़, जिला चुरू से सूरजभान नामक व्यक्ति का तो अपहरण अवश्य हुआ था किन्तु सूरजमल का नहीं।

(ख) सूरजभान अथवा उसके सम्बन्धियों ने अभी तक नहीं बताया है कि उन्होंने कुछ रुपया दिया और कितना दिया।

Page No.21

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) मामले की जांच हो रही है।

(घ) इसका उत्तर (ग) में दे दिया गया है।

रावत श्री शंभूसिंह—क्या डाकुओं में कोई कांग्रेसी वर्कर भी था ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई इत्तिला हमारे पास नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उनको किन लोगों के मार्फत वापिस लाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह कुछ पता नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या पुलिस इसकी जानकारी नहीं कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—कोई बताता नहीं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि पुलिस पब्लिक का विश्वास खो चुकी है, इसलिये कोई बताता नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—यह किस तरह से पता लगाया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—लोग बताते नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि इसके लिये रकम दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—न तो यह कहा जा सकता है कि यह सच है और न यह कहा जा सकता है कि यह झूठ है, क्योंकि कोई कुछ बताता नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—सरकार की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या इससे समझा जावे कि डाकुओं का डर ज्यादा है और पुलिस का इन्तजाम कम है ?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या यह सच है कि लोग सच्ची बात कहने से डरते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—बहुत से लोग सच्ची बात कहने से भी डरते हैं और जहां जहां लोग सच्ची बात कहने से डरते हैं वहां पता नहीं लग सकता।

श्री जवानसिंह—पुलिस ने इस मामले में जानकारी हासिल करने के लिये क्या किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस जानकारी करना चाहती है मगर कोई बताता नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या सी. आई. डी. विभाग इस काम को नहीं कर सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास—सी. आई. डी. विभाग इस सम्बन्ध में कोशिश कर रहा है। कोशिश जारी है।

श्री जवानसिंह—यह कोशिश कब से जारी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जब से लड़का गया था।

श्री जवानसिंह—क्या उस लड़के और उसके घर वालों से नहीं पूछा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—काफी पूछा गया, मगर बताया नहीं।

श्री तनसिंह—क्या उन्होंने जानते हुए भी नहीं बताया, इसलिये उनके खिलाफ मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—कोई मुकद्दमा बनता नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार को मालूम है कि डाकुओं के अलावा भी इसमें किसी का हाथ था ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

प्रश्न संख्या २२६

नेनवा के तालाबों की खुदाई

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सिंचाई-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) नेनवा, जिला बूंदी, में कितने तालाब हैं ?

(ख) ये पिछले मर्तबे कब खुदे थे ?

(ग) ये कितने सालों से खाली रहते हैं ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(घ) इनके भरने से सरकार को ठेकेजात से सालाना कितनी आय होती थी ?

(ङ) अब नहीं भरने से सरकार को कितनी आय होती है ?

(च) इन तालाबों को कब तक सरकार खुदवायेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—
(क) तहसील नेनवा में कुल १५ तालाब हैं।

(ख) निम्नलिखित तालाबों में मरम्मत उनके सामने लिखे हुए सालों में हुई थी:—

तालाब तलवास	सन् ५४–५५
तालाब ढाढोन की नहर	सन् ५४–५५
तालाब गंगासागर	सन् ५२–५३
तालाब खानपोल	सन् ५२–५३
तालाब तलवास	सन् ५१–५२
तालाब ढाढोन	सन् ५३–५४
तालाब ढाढोन	सन् ५४–५५

(ग) वर्षा जिस वर्ष होती है उस वर्ष ये तालाब भर जाते हैं। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती या कम होती है ये तालाब खाली रह जाते हैं।

(घ) ये पेटा काश्त तालाब हैं और भरे रहने से सरकार को कुछ भी आमदनी नहीं होती है।

(ङ) इन तालाबों के नहीं भरे रहने से सरकार को पेटा काश्त की आमदनी होती है, जो तहसील वसूल करती है। सन् ५३–५४ का रेकार्ड जो तहसील से प्राप्त किया है वह इस प्रकार है:—

१.	बामन गांव	१०४१ रु०
२.	बाछोला	१०१५ रु०
३.	नेनवा का तालाब	४८६० रु०
४.	नेनवा का छोटा तालाब इसमें कमल होते हैं, जिसका ठेका जंगलात से होता है।	
५.	रालावता	१८६ रु०

[श्री रामनिवास मिर्धा]

६.	खानपुर	रेकार्ड नहीं मिला ।
७.	गंगासागर देई	४८६४ रु०
८.	रटोदा	१२०१ रु०
९.	जरखोदा	रेकार्ड नहीं मिला ।
१०.	तलवास	७१८ रु०
११.	ढाढोन	३७५ रु०
१२.	वाली	२२१ रु०
१३.	जेतपुर	२५ रु०
१४.	दुगारी	यह काफी बड़ा तालाब है और सिंचाई पेटा काश्त कमल की आमदनी होती है जो जागीरदार को प्राप्त होती है। इसलिये रेकार्ड नहीं मिलता है।

(च) जिस तालाब की मरम्मत की आवश्यकता होती है उसकी मरम्मत हर वर्ष कर दी जाती है।

महाराज श्री केसरीसिंह—खानपुर के तालाबों का रेकार्ड क्यों नहीं मिला?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह रेकार्ड तहसील में रहता है और आमदनी वहां वसूल होती है। वहां से इन्फॉर्मेशन मंगाई गई थी किन्तु इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से नहीं दी गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि कागजात गायब कर दिये गये हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—गायब तो नहीं हुए हैं किन्तु मिसप्लेस हो गये हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—मिसप्लेस करने की गलती किसकी है?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस बारे में जानकारी की जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इन तालाबों की मरम्मत में कितना खर्च हुआ है?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी तफसील इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो खर्चा किया गया, उसका रिटर्न कितना हो रहा है?

Page No.25

श्री रामनिवास मिर्धा—यह एक अलग सवाल है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कितना क्यू. सी. पानी जमा होता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह भी अलग सवाल है ।

महाराज श्री केसरीसिंह—तालाब साल दर साल भरते जा रहे हैं उनको खुदवाने की सरकार ने कोई कार्यवाही की है क्या ?

श्री रामनिवास मिर्धा—बरसात कम होती है तो कम भरते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—मेरा मतलब है मिट्टी से। मिट्टी बराबर तालाबों में भरती जा रही है, जिससे उनमें पानी कम आ पाता है। अतः उनको खुदवाने की सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने अभी आपको लिस्ट बतायी थी कि किन किन सालों में इनको रिपेयर किया गया। जहां जहां जरूरत पड़ती है इनकी मरम्मत होती रहती है।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, तालाबों के बन्धों की मरम्मत का प्रश्न नहीं है, किन्तु तालाबों को गहरा करने का प्रश्न है।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने यह नहीं कि कहा बाँध बनाये गये। मैंने निवेदन किया था कि रिपेयर्स इन इन सालों में की गई थी।

श्रीगुरुदयालसिंह—खर्चा हुआ तो इसमें कितना हुआ ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मुझे फिर कहना पड़ता है कि यह अलग सवाल है।

महाराज श्री केसरीसिंह—मरम्मत दूसरी बात है : जीर्ण कोई चीज होती है तो उसकी मरम्मत करवाना। किन्तु तालाबों को खुदवाना—इज नथिंग एल्स बट खुदवाना। मेरी अर्ज यह है कि इन तालाबों को कब खुदवाया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इन तालाबों में ज्यादा पानी आयगा तो पेटे में काश्त नहीं होगी, इसलिए इनकी जरूरत माफिक ही मरम्मत करते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—बड़े अफसोस की बात है कि सरकार अपनी आमदनी की सोचती है और जनता की सुविधा की ओर देखना नहीं चाहती। तालाबों में जो मिट्टी भर गई है उसको निकलवाने से उनमें पानी आयगा, लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष—सीधा-सादा प्रश्न यह है कि ये कब खुदवाये गये थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने मरम्मत की रिपोर्ट दी है।

श्री अध्यक्ष—स्पेसिफिक क्वेश्चन है (ख) में कि ये पिछले मर्तबे कब खुदे थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा--मैंने कहा था कि मरम्मत इन इन सालों में हुई थी। मरम्मत में यह शुमार है कि कितनी मिट्टी हटाई गई ?

श्री अध्यक्ष—That is evasive. मरम्मत में मिट्टी नहीं हटायी जा सकती है।

श्री रामनिवास मिर्धा--मेरे पास पूरा रेकॉर्ड नहीं है।

अध्यक्ष-- नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २२७

सिरोही जिले में गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा बेचा गया खाद

श्री जवानसिंह—क्या कृषि-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

सिरोही जिले में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना खाद सरकार द्वारा बेचा गया और कितनी रकम प्रतिवर्ष वसूल हुई ?—

(विराम)

श्री जवानसिंह--क्या कोई उत्तर नहीं मिलने की आशा है, माननीय अध्यक्ष ?

श्री अध्यक्ष—Keep Patience.

श्री जवानसिंह—सरकार तो उठकर भी फिर बैठ गई।

श्री रामनिवास मिर्धा—I am sorry, Mr. Speaker. The information about it has not been received. I will put it on the Table of the House or deliver it to the Member concerned on Monday.

श्री अध्यक्ष— श्री मोहब्बतसिंह।

प्रश्न संख्या २२८

सिरोही मोटर सर्विस के कर्मचारियों के ग्रेड्स का एकीकरण

श्री मोहब्बतसिंह–Will the Minister for Transport be pleased to state:—

(a) Whether the employees of the Sirohi Motor Service have been integrated in the Rajasthan Government grades ?

[श्री मोहब्बतसिंह]

(b) If so, from which date ?

(c) If the answer is in negative why has the Government not fixed the staff as yet when this concern viz. the Sirohi Motor Service is run by the Government since 1944 ?

(d) How long would it take now for the aforesaid integration ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)— सिरोही मोटर सर्विस के कर्मचारियों के एकीकरण के लिए सरकार ने आज्ञा दे दी जो १८–२–५५ से लागू है और कर्मचारियों का युनिफाइड पे स्केल्स में फिक्सेशन शीघ्र कर दिया जायगा।

श्री जवानसिंह—जो पुरानी तनख्वाह है वह १८-२-५५ तक मिलेगी और नई ग्रेड १८-२-५५ से लागू होगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां। नई स्केल १८-२-५५ से दी जायगी।

श्री जवानसिंह—क्या यह भी माना जाय कि सिरोही मोटर सर्विस के कर्मचारियों को पुराने बोनस, डी. ए. आदि उसी माफिक दिये जावेंगे जो १८–२–५५ से पहले सिरोही में दिये जाते थे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां।

प्रश्न संख्या २२६

चम्बल नदी के समीप खाल मड़ना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कृषि-मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चम्बल नदी के पास की जमीन हर साल कट कट कर खाल मड़ रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार soil erosion को रोकने का कोई उपाय सोच रही है ?

(ग) अब तक सरकार ने इस ओर कितनी प्रगति की है और कहां कहां ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन-मन्त्री)—

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सोइल इरोजन को रोकने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये सरकार द्वारा सोईल

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]
कन्ज़र्वेशन बोर्ड सेट-अप किया हुआ है और अभी कोटा के पास वन विभाग की ओर से लगभग ७३ एकड़ कटी हुई भूमि पर काम भी जारी हुआ है। यह कार्य राजस्थान में बिलकुल नया है और अभी सेम्पल प्लॉट के तौर पर किया गया है।

भारत सरकार की तरफ से सोइल कन्जर्वेशन स्टेशन कोटा में स्थापित किया गया है, जहां ३ बड़े अफसर नियुक्त किये जा चुके हैं और सोइल कन्जर्वेशन के एक्सपेरिमेन्ट के लिये लेन्ड एक्जीविशन का काम जारी है। इस स्टेशन पर जो एक्सपेरिमेन्ट्स किये जा रहे हैं उनके अनुभव से लाभ उठाया जावेगा। इसी प्रकार के काम के लिए राजस्थान की तरफ से पेरेलल स्टेशन स्थापित करना उचित नहीं समझते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—अब तक क्या क्या काम किये गये हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने सुना नहीं। मैंने बताया था कि भारत सरकार की ओर से स्वाइल कन्जर्वेशन स्टेशन कोटा में स्थापित किया गया है और जहां तीन बड़े ऑफिसर्स नियुक्त किये जा चुके हैं। कोटा के पास वन विभाग की ओर से लगभग ७३ एकड़ कटी हुई भूमि पर काम भी जारी हुआ है।

महाराज श्री केसरीसिंह—काम क्या हुआ है, क्या कोई खास सोलिड काम हुआ है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—७३ एकड़ में सोलिड काम हो रहा है। यह इस साल ही शुरू हुआ है। यह तो कैसे बताया जा सकता है कि क्या क्या खास काम हो गया है? एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर है एक्सपेरिमेन्ट्स किये जा रहे हैं। चारों तरफ बाड़ भी करके और एफोरेस्टेशन करके देख रहे हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह ७३ एकड़ भूमि किस जगह है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कोटा में।

महाराज श्री केसरीसिंह—Where is its location?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने जाकर देखा नहीं?

महाराज श्री केसरीसिंह—आपको मालूम नहीं कि कोटा को आप भी जानते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह कोटा शहर और स्टेशन के बीच में है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या बूंदी में भी ऐसा स्टेशन कायम किया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि उधर इसके मुताबिक ध्यान नहीं दिया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--पहले इस एक्सपेरिमेन्ट को देख कर फिर आगे ध्यान दिया जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह--जब खेतों की हालत बिगड़ जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--लाखों सालों से बिगड़ती आ रही है तो सुधारने के लिए तो कुछ समय लगेगा।

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या लाखों साल उसको सुधारने के लिए लग जावेंगे !

श्री बृजसुन्दर शर्मा--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--श्री जयसिंह रानावत।

प्रश्न संख्या २३०

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विकास-खण्ड की योजना में भीलवाड़ा की तहसीलों को लेना

श्री जयसिंह रानावत--क्या गृह-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विकास-खण्ड की योजना में भीलवाड़ा जिले की तेरह तहसीलों में से कितनी तहसीलों को किस किस खण्ड के अन्तर्गत लिया जा रहा है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अगर हां, तो किस किस तहसील को ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)-(क)भीलवाड़ा जिले में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत एक तहसील में राष्ट्रीय विस्तार सेवा-क्षेत्र खोलने का निश्चय हो चुका है।

(ख) यह राष्ट्रीय विस्तार सेवा-क्षेत्र तहसील मांडलगढ़ में होगा।

श्री जयसिंह रानावत--भीलवाड़ा जिले में एक भी सामुदायिक विकास योजना अब तक नहीं खुली है और इरादा होता है, इजाजत हो जाती है तो रुपया खर्च नहीं होता, रकम लेप्स हो जाती है। तो क्या इस वर्ष भी यही स्थिति होने वाली है ?

श्री सम्पतराम--मैंने अभी अर्ज किया था कि भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष केन्द्र खोलने का सरकार निश्चय कर चुकी है। ट्रेन्ड स्टाफ के अभाव के कारण भीलवाड़े में यह केन्द्र अब तक नहीं खोला जा सका है। इस योजना के तहत रकम लेप्स होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जयसिंह रानावत--भारत सरकार से हर वक्त पैसा मिलता है और वह दूसरी तरफ तकसीम हो जाता है; भीलवाड़ा यों ही रह जाता है।

Page No.30

श्री सम्पतराम—भीलवाड़ा जिले में केन्द्र खोलने का निर्णय सरकार कर चुकी है, यह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ ।

श्री सुगनचन्द—वे कहां कहां पर खोलने हैं ?

श्री सम्पतराम—यह सवाल, वैसे तो एक अलग सवाल है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य इसकी जानकारी चाहते हैं इसलिए उनकी जानकारी के लिए अर्ज कर ही देना उचित समझता हूँ :

बेगूं, चित्तौड़।

मांडल, भीलवाड़ा।

श्री जवानसिंह— यह आप कब तक खोल देंगे ?

श्री सम्पतराम— मैंने जैसा कि अभी अर्ज किया कि इसमें एक्सपीरियन्स्ड स्टाफ की कमी थी, इसलिये ये केन्द्र नहीं खोले जा सके। अब हमने भारत सरकार से अनुभवी स्टाफ को मांगा है जो कि हमें अक्टूबर के महीने में मिल जायगा। इसके साथ-साथ ये केन्द्र भी चालू कर दिये जायेंगे।

श्री कस्तूरचन्द— जिला भीलवाड़ा इतना बड़ा जिला होते हुए क्या आप एक ही सामुदायिक विकास-केन्द्र खोलना पर्याप्त समझते हैं ?

श्री सम्पतराम— राजस्थान में केवल भीलवाड़ा ही एक जिला नहीं है; राजस्थान के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां अभी तक ये केन्द्र नहीं खुल पाये हैं।

श्री कस्तूरचन्द— तो फिर चित्तौड़ जिले में दो कैसे हैं ?

श्री सम्पतराम— चित्तौड़ एक बहुत बड़ा ज़िला है। वहां विकास के बहुत सारे साधन भी हैं, इसलिये वहां दो केन्द्र हैं।

श्री कस्तूरचन्द— क्या चित्तौड़ की जनसंख्या आप भीलवाड़े से अधिक गिनते हैं ?

श्री सम्पतराम— यह अलग से सवाल है।

श्री कस्तूरचन्द— क्या आप चित्तौड़ को बड़ा समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—भीलवाड़ा भी उतना ही बड़ा है।

श्री महादेवप्रसाद— क्या अलवर में भी कोई सामुदायिक विकास-योजना का केन्द्र खोलने का विचार है ?

श्री सम्पतराम— अलवर में तो बहुत पहले ही से है।

Page No.31

श्री कस्तूरचन्द— अलवर की ओर ज्यादा ध्यान इसलिये है कि मिनिस्टर इन्चार्ज वहीं के हैं।

श्री सम्पतराम—ऐसी बात नहीं है।

श्री महादेवप्रसाद— सामुदायिक विस्तार-खंड जितनी जगह खोले जा रहे हैं, क्या उसमें चूरू जिले को भी स्थान मिलेगा?

श्री सम्पतराम— ट्रेन्ड स्टाफ मिलने पर चुरू में ही नहीं, बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में सरकार सामुदायिक योजना केन्द्र खोलने का पूर्ण विचार रखती है।

रावत श्री शम्भूसिंह—राष्ट्रीय विकास-खंड के लिये सरकार के सामने क्या क्राइटेरिया रहता है?

श्री सम्पतराम— इसके लिये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया हो ऐसी बात नहीं है, किन्तु यह दृष्टि में रखा जाता है कि जहां पर पोटन्शियेलिटीज ऑफ डेवलपमेंट के साधन ज्यादा हों, उस स्थान को प्राथमिकता दी जाय। इसके साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट भी देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि उस एरिया में विकास के कितने प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये केन्द्र खोले जाते हैं।

श्री कस्तूरचन्द— सन् ५४-५५ में हमारे भीलवाड़ा जिले में सामुदायिक योजना विकास-केन्द्र खुलने वाला था, वहां नहीं खोलकर सवाई माधोपुर बदलने का क्या कारण था?

श्री सम्पतराम— वह केन्द्र सवाई माधोपुर में खुलने वाला था इसीलिये वहां खोला गया था।

श्री कस्तूरचन्द— सन् ५४-५५ में भीलवाड़ा जिले में एक केन्द्र खोलने की मन्जूरी थी तो फिर क्यों नहीं खोला गया?

श्री सम्पतराम— पहले ही मैंने निवेदन कर दिया था कि ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था इस वजह से नहीं खोला जा सका।

श्री श्रीदास गोयल— रणथम्भोर और चित्तौड़ दो ही तो किले हैं।

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा जिले में सराड़ा और रायपुर ये स्थान उपयुक्त होते हुए भी सार्वजनिक विकास केन्द्र नहीं खोले गये?

श्री सम्पतराम— इस दृष्टि से मांडलगढ़ का नम्बर पहला आता है, इसलिये मांडलगढ़ में पहले खोला गया।

श्री किशनलाल शाह— Potentialities of development is an abstract term which the Hon'ble Member should clarify by analysing the concrete items thereof.

श्री सम्पतराम— यह आपका कहना ठीक है । जहां सिचाई के साधन ठीक हों, जहां जमीन उपजाऊ हो, वहां पर नदी नालों को रोक कर सिंचाई की व्यवस्था हो सके, ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है । विकास के साधनों का आधिक्य जिस जगह पर अधिक होता है, उस स्थान को पोटेन्शियेलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट (Potentialities of Development) का स्थान माना गया है ।

श्री किशनलाल शाह— Does it not involve the support of the individualistic wishes ?

यह जो क्राटिरिया इस समय सरकार जिस पर चल रही है, क्या यह उनके खुद के इच्छानुकूल नहीं होता ?

श्री सम्पतराम— ऐसी बात नहीं है, इसके लिये कोई हार्ड एन्ड फॉस्ट रूल्स नहीं हैं ।

श्री महादेवप्रसाद - झुंझुनू और सीकर जिले में केन्द्र खोलने का विचार है ?

श्री सम्पतराम—भारत सरकार से नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा-क्षेत्र खोलने की स्वीकृति होते ही उन स्थानों का तथा जिलों का खास तौर से ध्यान रखा जायगा जिन स्थानों तथा जिलों पर नहीं हैं । ये केन्द्र अभी तक नहीं खुल पाये हैं ।

श्री कस्तूरचन्द— सामुदायिक विकास योजना के जो केन्द्र हैं वे किस कायदे से कितनी पॉपुलेशन पर किस हिसाब से खोले जाते हैं ?

श्री सम्पतराम— यह एक अलग से सवाल है ।

श्री जवानसिंह— ये विकास-केन्द्र कहीं क्षेत्रीय भावना के आधार पर तो नहीं खोले जाते हैं ?

श्री सम्पतराम— ऐसा न तो भविष्य में होगा और न अब तक हुआ ही है ।

श्री श्रीदास गोयल— बनेड़ा में कब केन्द्र खोला जायगा ?

श्री सम्पतराम— जब आप चाहेंगे तब ।

श्री संधु के स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष— श्री कुम्भाराम आर्य ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु-- मैंने एक एडजॉर्नमेन्ट मोशन आपको दिया था, उसके बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष— आपने मुझको तो नहीं दिया। सेक्रेट्री को अलग देना चाहिये, मुझे अलग और मिनिस्टर कन्सर्न्ड को अलग से देना चाहिये। खैर, मैंने वह देख लिया है। अब पुलिस की मांग सामने आने वाली है उस पर आप बोल लीजिये।

दिनांक २३ मार्च, १६५५ का शेष तारांकित प्रश्न पर

श्री बृजसुन्दर शर्मा— कल एक प्रश्न के ऊपर सप्लीमेन्टरी करने का सवाल था उसको आज ले लिया जाय। मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष— That related to the Chief Minister.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)— I can reply it today.

श्री अध्यक्ष— The Hon'ble Member will like to ask supplementaries on the question which was to be asked day-before-yesterday.

श्री चांदमल मेहता— वह तो नेक्स्ट टर्न के लिये रखा गया था।

श्री अध्यक्ष— That is all right.

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि की मांग

श्री कुम्भाराम आर्य— मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल, १६५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति-हेतु नियत समय को राजस्थान विधान सभा के आगामी अधिवेशन के अन्त तक के लिये और बढ़ाया जाय।

श्री द्वारकादास पुरोहित— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह बिल जो सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया था उस सिलेक्ट कमेटी ने अब तक क्या काम किया और क्या काम बाकी है, जिसकी वजह से अवधि को बढ़ाने के लिये प्रस्ताव रखा गया है। पहले यह हाउस को बता दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री श्रीराम गोयल— अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल बिल बड़ा इम्पोर्टेन्ट बिल है, इसको जल्दी से जल्दी हाउस के सामने लाया जाना चाहिये। मैं भी श्री द्वारकादास जी ने जो कुछ कहा है उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में प्रकाश डालें कि यह अब तक क्यों नहीं सदन के सामने लाया जा सका, इसको लाने में क्यों देरी हो रही है।

श्री कुम्भाराम आर्य—इस बात के सम्बन्ध में जितनी बैठकें होनी चाहिये थीं, उतनी नहीं हो सकीं और इस वजह से इस बिल को पेश करने में देर हुई है। मैं हाउस को और सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह समय जो मांगा जा रहा है इसके भीतर बिल अवश्य पेश हो जावेगा।

श्री द्वारकादास पुरोहित—अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो यह था कि वह वजह बताई जावे कि अब तक क्यों यह काम पूरा नहीं हुआ और अब तक क्या काम किया गया इसकी जानकारी दी जावे।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने अभी निवेदन किया, उस पर सदस्य महोदय अगर विचार करते तो यह समझ जाते कि जितनी बैठकें होनी चाहिये थीं, उतनी नहीं हो पाई। इस वजह से आयन्दा अवधि के लिए आज यह मांग की जा रही है और आगे के लिए जो अवधि मिलेगी उसमें पेश करने के लिए मैं विश्वास दिलाता हूं। जो बैठकें हुई हैं, उनमें जो काम हुआ है वह पूर्ण नहीं है। इसलिये इस विषय पर अगर विचार भी करेंगे तो हाउस का अभिप्राय, मैं जहां तक समझ पाया हूं कि बिल जल्दी से जल्दी लाया जावे, इसके बारे में अलग से कह चुका हूं। इस पर विचार करने से कोई विशेष लाभ मिलने वाला मुझे नहीं प्रतीत होता।

श्री श्रीदास गोयल—प्रश्न यह नहीं है कि अवधि आगे बढ़ाई जावे या नहीं। सवाल यह है कि इतने अहम बिल को अभी तक हाउस के सामने नहीं लाने का क्या कारण है? यह बिल इस कमेटी को कब सुपुर्द किया गया, कब-कब सिटिंग्ज बुलाई गईं, कोरम पूरा हुआ या नहीं, क्यों देरी की; अगर कोई मेम्बर नहीं आये, तो किस वजह से देरी हुई, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका सिंहावलोकन किया जाता तो ठीक होता। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात का, मामले के इस पहलू का स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल १३३ के सब रूल (३) में यह साफ है कि :—

"The House may, at any time on a motion being made, direct that the time for making a report be extended to a date specified on the motion."

तो इस क्लॉज के अन्तर्गत इसके लिए कोई रीज़न देना चाहिये, यह जरूरी नहीं है और रीजन को बताना भी जरूरी नहीं है। यह सही है कि समय की उपेक्षा की गई और उस कमेटी ने अपना कार्य-सम्पादन नहीं किया इसलिये यह मोशन रक्खा गया।

श्री किशनलाल शाह—Mr. Speaker, Sir, I oppose to the interpretation put up by the Hon'ble Member to the rule referred to.

श्री जवानसिंह—What is the rule referred to.

श्री अध्यक्ष—१३३।

Page No.35

श्री किशनलाल शाह—इसमें स्पष्ट यह लिखा है कि इस सभा का यह अधिकार होगा कि वह आयन्दा अवधि बढ़ा दे और इसके पीछे वह तथ्य छिपा है कि वे इस तथ्य की जानकारी दें कि आया इसकी ठीक वजूहात है या नहीं, जिसके कारण यह मांग की जा रही है। यह वाकियात का प्रश्न है और इस वाकियात के प्रश्न के तथ्य की जानकारी लिये बिना यह सदन निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि आयन्दा अवधि देना वाजिब है या नहीं। इसके लिए मीटिंगें नहीं नहीं हुई या मीटिंगें बुलाई ही नहीं गई या सदस्य नहीं आये और इसके भी क्या कारण थे और इसके पीछे भी न बुलाने का समुचित कारण था या नहीं था, ऐसे जो भी वाकियात हैं, वे हाउस के सामने आने चाहिये। इसलिये माननीय मेरे मित्र श्री श्रीदासजी ने जो बात रक्खी है वह वाकियात पर निर्भर है और इन वाकियातों के सामने आये बिना हम कोई निर्णय नहीं कर पाते कि यह मांग स्वीकार की जानी चाहिये या नहीं की जानी चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मान लीजिये थोड़ी देर के लिए कि टाइम नहीं दिया जाता और सदन यह फैसला करता है कि समय नहीं दिया जाता, तो क्या ऐसा किया जा सकता है और क्या ऐसी सूरत में रूल १३३ में इसके बारे में जो लिखा है वह सही कहा जा सकता :

"The Select Committee shall submit its report."

तो इसका फिर क्या होगा ? सिलेक्ट कमेटी सबमिट करेगी रिपोर्ट या नहीं करेगी क्योंकि रूल १३१ कहता है :—

(2) "Reports by Select Committee. (1) The Select Committee to which the Bill has been referred shall make a report thereon."

तो इसलिए यदि सिलेक्ट कमेटी ने बैठकें नहीं कीं और रिपोर्ट नहीं दे सके तो टाइम मिलना ही चाहिये, ताकि उस पर रिपोर्ट तैयार की जा सके।

श्री तनसिंह—यह सब क्लॉज (२) और देखें जिसमें साफ है कि यदि टाइम के अन्दर सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट नहीं करती है तो उसको सदन के सामने रीज़न रखना पड़ेगा और हाउस उसको पास करेगा तभी सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है। यह जरूरी नहीं कि टाइम पर रिपोर्ट न दे तो भी रिपोर्ट के लिए समय एक्सटेन्ड किया ही जावे। ऐसा सब क्लॉज नम्बर (२) है।

"The House may at any time......"

इसको देखने से स्थिति स्पष्ट हो जावेगी और सब रूल ३ है उसमें हाउस की मर्जी पर है कि वह समय बढ़ावे या नहीं बढ़ावे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहां तक मोशन का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—जो बोलना चाहें, एक ही बार में अपने पॉइन्ट्स पर बोल लें और बारम्बार एक बात का जवाब और पुनः जवाब दें, यह नियम के विरुद्ध है। आप अपने सभी लीगल पॉइन्ट्स एक बार में ही दे दें।

Page No.36

श्री श्रीदास गोयल—यह फाइनल व्यु पॉइन्ट है। १३३ में से जो अभी रेफरेन्स दिया गया है वह ठीक है पर मुझे निवेदन यह करना है कि जो इस मोशन के द्वारा समय चाहा जा रहा है उसको देने से पहले हाउस कम से कम इससे अवगत तो हो जाय कि वास्तव में अब तक सिलेक्ट कमेटी ने कितना काम किया है। यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट बिल है, क्या उसका वर्किङ्ग रहा, क्या अब पोज़ीशन है, क्या नहीं है, कितना काम बाकी है? जहां तक समय का सवाल है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। हाउस को तो केवल इस तरह की इन्फॉर्मेशन गेदर करनी है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया गया था कि वे बतावें कि इस कमेटी की अब तक की क्या प्रोग्रेस है, कितने सेक्शन्स कुल इसमें हैं, इनमें से कितने सेक्शन्स पर कमेटी ने विचार कर लिया है, कितने बाकी हैं, आया नेक्स्ट सेशन के पहले उनके ऊपर भी विचार करके फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकना सम्भव है या नहीं; रूल १३३ के दायरे में इस तरह का तमाम स्पष्टीकरण हो जाता तो ठीक रहता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी में आप तो नहीं हैं!

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं यह कहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट नहीं दायर कर सकती तो हाउस में बिल आ जाना चाहिये और हाउस ही खुद उस पर विचार कर ले। फिर सिलेक्ट कमेटी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमन्त्री)—म्युनिसिपल बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस सेशन के प्रारम्भ में आनी चाहिये थी। यह बिल बहुत बड़ा बिल है। इसमें करीब ३५० के आस-पास सेक्शन्स हैं और वे तमाम राजस्थान भर के लिए बनाये जा रहे हैं। टाउन कमेटियों के एक्ट को मिलाकर, पहले की स्टेटों के एक्टों को मिलाकर, यह बिल तैयार किया जा रहा है। यह इतना आसान काम नहीं है। काफी वक्त इसमें लगता है और इसको कन्सोलिडेट करने में काफी वक्त भी खर्च होता है, तो सिलेक्ट कमेटी जब बैठी तो मैं भी उसका मेम्बर था, उसमें हर क्लॉज पर विचार करने में काफी वक्त लगा। प्रोग्रेस चल रही है और जितनी ज्यादा कमेटी की मिटिंगें होनी चाहिये, बेशक वे किसी कारण-वश नहीं हो सकीं। जिसका यह अभिप्राय नहीं कि समय दिया नहीं जाय। मेरा निवेदन यह है कि काफी बड़ा यह बिल है, काफी देर से तैयार किया जा रहा है इसे समय और दिया जाना जरूरी है। अब यह सदन का डिस्क्रीशन है कि वह समय दे या न दे। फिर देरी होने का कारण यह है कि जितनी ज्यादा मीटिंगें होनी चाहिये थीं वे हो नहीं सकीं। इसलिए अब समय चाहा जा रहा है। इस अवधि में निश्चित रूप से हाउस के सामने वह चीज आ जावेगी।

श्री अध्यक्ष—यह सारा वाद-विवाद इस बात पर नहीं है कि अवधि दी जावे या नहीं दी जावे। मैं जहां तक समझ पाया हूं वह यह है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सिलेक्ट कमेटी कितनी बार मिली और किस कारण से अवधि में रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकी। वे इसकी जानकारी जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जानकारी माननीय मन्त्री इन्चार्ज सदन को दें।

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जानकारी आपके पास हो तो फाइल आप मन्त्री महोदय को दे दें, वे जानकारी दे देंगे। उनके पास फाइल नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य—आप (श्री अध्यक्ष) जानकारी दे दीजियेगा साहब।

श्री अध्यक्ष—हमारे पास से जानना चाहें तो हम बतावें। हमारे पास भी फाइल है। पर मैं चाहता हूं कि मैं इसके विवाद में न आऊं। माननीय मन्त्री इन्चार्ज इसको बता दें तो ठीक होगा। नहीं तो मेरे पास रिकार्ड रक्खा है, मैं बता दूँगा।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—वे खुद तो सारी मीटिंगों में आये नहीं हैं, वे बतावेंगे क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, कमेटी की मीटिंगें इस बिल के बारे में पांच हुई हैं और उन ५ बैठकों में ४३ धाराओं तक पहुँचे और ११ धाराएं जो थीं, वे दुबारा बनाई गई हैं। इस बिल के बारे में यह सोचा गया है कि जिस वक्त हाउस की बैठक होगी उस वक्त सभी मेम्बर्स खास तौर से हाजिर रहेंगे ताकि कोई मेम्बर कमेटी के बाहर नहीं रह सकें, इसलिए जबकि अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो बहुत से बाहर के मेम्बर जो होते हैं, वे आ सकने में अपने जरूरी कामों की वजह से असमर्थ होते हैं। इसी वजह से यह काम पूरा नहीं कर पाये हैं और अधिवेशन शुरू होने के बाद बजट का कार्य इस तरह का रहा और पार्टी मीटिंगें रहीं, जिनकी वजह से काम को शुरू नहीं कर सके। आगे के लिए जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, अगले अधिवेशन तक यह बिल पूरा कर दिया जायगा और मैं समझता हूं कि सदस्य महोदयों को इस बात से सन्तोष होगा कि जो कार्य किया गया है वह बिल के महत्व को देखते हुए ठीक है।

श्री शम्भूसिंह—ऑन ए प्वॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, इन पांच मीटिंगों में से चेयरमेन महोदय कितनी मीटिंगों में उपस्थित रहे ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष—(सरकारी पक्ष से) मैं प्रश्न पूछूं ? क्या सदन की इजाजत है ?

(हां की आवाजें)

क्या सदन की यह अनुमति है कि इस बिल के लिए जो सिलेक्ट कमेटी है, उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा दी जाय ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति

श्री अध्यक्ष—गुलाबचन्द कासलीवाल।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--अध्यक्ष महोदय, मैं १९५४-५५ की प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन, विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिक एन्ड मैकेनिकल डिपार्टमेन्ट को उपस्थित करता हूं।

मांग संख्या ३५—सिंचन, तट-बन्धन आदि (क्रम में)

श्री श्रीदास गोयल—इर्रिगेशन पर चल रही है। Yesterday I also wanted some time.

श्री अध्यक्ष—इर्रिगेशन पर जिनके कट-मोशन्स थे, वे बोल चुके हैं।

श्री श्रीदास गोयल—कट-मोशन्स जिनके थे वे बोल चुके हैं, लेकिन कट-मोशन्स के सिलसिले में परम्परा यह रही है कि कट-मोशन्स न रखने वाले सदस्य भी १०–५ मिनट में थोड़ी बहुत कुछ बातें कह सकें उनको माननीय अध्यक्ष, कुछ थोड़ा मौका दिया जाता है और ऐसा मौका दिया जाना चाहिए, यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—Under which rule ?

श्री सीदास गोयल—There is no prohibition in the Rules of Business.

श्री अध्यक्ष—Under 179 there is a limit on discussion.

श्री श्रीदास गोयल—The position is that there are conventions and we have been allowed at times to speak without giving cut-motions. This was done even yesterday. No doubt cut-motions should be allowed more time but those who want to speak independently having no cut-motions should also be given an opportunity to speak.

श्री अध्यक्ष—I want the Members of this House to realise the difference betbeen the general discussion and discussion on cut-motions. The general discussion on a particular demand or budget is focussed over the general policy of the Government, some way or the other. By cut motions the attention of the House is focussed on particular subjects. If the Members want to take an opportunity of having a general discussion over a particular demand then there is no use of the cut-motions being tendered. That is why I again impress upon the Members of the House that if they want to draw the attention of the Government over particular subjects they should tender cut-motions. Then and there only it is possible, otherwise if we go on having a general discussion on single demands there will be no use of putting cut-motions and then discuss them.

श्री श्रीदास गोयल—Hon'ble, Sir, this is definitely a view which we have to respect. But I have to mention simultaneously that if two Hon'ble Members

[श्री श्रीदास गोयल]

wish to put same cut-motion and that is within the knowledge of both of them then it will be fruitless to put more cut-motion. On one cut-motion if two gentlemen wish to speak, then opportunity should be given. That is what I claim.

श्री मुश्किलाल मोदी—दो दिन का समय बढ़ाया गया। आठ घण्टे तक मेहनत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—बोलिये, जितना बोलना चाहें। लेकिन यह एक सिद्धान्त की बात है, जो तय कर ली जाय। कट-मोशन पर कट-मोशन के सपोर्ट का आश्रय लेकर दूसरी और बातें भी, जिनका कट-मोशन से सम्बन्ध नहीं है, कही जांय तो उस कट-मोशन का कुछ तात्पर्य नहीं होगा। उसके सपोर्ट में बोलना चाहें तो एक-दो बोल सकते हैं, न कि सारे के सारे जैसे कि जो लीव दी गई है, वह लाइसेन्स हो गया। दूसरी बात यह है कि कट-मोशन जिन्होंने रखा है, वे और उनके साथ-साथ एक-दो और बोलें। अगर सदन की यह मन्शा है कि इस तरह बोलें तो बोलें, But the whole discussion may be a chaos. जैसा चाहें वैसा करें; लेकिन इतना अवश्य है कि जो कट-मोशन्स दें, वे उन पर बोलें और सपोर्ट में बोलें तो एक-दो बोलें, लेकिन विषयान्तर न हो जायं।

श्री श्रीदास गोयल—बिल्कुल ठीक।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Goyal.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहां तक इरिगेशन और नेविगेशन की डिमान्ड का प्रश्न है, यह ऐसी डिमान्ड है जो विकास की ओर हमें ले जानी वाली है और इस सम्बन्ध में जो कट-मोशन दिया गया है उसी को रेफर करते हुए मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो कुछ इस ओर प्रगति अब तक की है, वह इतनी सन्तोषपूर्ण नहीं है कि जिसकी प्रशंसा की जा सके और विकास के लिए जबकि देश भर में चौमुखी उन्नति का कार्यक्रम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा राजस्थान कन्धे से कन्धा लगाकर दूसरे प्राविन्सेज़ के साथ में और भारत सरकार के साथ-साथ इस ओर आगे नहीं बढ़े। अब तक के जो कुछ परिणाम निकले हैं, उनको देखते हुए यह परिस्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। चम्बल योजना को देखिये और बातों को देखिये। मैं निवेदन करूंगा कि चम्बल एक ऐसी योजना है, जो मध्यभारत और राजस्थान में......

श्री सोहनलाल भटनागर—On a point of order, Sir, again discussion is being held on general basis. Which cut-motion is he supporting?

श्री श्रीदास गोयल—वह इरिगेशन के सिलसिले में है।

श्री सोहनलाल भटनागर—That is not the actual cut-motion.

श्री श्रीदास गोयल—मेरे माननीय मित्र एक मिनिट की तसल्ली रखते तो उनको रेफरेन्स टू दी कॉन्टेक्स्ट, अगली जो बात मैं कहता उसको मुलाहिजा फरमाते तो मिल जाता। मैं आधा मिनिट तो बोला नहीं कि पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ कर दिया।

[श्री श्रीदास गोयल]

मेरा यह निवेदन था कि चम्बल योजना के सिलसिले में जैसी प्रगति चल रही है, उससे मध्यभारत को कम्पेअर करते हैं, तो मध्यभारत में यदि प्रगति ५० प्रतिशत है तो यहां ५ प्रतिशत है। वहां १००-१५० मील नहरें बन चुकी हैं, लेकिन यहीं नहरों का श्रीगणेश ही नहीं हुआ है। यही परिस्थिति पंजाब के बॉर्डर पर है। हम प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और जनता को राहत पहुँचाने के लिए, जिसके कि ८०-१०० फी सदी किसानों का भाग्य-निर्णय होने वाला है, उसकी जो प्रगति हम कुछ करने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। निर्णय द्वारा इरिगेशन की व्यवस्था को सफल बनायेंगे, यही मेरा निवेदन है।

इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो रिलेवेन्ट है। बांध वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें काश्तकारों की जमीन ले लेते हैं। उनसे जमीन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको तत्काल ही दूसरी जमीन पर बसाने की व्यवस्था नहीं करते। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा उदाहरण सूरवाला बांध का दे देता हूं।

श्री हंसराज आर्य—अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो डिमान्ड है वह बहुत ही बड़ी डिमान्ड है। इस विषय में मैं कुछ बातें भाखरा डेम के बारे में अर्ज करूंगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से भाखरा नहर का काम चालू हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी सरकार के कई मन्त्रियों के पास यह विभाग रहा, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस ओर खास ध्यान नहीं दिया। मैं खास तौर से आपके द्वारा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चार-पांच साल से इस भाखरा नहर की खुदाई का काम चल रहा है और तब से लेकर आज तक इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं, जिनकी जांच होना जरूरी है।

सबसे पहली बात तो इस हाउस की सूचना के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जब से इस नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ है तब से एक बार नहीं अनेक बार सम्बन्धित मन्त्री जी से प्रार्थना की गई कि कम से कम एक बार मौके पर पधार कर इस नहर के काम को देख लें लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस मांग के बावजूद भी किसी ने वहां आकर भाखरा नहर को देखने का कष्ट नहीं किया। मन्त्री-मन्डल के बदलने के बाद दूसरे मन्त्री जी पधारे, उनसे भी प्रार्थना की गई, लेकिन उन्होंने भी वहां पधारने का कष्ट नहीं किया। हमारे तीसरे यह इन्चार्ज मिनिस्टर हैं, इनसे भी प्रार्थना की गई कि वहां कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं इसलिये एक बार वहां अवश्य पधार कर आंखों से देख तो लीजिये

(डॉ० श्री मंगलसिंह, सभापति, पदासीन)

कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन वे भी अभी तक वहां नहीं पधारे। वहां काम हो रहा है और कितनी ही जगह हो रहा है। राजस्थान में जहां-जहां भी भाखरा का काम होता है, उसके साथ-साथ गड़बड़ियां भी चलती हैं। अभी वहां पर पुल बने हैं, उनकी यदि किसी विशेषज्ञ से जांच कराई जाय तो पता चलेगा कि वे इस तरह के बने हैं कि पानी आने से पहले ही झटके में साफ हो जायेंगे, जैसा कि पंजाब में कई जगह हुआ है। इसी तरह के हेड बने हैं। वे मिट्टी मिलाकर इस तरह के बनाये गये हैं कि एक साल या छः महीनों के बाद नहीं टिकेंगे। इसी तरह से जो सीमेन्ट वहां आया है उसमें भी काफी गड़बड़ की गई है। जहां काम हो रहा है उसके आस-पास का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, जिसमें

[श्री हंसराज आर्य]

यह सीमेन्ट चोरी से नहीं पहुँचा हो। कोड़ी के दामों पर भी इसको कोई पूछने वाला (लेने वाला) नहीं है। इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई सम्भालने वाला नहीं है। इसके लिये बार-बार मांग की गई कि इन्हें देखा जाय, सम्भाला जाय लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। इसी तरह से वहां पर जो पानी के वास्ते टैंक बने हैं उनमें कई लाख रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन उन टैंकों में एक बूंद भी पानी नहीं ठहर सकता। उनमें १०.लाख के करीब रुपये खर्च हुए होंगे, लेकिन २४ घण्टे तक भी पानी उनमें नहीं ठहर सकता। सरकारी पैसे का भारी दुरुपयोग हुआ है, लेकिन किसी ने इस तरफ नहीं देखा।

इसके साथ ही नहरों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो वहां हैं उन्होंने वहां के किसानों की लड़कियों के साथ बलात्कार किया है लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की गई। इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये वहां के किसानों ने जलूस निकाले हैं। मीटिंग्ज़ की गईं और किसानों ने नहरी कर्मचारियों के खिलाफ जनाजे निकाले और इनके बंगलों के सामने जलाया, यहां जयपुर तार दिया, पैंफलेट निकाले, अखबारों में खबर निकली, इसके बावजूद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। भादरा तहसील के एक बड़ी ढाणी नामक गांव में एक हरिजन लड़की अपने खेत में बैठी खेत की रखवाली कर रही थी उसके साथ दिन के दो बजे एक नहरी कर्मचारी ने बलात्कार किया। इसके बावजूद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लड़की के वारिसों ने मन्त्रीजी के सामने उन्हीं की मार्फत एक दरख्वास्त पेश की, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई; उल्टे वे लोग यानी नहरी कर्मचारी लड़की के वारिसों के साथ हाथा-पाई करने लगे और लड़की के वारिसों को २४ घण्टे तक बन्द मकान में बांध कर पीटते और मारते रहे। उनके खिलाफ कोई मुकद्दमा पुलिस में दर्ज नहीं किया। इतनी गड़बड़ नहरों में हो रही है। पैसे की गड़बड़ी हुई उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, किसी के काम को मन्त्रीजी ने नहीं देखा। पैसे का सवाल तो दर-किनार रहा, वहां के लोगों की बहिन-बेटियों की इज्जत बचाने का सवाल आया है। मैं मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और साथ ही में यह भी कहूंगा कि आयन्दा ठेकेदारों से नहर का काम नहीं कराया जाय, बल्कि सहकारी आधार पर नहर का काम अधिकारियों की मार्फत करवाया जाना चाहिये, जैसा कि पंजाब में अब करवाया जा रहा है। दुर्भाग्य को बात है कि पंजाब व पेप्सू में नहरों आदि के जो मन्त्री हैं, अपना दफ्तर अपनी कार में साथ लेकर नहरों के कार्य को देखने लिये घूमते रहते हैं। न केवल पंजाब और पेप्सू के मन्त्री ही घूमते हैं, बल्कि भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित नेहरू ने भी भाखरा के उस काम को अपनी आंखों से वहां जाकर देखा है। लेकिन यहां मन्त्रियों ने कभी वहां जाकर देखने का कष्ट नहीं किया। यह कोई छोटा काम नहीं है, देश के जीवन-मरण का सवाल है। उस हिस्से में, जहां पर कि पीने के लिये मनुष्य और मवेशियों को पानी नहीं मिलता था, वहां अब हजारों नहीं, बल्कि लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये पानी आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्रियों की अपने काम के प्रति यह गैर-जिम्मेदाराना चोरी नहीं है ? मैं सिंचाई मन्त्रीजी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाखरा डेम नहर का जैसा हाल है उसके साथ राजस्थान में करोड़ों रुपयों के और भी इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, वहां भी यदि इसी तरह की देख-रेख रही तो वहां भी वही घटना घटेगी। भाखरा का इलाका वह इलाका है जहां

[श्री हंसराज आर्य]

के लोग तगड़े हैं, जागरूक हैं, फिर भी उनकी बहिन-बेटियों की इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। तो राजस्थान के दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा? जहां के लोग अशिक्षित हैं, इतने जागरूक नहीं हैं, उनके साथ ये लोग कैसा वर्ताव करते होंगे? मैं आशा करता हूं कि भाखरा नहर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी जांच करवाई जायगी। सीमेन्ट, पुल, हेड, पुली टैक्स इन सब में गड़बड़ियां हुई हैं। इसके अलावा किसानों के साथ और भी ज्यादतियां हुई हैं। किसानों के खेतों में बिना किसान की मंजूरी के और बिना गवर्नमेन्ट की इजाजत के मकान बना लिये गये हैं। पास ही फालतू पड़ी हुई सरकारी जमीन पर मकान न बनाकर किसानों के खेतों में मकान बना लिये गये हैं। यह इसलिये कि किसान यदि रिश्वत दें तो उनके खेतों से हट जावें और रिश्वत नहीं दें तो मकान बनाये जांय। उनसे सौ कदम की दूरी पर ही सरकारी जमीन पड़ी है, लेकिन वहां नहीं बनाकर किसानों के खेतों में मकान बनाये गये हैं। इस प्रकार इस नहरी इलाके में खेतों में गड़बड़ हुई, काम में गड़बड़ हुई, सीमेन्ट में गड़बड़ हुई और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। एक बार फिर वही नहरी आदमी रात को शराब पीकर, ट्रेक्टर लेकर वहां उसी लड़की के लिये बड़ी ढानी गांव में आ जाता है। मारपीट होती है। हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बचाया जाता है। सवाल यह हो गया कि बहन-बेटियों की इज्जत कैसे बचाई जाय? मैं विश्वास करता हूं कि सिंचाई-मन्त्री जी जल्दी से जल्दी इसकी जांच करायेंगे।

श्री **सुगनचन्द जैन**— मेरा एक कट-मोशन कल मूव होने वाला था उसको मैं आज पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक चित्तौड़ जिले का सवाल है वहां पर कई दिनों से यह मांग की जा रही है। जब से असेम्बली चली है इसके करीब ६ महीनों बाद से ही मैंने मांग की थी कि यहां पर काफी सिंचाई के साधन की आवश्यकता है जिसका इन्तजाम किया जाय लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई दरख्वास्तें इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब के सामने और चीफ इंजीनियर के सामने पेश की और तालाबों की लिस्ट पेश की। करीब ५०-६० तालाब बेगूं और गंगरार तहसील में हैं, लेकिन इस विषय में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, न वहां पर सर्वे हुई है। काफी दिनों से यह मेरी मांग है। इसकी कम से कम सर्वे तो करा ली जाय ताकि वह काम और ठीक ढंग से हो जाय। लेकिन सर्वे का काम भी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिये मैं माननीय चेयरमेन, आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर वे ध्यान दें और इस काम को शीघ्र ही कराने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि भैंसरोड़ गढ़ में बांध राणा प्रतापसागर बंधाया जा रहा है, फिर क्यों इस पर उदासीनता से काम किया जा रहा है? मेवाड़ गवर्नमेंट ने वहां बिल्डिंगें बना रखी हैं, पर राजस्थान सरकार की ओर से इस वक्त तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैंने पहले एक प्रश्न भी इस सम्बन्ध में किया था जिसके उत्तर में कहा गया था कि ५५-५६ में काम होगा, पर अभी तक कोई का' शुरू नहीं हुआ है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चित्तौड़ जिले पर ध्यान दें और जहां इर्रिगेशन के साधन हों उनको देख कर सर्वे करावें और इमदाद दें।

श्री **चांदमल मेहता**— कटौती के प्रस्ताव हैं उन्हीं पर बोला जाय तो ठीक है, जनरल डिमान्ड हो रही है। तालाबों और बांधों की चर्चा करें तो उसके लिये डिमान्ड नं० ८ आ रही है...

श्री कंवरलाल जेलिया— यह ऐसी योजना है कि बड़ी घाटी योजना है, इस पर माननीय सदस्यों को बोलने का टाइम मिलना चाहिये। माननीय सदस्य को तो खूब मौका बोलने का मिलता है, रोजाना उन्हीं का खेल है।

श्री सभापति— मांगों के ऊपर ही बोलेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, चंबल कार्य, देखा जाय तो राजस्थान के नक्शे को पलटने वाला है, पर इसका काम कैसी प्रगति कर रहा है; क्या उस प्रगति को देखते हुए हम यह आशा कर सकते हैं कि जो निश्चित अवधि रखी गई है उसमें काम पूरा हो जायगा? जो काम चल रहा है उसके बारे में आम जनता में किस प्रकार के विचार घर कर रहें हैं, माननीय मन्त्री महोदय को खास तौर से इस ओर ध्यान देना चाहिये। चम्बल में इस वक्त जिस तरह का कार्य चल रहा है उसको देखते हुए, हो सकता है उनकी धारणा हो कि निश्चित अवधि में काम पूरा हो जायगा, परन्तु जिस तरह से काम चल रहा है, उसको देखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती। नियुक्ति साधन, मशीनरी, सरकारी अफसरों का सहयोग और दूसरी तरह के साधन हैं, वे नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि आज अखबारों में, आज चम्बल के सम्बन्ध में, इस तरह की गलतफहमी फैलाने वाली बातें पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार के भले कामों के बारे में जनता में भ्रान्ति हो तो सरकार अपनी अल्प बचत योजना में १० करोड़ रुपया एकत्रित होने की आशा कैसे कर सकती है? यदि राजस्थान सरकार चम्बल के कार्य के लिये जनता से १० करोड़ रुपयों में से १० करोड़ रुपया लेना चाहती है तो सरकार जनता में विश्वास पैदा कराये कि जो कार्य चम्बल में हो रहा है वह ठीक तरह से हो रहा है।

मैं इस बारे में दो व्यावहारिक सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह कि चम्बल में जो काम हो रहा है उससे कोटा में किस तरह की जमीन में किस तरह की पैदावार होगी, कहां मंडियां बनेंगी, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता हो सकती है, इस प्रकार की एक चीज जनता की जानकारी के लिये बननी चाहिये, पर सरकार की ओर से ऐसी कोई चीज नहीं बनी है। मैं सिचाई-मंत्री, मुख्य मंत्री और अर्थ-मंत्री से अपील करूंगा कि जिस प्रकार का कार्य हो रहा है उसके बारे में जो लोग पर्याप्त जानकारी लेना चाहते हैं उन्हें पूरी जानकारी मिल सके, इस प्रकार का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। गांधीसागर में ५० फी सदी खर्चा देने जा रहे हैं तो हमें पॉवर कितनी मिलेगी, इसकी सर्वे की भी शुरुआत नहीं हुई है। भाखरा में देखते हैं तो लाइनों का काम शुरू हो रहा है, पर राजस्थान सरकार ने अभी तक लाइनों के बारे में सर्वे भी नहीं कराई है। यह सरकार की ओर से कहा गया है कि दो साल में गांधीसागर का काम पूरा हो जायगा और पॉवर मिल सकती है, तो समझ में नहीं आता कि क्या बिजली का बटन दबाते ही सब जगह लाइनें डल जायेंगी और एक-दम सब जगह बिजली मिल जायगी? मैं तो यह नहीं समझता। लाइनें डालनी शुरू कर देनी चाहिये, पर इसके लिये बजट में कोई प्रोविजन नहीं रखा है।

आये दिन चम्बल में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सुरंगों आदि से इतने बड़े कामों में दुर्घटना होना संभव है। पर उन मजदूरों को जो मेडिकल एड, सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। यही वजह है कि सस्ती नेतागिरी चाहने वाले चम्बल के काम में आते हैं और बाधा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में वहां यह प्रबन्ध करना और भी आवश्यक हो जाता है।

यही दो-एक मेरे सुझाव हैं, उनको रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—यह मांग संख्या ३५ है जिस पर कि यह कटौती का प्रस्ताव है और जिसके बारे में बहस हो रही है। यह कटौती प्रस्ताव श्री कस्तूरचन्दजी की तरफ से पेश हुआ है और एक और पेश होने को था पर पेश नहीं हो सका, मगर अध्यक्ष महोदय की इजाजत से दो-चार और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया और जो बातें उन माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान में सुझाई हैं उन पर अवश्य विचार किया जायगा।

अच्छा तो यह होता कि माननीय सदस्य विशेष बात या परिस्थिति की तरफ ध्यान दिलाते और उसके बारे में कटौती प्रस्ताव लाते तो हरेक बात के बारे में विस्तृत रूप से सूचना दी जाती। ऐसा नहीं किया गया, तो भी इस बारे में जो मुझे सामान्य जानकारी है वह सदन के सामने पेश करूंगा।

श्री कस्तूरचन्दजी ने मेजा बांध के बारे में चर्चा करने के लिए जो कटौती का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक बात कही जो यह है कि बांध की जब सर्वे की गई थी तो उसकी केपेसिटी बहुत ज्यादा बनाई गई थी पर बाद में उसको घटाकर कम कर दी गई, जिससे इसके आस-पास के लोगों को सिंचाई के जो साधन उपलब्ध हो सकते थे वे अब नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक विशेष जागीरदार की जमीन और तालाब इसमें आ रहे थे और सरकार वह नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया गया। माननीय सदस्य को विदित है कि मेजा बांध के बारे में एक दफा नहीं कई दफा सर्वे हो चुकी है और हर सर्वे का नतीजा यही निकलता है कि जो स्कीम अभी बनी हुई है वह बिल्कुल ठीक है और इससे ज्यादा उसको बढ़ाया जाता तो वह इकोनॉमिक नहीं होता और दूसरी तरह से व्यय ज्यादा होता और अगर इस बांध को ज्यादा बड़ा बनाया जाता है तो भी पानी का कोई ज्यादा फायदा नही होता। जितना बड़ा एनकैचमेंट एरिया है उसको देखते हुए यह उपयुक्त माना गया है कि जितनी केपेसिटी है उससे ज्यादा नही बढ़ाया जावे। कई इन्जीनियरों की यही राय रही। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को जो मैंने कहा है उससे संतोष हो गया होगा और जो किया गया है वह टैक्निकल एडवाइज से किया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को या जागीरदार को फायदा पहुंचने की गर्ज से किया गया है और न कोई किसी के फायदे के लिये स्कीम बदली गई।

दूसरी बात एक सोनपुरा और दूसरे दो तालाबों के सम्बन्ध में कही है और उनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि एप्लीकेशन्स आई और उन पर जांच हो रही है, इसलिये निश्चित तौर से उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन में उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी जांच होगी और कार्यवाही की जावेगी।

इसके बाद माननीय सदस्य श्री श्रीदास गोयल ने इस कटौती के प्रस्ताव पर भाषण दिया और दो-चार जनरल बातें कहीं। उन्होंने कहा था कि सिंचाई की जो जो योजनाएं अपने राज्य में चल रही हैं उनके बारे में प्रगति संतोषजनक नहीं है और हमें उसे बढ़ाना चाहिये। इस बारे में सिंचाई पर पिछले तीन वर्षों से जो खर्चा हो रहा है, वह वाकई ज्यादा नहीं है। इसके कई कारण थे। इसके बारे में सदन में कई चर्चाएं हुई। इसके बारे में चम्बल और भाखरा का जिक्र किया कि काम पूरा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये था। यह कहा जाता है कि काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, मशीनरी नहीं आई। इसके कई कारण हैं। इसके लिये एक कन्ट्रोल बोर्ड कायम किया

[श्री रामनिवास मिर्धा]

हुआ है, वह सब सामान की सैंक्शन देता है। उसको सैंक्शन आने के बाद कोई देरी नहीं की गई और इसलिये सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो प्रगति हुई है वह संतोष-जनक हुई है और जो बजट पेश किया है उसमें बहुत रकम बढ़ा दी गई है और जो सिंचाई के लिये टार्जेट पंचवर्षीय योजना में मुकर्रर किया गया है उससे काफी सिंचाई के साधनों में बढ़ती होगी।

उन्होंने विशेष तालाबों के बारे में ज़िक्र किया। उसके बारे में जांच करावेंगे और उसके बाद क्या कार्यवाही करनी चाहिये वह की जा सकती है। उसके बाद माननीय सदस्य श्री हंसराजजी जो भाखरा से आते हैं उनको इस सम्बन्ध में जानकारी भी है, कई बातें कहीं और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि पिछले दो-तीन मिनिस्टरों ने वहां का दौरा नहीं किया, नहीं करते। मन्त्री वहां जायें या नहीं जायें, उसकी वजह से काम वहां पर नहीं हो रहा है, यह कहना ठीक नहीं।

श्री हंसराज—मैंने यह नहीं कहा कि सिंचाई मन्त्री ने वहां का दौरा नहीं किया। मैंने तो कहा कि वहां तक आए, मगर फिर भी...

श्री रामनिवास मिर्धा—किसी विशेष ब्रांच में गये या नहीं गये, इसका कोई असर नहीं पड़ता। यह एक पूरी स्कीम है उस पर गौर करना है।

उन्होंने कुछ इन्स्टान्सेज़ दिये और बताया कि किसी जगह सीमेन्ट पड़ी हुई है, मकान किसानों के खेत में बनाये गये हैं हालांकि सरकार की जमीन मौजूद थी, खुदाई ठीक तरह से नहीं हो रही है। मैं यह कहूंगा कि ये तो ऐसी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यह बताया जाता कि अमुक-अमुक जगह यह काम हुआ और अमुक जगह यह काम नहीं हुआ तो उसकी ठीक तौर से जांच कराई जा सकती है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि विशेष बात वे बतावेंगे तो कार्यवाही की जावेगी। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे टार्जेट के माफिक कार्यवाही वहां हो रही है।

श्री हंसराज आर्य—माननीय चेयरमेन, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। वहां के इंजीनियर को वहां से जांच करके हटाया गया था।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने कहा कि पहले इस प्रकार की कोई कार्यवाही हुई होगी और उनके खिलाफ शिकायत होने पर जांच की गई और उनको वहां से हटा दिया गया। वे आज वहां पर नहीं हैं। बाद में इंजीनियर वहां पर आये हैं, उनसे काफी प्रगति हुई है और उससे माननीय सदस्य को संतोष होगा।

उन्होंने एक बहुत ही दुःखद घटना का जिक्र किया कि एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि यह मामला पुलिस का है, लेकिन चूंकि यह नहर के विभाग से सम्बन्ध रखता है, इसको पुलिस में जांच के लिये भेजा है और आइ० जी० पी० को इसके बारे में एक स्ट्रौंग नोट भेजा है कि वे इसकी जांच पूरी तरहकरें। अगर इसी तरह की घटना होती रही तो लोगों का विश्वास

[श्री रामनिवास मिर्धा]

टूट जावेगा और सरकार को चाहिये कि इसका पता लगाए कि किसकी गलती है जांच के बाद में ही यह कहा जा सकता है कि किसकी गलती है। मुझे आशा है कि पुलिस और सिंचाई विभाग की तरफ से जांच करवाई जावेगी और जो कोई गलती में साबित होगा, उसको सजा दी जावेगी। इसके लिये मैं पूर्ण रूप से आश्वासन देने के लिये तैयार हूं।

एक बात उन्होंने यह बताई कि नहर की खुदाई ठीक तरह से नहीं हो रही है और ट्रेनर्स ठीक तरह से नहीं बनती हैं। मैं यह कहूंगा कि जो टार्जेट मुकर्रर किया था उसके मुताबिक काम ठीक तरह से चल रहा है और गई साल जितना पानी मिला, आशा है उससे ज्यादा पानी इस साल सिंचाई के लिये मिलेगा और गये साल से करीब-करीब दुगुना पानी मिल सकेगा और जितना पानी पंजाब से मिलेगा उसका पूरे तौर से उपोयग किया जावेगा, जहां तक इसकी सिंचाई का ताल्लुक है।

इस जिले में कोई योजना ली गई या नहीं ली गई यह बताना तो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जिलेवार इस तरह से चलें तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो जायगी कि किस जिले में कितना काम हुआ है और किस जिले में कितना काम नहीं हुआ है ? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पचास तालाब किसी जिले में हैं और किसी जिले में बिल्कुल नहीं हैं तो सरकार के लिए निश्चय करना बड़ा मुश्किल होगा कि किस काम को पहले लें और किसको बाद में। कोई इलाका ऐसा है कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है और दूसरी ओर कई गांव ऐसे हैं कि जहां सिंचाई के साधन हैं और वे लोग चाहते हैं कि और भी बढ़ाओ; यह स्वाभाविक है कि वे उम्मीद रखते हैं कि साधन और बढ़ाये जायं, लेकिन क्या वे नहीं चाहते हैं कि जिनके यहां काम नहीं हुआ है उस इलाके में भी नये सिंचाई के काम दिये जांय। इसलिए दो विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय करना है और यह निश्चय करना है कि किसको पहले लिया जाय और किसको बाद में।

सर्वे के बारे में कहा, उसके लिए मैं कहूं कि सर्वे करायी जायगी। जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, बजट की पोजिशन को देखते हुए और महकमे के हाथ में जो काम है उसको देखते हुए सर्वे आगे कराई जायगी। एक जनरल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर्वे के सम्बन्ध में कहा गया कि पचास तालाबों की सूची दी है उनकी सर्वे कराई जाय और बाद में जो काम उपयुक्त हों, उनको लिया जाय या नहीं लिया जाय। सर्वे की स्थिति यह है कि राजस्थान में एक सर्वे डिविजन है और उसमें तीन सब-डिविजन हैं। उदयपुर में इसका हैड क्वार्टर है और दो विभाग उधर ही काम करते हैं। एक सब-डिविजन सिरोही में भेज दिया गया है ताकि आस-पास के इलाकों में जो योजनायें हैं, उनका सर्वे किया जाय। इस डिविजन के पास सर्वे का काफी काम है और जो लोगों की मांग आती है उनकी जांच नहीं की जा सकती है। हम ऐसा उपाय कर रहे हैं कि सिरोही का स्टाफ बढ़ाया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आते हैं और दूसरे महानुभावों की तरफ से आते हैं, उनकी पूर्णतया जानकारी की जाय और प्रायोरिटीज़ के मुताबिक काम किया जाय।

श्री सुगनचन्दजी ने प्रतापसागर डेम के लिए कहा और श्री जेलिया भी बोले थे। उन्होंने

[श्री रामनिवास मिर्धा]

चम्बल योजना के बारे में कहा था और खास कर प्रतापसागर डेम के बारे में प्रगति नहीं हुई, उसके बारे में कहा। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट राजस्थान और मध्यभारत सरकारों ने बनायी और उसको केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया जिसको उन्होंने एप्रूव किया। अब धारणा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की यह बनी कि बिजली के लोड को देखते हुए यह मुनासिब नहीं होगा कि पहली स्टेज में प्रतापसागर डेम को लिया जाय। इस विषय पर अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रतापसागर डेम पर कोई काम नहीं हुआ है। कुछ क्वार्टर्स बने हैं, बोरिंग हुआ है लेकिन यह तो नहीं कह सकते कि कोई खास काम डेम पर बनाया है। ऐसी भी बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने जो योजना है उसको एप्रूव नहीं किया हो, अभी बातचीत चल रही है कि प्रतापसागर डेम को ड्रॉप नहीं किया जाय जैसा कि पहले निश्चय किया था, बल्कि उसको साथ ही लिया जाय। प्रतापसागर डेम पॉवर डेम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सर्वे किया गया है, उसमे मालूम होता है कि गांधीसागर डेम से इलेक्ट्रिसिटी आयगी वह इस इलाके के लोड को देखते हुए, भविष्य में और जो एस्टीमेट किया जा सकता है, उसको भी देखते हुए वह काफी होगी। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने ऐसा सुझाव दिया है कि प्रतापसागर डेम को न लिया जाय। इस सम्बन्ध में एक कन्ट्रोल बोर्ड बनने वाला है जिसमें भारत सरकार, मध्यभारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होंगे और उस बोर्ड के सामने ये सब मामले रखे जायेंगे और उन मामलों पर टेक्निकल एडवाइस और फाइनेन्शियल आस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए विचार किया जावेगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैंने तो गांधीसागर डेम के लिए कहा था।

श्री रामनिवास मिर्धा—गांधीसागर डेम की स्थिति यह है कि मध्यभारत सरकार वहां काम कर रही है और कितना कितना कार्य हुआ है और कितना कितना खर्चा हुआ है, यह पता तब तक नहीं लग सकता, जब तक कि कन्ट्रोल बोर्ड न बन जाय। इस वक्त गांधीसागर डेम पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है। मध्यभारत सरकार काम कर रही है और सब ही उसके अन्तर्गत है। जब कन्ट्रोल बोर्ड बन जायगा और जब हमारे भी प्रतिनिधि उसमें होंगे तो पूछ सकेंगे कि कैसा डेम किस रियासत में है, किस योजना के अन्तर्गत आता है, क्या प्रगति कर रहा है और फिर यह कह सकेंगे कि क्या प्रगति है और कितना लाभ मिलेगा ?

उन्होंने बिजली के लिए कहा कि गांधीसागर डेम से बिजली आयगी। यह तय नहीं किया गया है [redacted] राजस्थान सरकार को कितनी बिजली मिलेगी। पूर्ण निश्चय तो जब कन्ट्रोल बोर्ड बन जायगा तब ही होगा। प्रेलिमिनेरी सर्वे की गई। उसकी सर्वे रिपोर्ट बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई। उसको जनरली एप्रूव किया है, लेकिन किसी विशेष लाइन के बारे में अभी राय नहीं दी है और विचार कर रहे हैं कि फिर से सर्वे किया जाय ताकि तय किया जा सके कि वह इकोनोमिकल होगा या नहीं। तो इस वक्त यह कहना कि इतनी बिजली आयगी और इतनी नहीं आयगी, ठीक नहीं है। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। चम्बल का कन्ट्रोल बोर्ड बन जायगा तो उसके सामने ये सब बातें रखी जावेंगी और हम आशा करते हैं कि बिजली के बारे में सब को संतोष होगा।

उन्होंने कहा कि चम्बल में बिजली का काम नहीं हुआ है। यह सही है कि कोई लाइन शुरू

[श्री रामनिवास मिर्धा]

नहीं हुई है, इसका मुख्य कारण यह है कि कन्ट्रोल बोर्ड बना नहीं और उसकी सेन्क्शन के बगैर इस इलाके में काम करना उचित नहीं। केन्द्रीय सरकार भी यह चाहती है कि जितने मसले हैं वे सब कन्ट्रोल बोर्ड के सामने रखे जांय ताकि फाइनेन्शियल और अन्य बातों को दृष्टि में रखकर पूरे चम्बल एरिया का नक्शा उनके सामने रहे। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि कन्ट्रोल बोर्ड बन जाय तब तक शांति रखें। कन्ट्रोल बोर्ड के सामने ये बातें आवेंगी तो निश्चय किया जायगा कि कौन सी लाइन किधर जायगी और तार किधर खींचने हैं।

भाखरा के मामले में बिजली की देरी इस वजह से हुई कि भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड ने देरी से इजाजत दी कि अब काम शुरू किया जाय। जहां तक मुझे याद है दिसम्बर में यह इजाजत आयी थी कि काम कर सकते हैं और इजाजत आते ही शिड्यूल ऑफ पावर्स जो चीफ इन्जीनियर के होने चाहिए थे और जिनके आने में भी देरी हुई थी, उनकी भी उसके साथ साथ सेन्क्शन आ गयी। उस पर उचित कार्यवाही की गई और जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि पॉवर बोर्ड बनाया गया और इसलिए बनाया गया कि जल्दी ही प्रगति हो। एस्टीमेट्स भी जल्दी से आ गये और काम जल्दी से शुरू हो गया। आशा यह की जाती है कि पंजाब की ओर से जो लाइनें आवेंगी उस वक्त तक अपनी लाइनें भी तैयार रहेंगी और सम्मिलित हो जावेंगी।

श्री **हंसराज**—दो बातों का उत्तर नहीं मिला है। एक तो किसानों की खेतों की जमीन को सरकार ने ले लिया और एक टंकी के बनाने में लाखों रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं ठहरता।

श्री रामनिवास मिर्धा—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं इन दोनों बातों के विषय में कह चुका हूं। मैंने यह बताया था कि यदि किसी मकान और टंकी के बारे में निश्चित रूप से बताया गया तो उसकी जांच की जायगी। वे यह निश्चित रूप से बतावें कि दूसरी जगह पर मकान बनाये जा सकते थे जब कि नहीं बनाये गये और किसानों के खेतों को ले लिया गया। मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि इस बात के लिए अवश्य ही इन्क्वायरी की जायगी।

श्री हंसराज—नोहर तहसील के एक गांव में ऐसा हुआ है।

श्री रामनिवास मिर्धा—चंबल के बारे में यह कहा गया कि वहां पर पानी के आने प[illegible] किस तरह की जमीन में किस प्रकार की खेती होगी, लोगों को किस तरह से इस बारे में एडवाइस दी जायगी, इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार इस बारे में जागरूक है। इसलिये सरकार ने सर्वे और सेटलमेन्ट का काम वैसे तो चल ही रहा है, किन्तु इसमें तेजी देने के लिये एक स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर करने का सुझाव रखा है। उस स्पेशल ऑफिसर की यह ड्यूटी होगी कि सर्वे और सेटलमेन्ट के कार्य को जल्दी करे ताकि बाद के अन्दर हम जब एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स के तौर पर काम करना शुरू कर दें तब यह पता लग सके कि यहां किस प्रकार की खेती हो सकती है। सर्वे और सेटलमेन्ट और कोलोनाइजेशन के लिये पूरी तरह से कार्यवाही की जा रही है। अगले साल तक और ज्यादा प्रगति होने की आशा है।

[श्री हंसराज आर्य]

चम्बल योजना के बारे में यह भी एक बात कही गई कि लोगों में इसके लिये कोई उत्साह नहीं है; इसलिये कई भ्रमात्मक बातें फैलाई जा रही हैं। स्माल सेविंग्ज सर्टिफिकेट के बारे में काफी जोरों से कार्य हो रहा है, आन्दोलन चल रहा है और हमारे राज्य ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया है। विशेष आवश्यकता यह है कि इसके पूरे डिटेल्स उनको मिल सकें। इसलिये जनता को चम्बल योजना के बारे में खास तौर से स्माल सेविंग स्कीम से किस तरह से फायदा पहुँच सकता है इस कार्य की वाइड पब्लिसिटी देने के लिये एक स्पेशल ऑफिसर को मुकर्रर किया गया है जो प्रोपोगेन्डा ऑफिसर की तरह इस चीज की वाइड पब्लिसिटी और प्रोपोगेन्डा करेगा, जनता को इससे होने वाले फायदों से अवगत करायेगा। जनता को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जानकारी दी जा सके, इसके लिये एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है ताकि ज्यों ज्यों काम बढ़ता जायगा जनता को भी पता होता जायगा और भ्रमात्मक बातों का खण्डन करने की कोशिश की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने इस मांग पर कटमोशन्स रखे हैं वे मेरे भाषण से सन्तुष्ट होंगे और अपने कटमोशन्स वापिस लेने की कृपा करेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—चम्बल पर जो मजदूर लोग काम करते हैं उसके बारे में मैंने जो बातें कही हैं क्या आप उसका भी खुलासा करेंगे?

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमेन, सिंचाई मंत्रीजी ने जो कटौती के प्रस्तावों का जवाब दिया है उससे मुझे थोड़ा सन्तोष हुआ है, मेरे कटौती प्रस्ताव के उत्तर में जवाब दिया वह मुझे बहुत संतोषजनक मालूम हुआ। उन्होंने मेरे क्षेत्र में निवासिया के बन्ध के बारे में जो आश्वासन दिया, उसके लिए मैं जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हुआ अभिनन्दन करता हूं और मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने के लिये सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति (डॉ० श्री मंगलसिंह)—मांग संख्या ३५ मेजर हैड ६८–सिंचन, नौचालन आदि के संबन्ध में १०,३५,०१,००० रू० की जो मांग की गई है उस पर श्री कस्तूरचन्द ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको वे वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है कि उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कस्तूरचन्द—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि–मांग संख्या ३५ मेजर हैड ६८–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल-निकास निर्माण-कार्य आदि के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५९, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १०,३५,०१,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

मांग संख्या २८-दुर्भिक्ष

श्री कुम्भाराम आर्य—चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या २८, मेजर हैड ५४-दुर्भिक्ष के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४१,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री तनसिंह अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(अनुपस्थित)
श्री खेतसिंह।
(अनुपस्थित)
श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात—मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष में १) रु० मात्र की कटौती की कटौती की जावे (उदयपुर डिविजन के कई क्षेत्रों में दुर्भिक्ष होने पर भी सहायता-कार्य चालू नहीं करने पर वाद-विवाद के हेतु)।"

चेयरमेन महोदय, कटौती का प्रस्ताव रखने का मेरा मतलब अकालग्रस्त क्षेत्रों को सहायता दिलाने का है। चेयरमेन महोदय, वैसे तो सारे राजस्थान में समय समय पर अकाल पड़ता ही रहता है, लेकिन खासकर उदयपुर डिविजन में हर वर्ष अकाल किसी न किसी गांव में पड़ता ही रहता है। इस वर्ष उदयपुर डिविजन के खैरवाड़ा तहसील में देवपुरी, वलीच, अमरपुरा गांव में अकाल घोषित हुआ है। इन गांवों के नाम गजट में सरकारी रूप से निकले भी हैं।

चेयरमेन महोदय, अधिक टाइम न लेता हुआ सिर्फ थोड़े समय में ही मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां जब से अकाल पड़ना शुरू हुआ तभी से इस डिविजन में हर साल यह समस्या आती है कि कभी अतिवृष्टि के कारण और कभी अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ता ही रहता है। अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया है और न हमारी सरकार इस समस्या का हल करने का सोच ही रही है। इसलिये, चेयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र इस ओर ध्यान देकर इन गांवों में राहत-कार्य खोले। चेयरमेन महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से इन गांवों में अकाल पड़ा है तभी से इन गांवों के लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पटवारियों से, तहसीलदारों से, एस० डी० ओ० और कलेक्टर साहबान से कहा कि हमारे यहां अकाल पड़ गया है हमें इसमें राहत दी जानी चाहिये और कोई काम-धंधा दिलवाया जावे ताकि हम लोग अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। लेकिन चेयरमेन महोदय, उन पटवारियों, तहसीलदारों और कलेक्टर महोदय ने, किसी ने भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी कारण उदयपुर डिविजन के बहुत कम गांवों में अकाल घोषित हुआ है। इसके अलावा माननीय चेयरमेन महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां हर साल अकाल पड़ता रहता है, इसलिये

[श्री लक्ष्मण हीरात]

अकाल से इस क्षेत्र को बचाने के लिये वहां जो छोटे-छोटे बांध हैं, वहां के नदी-नाले हैं, वहां पर ऐसे बान्ध हैं, जिनसे अधिक से अधिक सिंचाई हो सकती है, ऐसे बांधों को बांधकर अकाल-पीड़ित क्षेत्र के गांवों की सहायता करनी चाहिये और इसके साथ और भी कृषि-सहायता के लिए बांध बांधे जायें तो वहां जो अकाल पड़ता रहता है इस समस्या का हल हो जायगा। अधिक न कहकर मैं संबन्धित मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस ओर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देकर उन लोगों को राहत-कार्य दिलायें।

श्री कस्तूरचन्द—चेयरमेन महोदय, जैसा कि श्रीलक्ष्मणजी ने कट-मोशन के सिलसिले में कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं भी जिला भीलवाड़ा के बारे में अर्ज करूंगा। चेयरमेन महोदय, अकाल लेवी के लिए जो बजट हाउस में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने रक्खा उसके बारे में कुछ विचार प्रकट करूंगा कि जिला भीलवाड़ा में भी अकाल की कुछ कुछ छाया पड़ी है जिसके लिए सरकार ने विगत तीन सालों के अन्दर किसी भी रूप में कोई सहायता नहीं दी।

मैं आपको बताऊं चेयरमेन महोदय, कि इस ५४–५५ के साल में टिड्डियों ने उधर की तरफ इतने जोर से आक्रमण किया कि पेड़ के पेड़ टूट गये और उन्होंने फसलों को इतना उजाड़ किया कि जिसके लिए माननीय चेयरमेन साहब, मैं बताऊं कि काफी भारी हानि फसलों की हुई। इसके लिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि और अधिक संख्या में हमारे जिले में टिड्डीमारों को भेजें। कलेक्टर साहब, तहसीलदार और इसका सारा विभाग इसके लिए काम करता है, लोगों को बुलाकर उनसे भी काम लेता है, पर मेरा कहना यह है कि कलेक्टर हों, तहसीलदार हों, एस०डी०एम० हों, कोई साहब हों, खुद भी इस काम में हिस्सा लें। केवल अपने आदमियों के भरोसे पर न रहें। उनके भरोसे पर रहने से हमारी सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है।

रायला में फसलों का टिड्डियों ने बहुत उजाड़ किया। इसके लिए हमने राजस्व-मन्त्रीजी से प्रार्थना की सहायता के लिए, कुछ रकम देने के लिए, पर उन लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में माननीय चेयरमेन महोदय, आपकी मार्फत मैं मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वे इस तरफ भी ध्यान दें।

श्री सभापति (डा० मंगलसिंह)—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरीसिंह।

श्री ईश्वरीसिंह—अकाल के भविष्य में मैं भी थोड़ी जानकारी देता हूं। हमारे सीकर इलाके में बहुत बड़ा कहत हुआ। श्रावण में वर्षा हुई, बाद में २॥ महीने बरसात नहीं हुई। बाद में सीकर, झुंझुनू इलाकों में अकाल घोषित कर दिया। कई जगह बाद में बरसात हुई, कई जगह नहीं हुई।

[श्री ईश्वरीसिंह]

सरकार की तरफ से छूट दी गई, वह इस रीति से दी गई कि वैसा न देखने में पहले कभी न आया, न आयगा। जो ५०० गांव उस ठिकाने में हैं उनमें से १०८ गांवों में छूट दी गई। किस तरह दी गई अब यह। वहां दो तहसीलें हैं। सीकर तहसील में तो एक गांव में छूट नहीं दी २५ कोस में। दूसरे में छूट दी गई। जहां बरसात नहीं हुई वहां छूट नहीं दी गई, जहां हुई वहां दे दी गई। कल्याणकारी राज्य का नारा लगाते हैं, पर इस बात की जांच की जावे तो पता लगे कि कैसा कल्याणकारी यह राज्य है।

राजप्रमुख के भाषण में कहा गया कि कुदरत ने भी साथ दिया। पर इतना ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने कुदरत को हाथ में ले लिया। रावण और कंस-सरीखों के जो कुदरत हाथ नहीं आई, आज इस जमाने में हमारी इस कल्याणकारी सरकार ने कुदरत को हाथ में ले लिया। चार गांव हैं उनको छूट दे दी गई और बीच के एक गांव को नहीं दी गई। एक सेर नाज इस साल जहां नहीं हुआ वहां तो छूट नहीं दी गई बरसात कर दी गई। जहां थोड़ा अच्छा नाज पैदा हुआ और बरसात भी हुई, वहां यह बन्द कर दी गई सरकार की तरफ से और उनको छूट दे दी। अगर इसकी पूरी पूरी जांच की जावे तो आज के प्रजातन्त्र का नक्शा सामने आ जावे। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हंसराज आर्य—सभापति महोदय...

श्री सभापति (डा० मंगलसिंह)—श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविजन से आने वाले सदस्य महोदय ने कहत के गांवोंमें कार्य शुरू करने और आयन्दा कहत नहीं पड़ने देने के बारे में अपने विचार रक्खे हैं। इन विचारों में बरसात से जो कहतसाली हो जाती है उसकी रोक-थाम के लिए भी उन्होंने इच्छा प्रकट की है। मैं समझता हूं कि बरसात से जो कहतसाली होती है उसकी रोक-थाम सम्भव नहीं है। बादल किसी के बस के नहीं होते। वे न जाने कब बरस जावें और उससे खेत को कितना नुकसान हो पर जो पानी की कमी की वजह से कहीं कहतसाली पड़ रही है या पड़ती है तो उसकी रोक-थाम के लिए सरकार प्रयत्न कर सकती है। जहां तक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का सम्बन्ध है वहां नदी-नाले सब से अधिक पाये जाते हैं और जिन तीन गांवों के नाम खास तौर से लिये गये कि उनमें काम शुरू नहीं किया गया है, उसके लिये मैं बतला देना चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष को १० हजार रुपये स्वीकृत करके भेज दिये गये हैं और उन १० हजार में से करीब ६ हजार रुपये उन्होंने खर्च भी कर दिये हैं और ४ हजार की उनकी मांग आई है वह भी जल्दी ही पूरी कर दी जावेगी। आगे इन गांवों के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी वह सरकार देने की कोशिश करेगी।

दूसरे, एक-दो सदस्य और भी हैं जिनको कहतसाली के बारे में आपत्ति हुई। एक तो टिड्डी को लेकर कहा गया और दूसरा बरसात को काबू में करने का अलंकार भी दिया है। मैं उन अलंकार देने वाले महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हाउस में सबसे पहले जानकारी दी उस वक्त भी मैंने उनकी सेवा में निवेदन किया था कि इस प्रकार की जानकारी इससे पहले दी जाती या

[श्री कुम्भाराम आर्य]

समय पर दे दी जाती तो उस बात की जांच हो सकती थी। अब बहुत समय निकल गया और आज खेतों में चाहे किसी के कुछ पैदा हुआ हो या नहीं हुआ हो रेगिस्तान प्रदेश होने से बालू के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी हालत में आज के दिन यह कह देना कि एक खेत में पैदावार हुई दूसरे में नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। उस समय भी मैंने सदस्य महोदय से निवेदन किया था। जब कि मैं उस इलाके में दौरा करने के लिए गया तो सदस्य महोदय मुझ से मिले थे और हम करीब घन्टा, डेढ घन्टा एक जगह बैठे भी रहे थे, लेकिन उस वक्त इस बात की शिकायत उनकी ओर से मेरे सामने नहीं पेश की गई। अगर वह उस वक्त पेश कर दी जाती तो वह ठीक कर ली जाती...

श्री ईश्वरीसिंह—उंनाने कह्यो के पंचायतरो काम करणे आयो हूं, तो पंचायतरे सिवाय बोल्या नहीं करे, तो कैसे कह दें। इस बात को देखणे को उनको फर्ज थो। एक आदमी एक वखत में एक काम थोड़े ही करे है सैंकड़ों काम होवे है। तीन महीना में सब खाली हो गयो।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, दुबारा भाषण हो रहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि उन पर कुछ नहीं कहने की कोई पाबन्दी नहीं थी और न इस तरह की वहां पर कोई बात थी और कम से कम ५-६ घण्टे से ज्यादा मैं सीकर में ठहरा था। मीटिंग की बात कह कर यह टाल दें कि मीटिंग में हम कुछ नहीं कह सकते थे, तो मीटिंग के बाद तो एक रात पूरी मैं वहां रहा हूं और आधा दिन पूरा वहां रहा हूं। इस हिसाब से १८ घण्टे सीकर में रहा। १८ घण्टे तक मैं सीकर में रहा, लेकिन इस तरह की कोई शिकायत नहीं की और यह कहना कि हम पर पाबन्दी थी, शिकायत नहीं कर सकते थे तो वे मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां टिड्डियों का सवाल है, तो टिड्डियों के बारे में जिन सदस्य महोदयों ने शंका पैदा की है वे आयन्दा जब आयें और वक्त पर जानकारी देंगे तो टिड्डियों को काबू में कर लेने की सरकार कोशिश करेगी।

उदयपुर में १७ गांवों में कहतसाली है, उनमें काम हो रहा है और किसी गांव में और काम की आवश्यकता है तो वहां काम शुरू करवाया जायगा इस थोड़े से आश्वासन से, मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय को सन्तोष होगा और वह अपना प्रस्ताव वापिस लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हंसराज आर्य—मैं माननीय मित्र के कहने पर एक दोहा कहता हूं, जो कि अकाल का बताया गया है। वह इस प्रकार है :—

पग पूङ्गल धड मेड़ते बाहू बाहड़मेर,
फिरतो फिरतो वरसलपुर टावो जैसलमेर।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय के आश्वासन के बाद मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति (डॉ० श्री मंगलसिंह)—मांग संख्या २८, शीर्षक ५४ के अन्दर जो मांग पेश की गई है उस पर श्री हीरात का जो कटौती प्रस्ताव है, वे उसको वापिस लेने आज्ञा मांगते हैं। क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री लक्ष्मण हीरात—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष स्वीकार की जाय।

एक माननीय सदस्य—वह कितने की मांग है, पढ़ दीजिये।

श्री सभापति—४१,५२,००० रु०। क्या सदन को यह स्वीकार है या इसके विरोध में भी कोई साहब हैं ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

श्री सभापति—जिन सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव दिया है, वे सदस्य तो सदस्य में उपस्थित नहीं रहते हैं और जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया है उनमें से अधिकतर बोलना चाहते हैं। यह बड़ी कठिन बात है। जो कटौती के प्रस्ताव दें उनको आकर बोलना चाहिए और जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनको कटौती के प्रस्ताव देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी एक-दो बोलें तो ठीक है। लेकिन हरएक कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहेंगे तो समय की बड़ी कठिनाई होगी। मैं समझता हूं कि सदस्य लोग इसका ध्यान रखेंगे।

श्री हंसराज आर्य—माननीय सभापति, आप डॉक्टर हैं और उदार हैं इसलिए थोड़ा समय देना चाहिए।

श्री सभापति—मैं यहां पर डॉक्टर के हिसाब से नहीं हूं।

मांग संख्या २४—विविध विभाग

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिए मांग संख्या २७, मेजर हैड ४७, विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वर्ष वाले में किये जाने वाले......

श्री गोपीलाल यादव—सुनाई नहीं दे रहा है साहब।

Page No.55

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिए मांग संख्या २७, मेजर हैड ४७, विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६०,०२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति—श्री तेजमल बापना।

श्री जवानसिंह—ऐसी तो अभी कोई मांग प्रस्तुत की गई है ?

श्री सभापति—यह २४ है या २७ ? २४ हो सकती है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे पास जो टाइप किया हुआ आया है, उसमें २७ नजर आया है। मांग संख्या २४ है।

श्री तेजमल बापना—सभापति महोदय, मांग संख्या २४ के सम्बन्ध में मेरा जो कटौती प्रस्ताव है, वह इस प्रकार है :—

"That the Demand No. XXIV, Major Head 47-Miscellaneous Department be reduced by Re. 1/- (to discuss the miserable condition of the Labour)."

श्री सभापति महोदय, आज भारतवर्ष का जो नक्शा बदलने वाला है उसका बहुत ज्यादा हिस्सा हमारे यहां इन्डस्ट्रियलाइजेशन पर निर्भर है। हमको अधिक उत्पादन करना है। यही आज हमारा नारा है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां-जहां भी गये हैं अपने भाषणों में उन्होंने यही कहा है कि उन्हें जो तरक्की करनी है, इङ्गलेण्ड, अमेरिका या दुनिया के दूसरे देशों ने जिस काम को सौ या डेढ़ सौ वर्षों में नहीं किया या नहीं कर सके हैं, हमें वही काम १० वर्षों में पूरा करना है। यह तभी हो सकेगा जब कि हम हमारे यहां की जो इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको काफी प्रोत्साहन दें। इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ श्रमिकों की जो स्थिति है उस ओर भी ध्यान देना कम जरूरी नहीं है। आज हम यदि भारतवर्ष के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि हमारे यहां के श्रमिकों की क्या प्रगति रही है और उनकी अब क्या स्थिति है ? इसके साथ-साथ राजस्थान की ओर ध्यान दें तो मालूम होगा कि राजस्थान के श्रमिक जो प्रगति कर रहे हैं वह बहुत ही धीमी है। यहां के श्रमिक काफी पिछड़े हुए हैं और यहां के श्रमिक काफी परेशान हैं। यहां के श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं वे महीने ६ महीनों में तो क्या काफी समय से नहीं सुलझ पा रही है। तो हम किस प्रकार हमारे यहां के श्रमिकों की स्थिति सुधार सकते हैं। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद यहां के श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पहले जब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेन्ट थी तब इण्डस्ट्रियलिस्ट्स पर काफी दबाब रहता था और प्रोब्लेम्स बहुत जल्दी सुलझ जाया करती थीं, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। आज की स्थिति में चार-चार साल तक मांग पूरी नहीं हो पाती है। भीलवाड़ा की लेबर प्रोब्लेम आज से नहीं, चार-पांच वर्ष से पुरानी है। यहां के श्रमिकों को इंडस्ट्रियलिस्ट काफी परेशान करते है और कोई भी मांग पूरी नहीं करते हैं।

[श्री तेजमल आपना]

आज उन श्रमिकों का मोरेल काफी वीक हो चुका है और उनकी स्थिति काफी वीक हो चुकी है। उत्पादन में भी काफी खामियां हैं, काफी स्ट्राइक्स और लॉक आउट्स होते हैं। जो तरीका बताया गया है कि स्ट्राइक्स किस तरह से होने चाहिये वह तरीका पूरी तरह से नहीं अपनाया जाता है। हमारे यहां ट्रेड यूनियन्स जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हैं। बहुत सी जगह हैं भी और काफी मजदूर उनके सदस्य है लेकिन जो कानून है वह अपर्याप्त है और उसके आधार पर कई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स शुरू की श्रेणी में प्रथम बार ही समाप्त नहीं होते है और इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। ट्रिब्यूनल में ४-५ साल लग जाते हैं और जल्दी लाभ नहीं मिलता है। इससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और संगठनशक्ति को आघात पहुँचता है। चेयरमेन महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि जो मुख्य कारण इन डिस्प्यूट्स के होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक तो इकोनॉमिक और दूसरे नॉन इकोनॉमिक लेकिन जितने भी झगड़े होते हैं वे इकोनॉमिक कारणों से होते हैं जिनमें वेतन, बोनस, वर्किंग अवर्स, डियरनेस एलाउन्स आदि कई मसले होते हैं। बार-बार साल तक बोनस के मसले तय नहीं हो पाये हैं। ऐसी हालत में कहां तक श्रमिक अपने अधिकारों पर विश्वास बनाये रह सकता है। इसी आधार पर कई जगह स्ट्राइक्स हुई हैं और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी ही स्थिति सुधर जायगी और मांग पूरी हो जायगी लेकिन आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। एक श्रमिक एक केपिटेलिस्ट का कैसे मुकाबला कर सकता है; चेयरमेन महोदय, यह आपके और मंत्रीजी के ध्यान देने लायक बात है। वे लोग साधनसंपन्न हैं और एक मुकदमे में हजारों रुपये खर्च कर सकते हैं और लेबरर्स एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। इतने लम्बे समय तक डिस्प्यूट्स चलते हैं तो वह श्रमिक संगठन के लिये उचित नहीं मालूम पड़ते हैं। हमारे यहां के लेबर समाज की स्थिति से आप काफी परिचित हैं। अभी मुझे एक पुस्तक की कॉपी मिली है जिसमें राजस्थान के श्रमिकों की स्थिति पर बुलेटिन निकला है। इसमें बतलाया गया है कि यहा श्रमिकों का केन्द्र खुला है और उससे श्रमिकों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को काफी धनराशि दी है जिससे जगह-जगह होस्पिटल्स और केन्द्र खुल रहे हैं जिनमें कई तरह की एक्टीविटीज़ होंगी। इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा, चेयरमेन महोदय कि जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं, उनका जब तक तस्फिया नहीं होगा तब तक लेबर की कंडीशन सुधरने वाली नहीं है।

चेयरमेन महोदय, आज जो उत्पादन में कमी हो रही है वह केवल इंडस्ट्रियलिस्ट्स की पॉलिसी के कारण है। वे चाहते हैं कि किस प्रकार अधिक से अधिक मुनाफा अपने हिस्से में रखें और कैसे कम से कम श्रमिकों को दिया जाय। यह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विपरीत चीज है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आधार पर चलते हैं वे बहुत जल्दी इस बात का ध्यान देते हैं कि श्रमिकों की हालत अच्छी हो, श्रमिकों के डिस्प्यूट्स जल्दी खत्म हों। इसी आधार पर चलने से देश प्रगति करता है। लेकिन हमारे यहां कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। ऐसा जरूरी कानून बनना चाहिये, वह नहीं बना। इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेशन एक्ट भी लागू नहीं किया गया। हमारे यहां जो एक्ट है उसकी प्रगति धीमी है। एक डिस्प्यूट होता है तो मुकद्दमा लगाकर परेशान करते हैं। मेनेजमेंट जब कोई गलती करता है तो कई केसेज़ ट्रेड यूनियन्स बनाकर गवर्नमेंट के पास भेजती है, लेकिन गवर्नमेंट जल्दी ही उस पर कोई

Page No.57

[श्री तेजमल बापना]

कार्यवाही नहीं करती है। गवर्नमेन्ट को चाहिये कि जितने भी केसेज़ हैं उनका फैसला जल्दी से जल्दी करे। यदि नहीं कर सकती है तो ट्रिब्यूनल के सामने पेश करे। यदि श्रमिकों की हालत ठीक होगी तो श्रमिक बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। भीलवाड़ा की जो पोजिशन है वह जल्दी से जल्दी ठीक की जायगी, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी जो कटौती प्रस्ताव श्री बापनाजी ने रखा उसका मैं समर्थन करता हुआ आपके जरिये......

श्री चांदमल मेहता—पहले कटौती प्रस्ताव तो पेश हो जाय।

श्री कस्तूरचन्द–(भाषण जारी रखते हुए) आपके जरिये प्रार्थना करूंगा कि जब फॉर्मर राजस्थान बना था तब हमारे लेबर मिनिस्टर साहब, श्री सुखाड़िया जी साहब ने सुखाड़िया एवार्ड जो बनाया उस वक्त हमारे भीलवाड़ा के मिल मजदूरों को २५ रु० मासिक मिलते थे। श्री सुखाड़ियाजी ने जब एवार्ड बनाया, जिसे सुखाड़िया एवार्ड बोलते हैं, तब २५ से ५४ रुपये मजदूरों की कम से कम तनख्वाह बनाई। हमारे मजदूर उन सुखाड़िया साहब की इस बात के ऋणी हैं कि उनके पेट की रोटी का सवाल था उसको उन्होंने हल किया, उसके लिए मजदूर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उन मालिकों ने मजदूरों का जो बोनस होता है, वह बोनस तब से लेकर अब तक उनको नहीं दिया है।......

श्री बृजसुन्दर शर्मा— माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या दूसरों का समर्थन कर रहे हैं?

श्री सभापति—आप अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये ही खड़े हुए हैं न?

श्री कस्तूरचन्द—मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री सभापति—यदि नहीं है तो बैठ जाइये। मेरे सामने आपका कटौती प्रस्ताव है।

श्री कस्तूरचन्द—मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

श्री जवानसिंह—आपके कटौती प्रस्ताव की संख्या क्या है?

श्री कस्तूरचन्द—१४६ नंबर है, लिस्ट नं० ५ में।

मैं जो विचार पेश कर रहा हूं उसमें मुझे बार बार टोकते हैं सो मैं भूल जाता हूं, इसलिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मुझे बोलने दें।

मैं अर्ज कर रहा था कि ५४ रुपये मजदूरों के कराये, उसके लिये मजदूर आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उनका बोनस जो ड्यू होता है वह मिल मालिक नहीं दे रहे हैं। इसलिये माननीय चेयरमेन साहब, मैं माननीय मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि साढ़े तीन लाख रुपयों का बोनस बाकी है मिल मालिकों में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चेयरमेन महोदय, जब कि यह मामला सबजुडिस है तो इसके बारे में बोलना एतराज के काबिल है।

श्री सभापति (डॉ० श्री मंगलसिंह)—यह बात एतराज के काबिल है, इसको छोड़ कर दूसरी बात कहिये। मुकदमा चल रहा है। जो कचहरी के अन्दर मुकदमा चल रहा हो, उसके बारे में बोलना उचित नहीं।

श्री कस्तूरचन्द—मैं तो भूमिका बता रहा हूं कि साढ़े तीन लाख रुपया बाकी हैं चेयरमेन साहब! इसके लिये हमारे एक कार्यकर्त्ता ने तीन साल से अनशन कर रखा है, अन्न छोड़ रखा है, यह हम कांग्रेस वाले हैं, उनके लिये शर्म की बात है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि जो इसका न्याय करने वाले बैठे हैं जज साहब उनसे कहियेगा कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला करें ताकि जो हमारा एक कार्यकर्त्ता तीन साल से अन्न नहीं ले रहा है उसको बचाया जा सके। इन मजदूरों के ऊपर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :—
"कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ४७–विविध विभाग में रु०१ मात्र की कटौती की जावे (देवस्थान विभाग में पड़ी हुई बृहत् धन-राशि को कल-कारखाने आदि अधिक उत्पादन के कार्यों में नहीं लगाने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के हेतु)।"

चेयरमेन महोदय, राजस्थान में देवस्थानों में लाखों रुपयों की सम्पत्ति पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। खासकर, मैं ऋषभदेवजी के मन्दिर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां लगभग १४ लाख रुपयों की सम्पत्ति है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है।

(१०–४५ पर श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति, पीठासीन)

मंदिर की ओर से वहां ७० आदमी नौकर हैं जो बेकार बैठे रहते है। उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमने मन्त्री महोदय को कहा था कि इस सम्पत्ति को ग्राम-सुधार, सड़कों के निर्माण आदि में लगावें तो कहा कि यह सम्पत्ति तो भारत सरकार की है, इसलिये हम इसके बारे में इजाजत नहीं दे सकते।

चेयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सम्पत्ति से वहां कई कल-कारखाने खोले जा सकते हैं, उद्योग चालू किये जा सकते हैं जिससे इस सम्पत्ति का उपयोग हो। वहां एक जावर माइन्स करके खनिज पदार्थ की खान है। उस खान से लाखों ही नहीं, करोड़ों रुपयों का खनिज पदार्थ निकलता है और वह राजस्थान के बाहर चला जाता है, वहां जाकर साफ होता है और दूसरे मुल्कों को जाता है। अगर इस रुपये को वहां कारखाना खोलने में लगाया जाय तो वह खनिज पदार्थ वहीं पर साफ हो सकेगा, इससे मजदूरों को काम मिलेगा और हमारी राजस्थान सरकार की आमदनी भी बढ़ सकती है। पर इस करोडों रुपयों की सम्पत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह सारे राजस्थान में कई मन्दिरों में लाखों-करोडों रुपयों की सम्पत्ति पड़ी हुई है और

[श्री लक्ष्मण हीरात]

पड़ी-पड़ी सड़ रही है। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्पत्ति को कल-कारखानों में लगाने के लिये मन्त्री महोदय खास तौर से ध्यान देंगे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है:—

"That the Demand for Grant No. XXIV, Major Head 47-Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 100/- (to discuss the wasteful expenditure on labour welfare centres)."

चेयरमेन महोदय, इस बजट की आम बहस में चर्चा करते हुए मैंने यह कहा था कि हमारी सरकार बहुत बड़ी तादाद में रुपया खर्च करने जा रही है योजनाओं पर। अगर सदुपयोग से खर्च किया जाय तब तो ठीक है, नहीं तो रुपयों की बर्बादी और खाली कागजी कार्यवाही है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वह मजदूरों के शिक्षण, आमोद-प्रमोद के लिए वेलफेयर सेन्टर खोलने जा रही है। गत वर्ष सरकार ने कुछ सेन्टर खोले थे और इस साल भी खोले थे। किशनगढ़ में भी वेलफेयर सेन्टर है। इस सेन्टर का खर्चा करीब ५०० रुपया माहवार से अधिक होगा और ५०० रुपया माहवार के हिसाब से ६००० रुपया प्रतिवर्ष खर्च से यदि देखें कि कितने मजदूरों को फायदा मिलता है तो पता चलेगा कि उनकी संख्या ५० भी नहीं है। ६ हजार का प्रतिवर्ष खर्चा और फायदा ५० मजदूर भी नहीं उठा सकें तो यह तो कोई ठीक नहीं।

इस बात की तो आवश्यकता है कि इस काम में खर्चा ज्यादा किया जाय, पर साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि व्यवस्था में सुधार किया जाय।

सेन्टर में एक चपरासी है, उसके जिम्मे कोई काम नहीं। ४० रुपये की तनख्वाह पाने वाला एक चौकीदार रखा हुआ है, उसका क्या काम है, क्या उस मकान की चौकीदारी करवाई जा रही है? अब सवाल यह आता है कि बच्चों को और स्त्रियों को शिक्षण देना होता है तो इसके लिये २५ रुपये मासिक में पूरे समय के लिये कोई भी महिला एवेलेबल नहीं हो सकती, इतने में तो पार्ट टाइम के लिये ही एवेलेबल हो सकती है, पार्ट टाइम दे सकती है और यह नहीं हो सकता कि वह मजदूरों के अन्दर जाय और उनकी दिलचस्पी इस ओर आकर्षित करे। तो ऐसी सूरत में यह जो २५ रुपये का एलाउन्स है वह भी एक तरह से व्यर्थ है, उससे कोई विशेष उपयोग नहीं।

समाचार-पत्रों को पढ़ने वाले अधिकतर मजदूर नहीं, बल्कि वहां के रहने वाले होंगे। पठन-पाठन का इन्तजाम किया गया है पर मजदूर नही पढ़ रहे हैं, दूसरे ही पढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सेन्टर लेबर कॉलोनी में कायम किया जावे, जिससे मजदूरों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। कार्यकर्त्ता ऐसे टाइप के नहीं हैं जैसे कि होने चाहिये, जो मजदूरों के घर पर जाकर उनको योग दे सकें। अब तक जो भी कार्यकर्त्ता हैं उनमें जो सेवा-भावना होनी चाहिये, उसका अभाव-सा है। जब वे इस प्रकार काम नहीं करते तो मैं यह कहूंगा कि ४ तथा ५ आदमियों को तनख्वाह दिलाने के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं हो सकती।

[श्री चांदमल मेहता]

दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मजदूरों के सुधार के लिये फिल्म-प्रदर्शन की भी व्यवस्था है। मगर यह प्रदर्शन ऐसे बंगलों में किये जाते हैं जहां अधिकारियों के दोस्त या पड़ोसी ही आ सकते हैं। जब दावत देने का अवसर आता है तो वे कहते हैं कि वे दावत अपने दोस्तों को ही देते हैं। इसके अलवा कोई भी प्रदर्शन आदि किये जाते हैं तो ऐसे ग्राउन्ड में किये जाते हैं जहां जगह बहुत कम होती है जिसमें कि सब मजदूर बैठ सकें। इस पर भी जगह कम होते हुए भी जो जगह होती है उसमें अधिकारियों के दोस्त वगैरह बैठते हैं और पहले उनको जगह दी जाती है और मजदूर बाहर ही रह जाते हैं। इस प्रकार मजदूरों को जो फायदा पहुँचना चाहिये, नहीं पहुँच पाता। मजदूरों के हित के लिये जो रुपया खर्च किया जा रहा है, वह वास्तव में मजदूरों के लिये नहीं खर्च किया जा रहा है। इसलिये मैं फिर सारी बातों को संक्षेप में कहूंगा कि :—

१. वर्कर्स ऐसे टाइप के हों जो मजदूरों के घर जाकर उनको योग दे सकें।

२. फिल्मों का प्रदर्शन जो हो वह लेबर कॉलोनी में हो।

३. चपरासी व चौकीदार का खर्चा कम किया जाकर पूरे समय के लिए एक महिला कार्य-कर्त्री नौकर रखी जावे।

माननीय अध्यक्ष, भारत सरकार ने लेबर वेलफेयर एक्टीविटीज़ के लिये काफी रुपया दिया है और वह रुपया इसलिये दिया है कि मजदूरों का हित हो। इसलिये नहीं दिया है कि ४-५ आदमियों को रोजी मिले और वे उसका फायदा उठावें। भारत सरकार ने रुपया इसलिये दिया है कि मजदूरों को शिक्षा मिले, उनके बच्चों को शिक्षा और दूसरी सुविधा मिले। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर माननीय मन्त्रीजी सोचेंगे। यह प्रश्न किशनगढ़ के लिये ही नहीं, बल्कि सभी जगह के मजदूरों के लिये है। यह योजना चन्द आदमियों के फायदे के लिये नहीं है, जिसको सरकार मुकर्रर करे। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिस मकसद को पूरा करने के लिये योजना बनाई गई है और भारत सरकार रुपया दे रही है वह पूरी नहीं हो रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, लेबर के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव......

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—पहले जिनके कट-मोशन हैं उनको कट-मोशन प्रस्तुत करने दिये जावें, बाद में आप बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पहले मुझे मालूम नहीं था कि कट-मोशन अभी तक बाकी हैं।

श्री जवानसिंह—कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No XXIV for a sum of Rs. 35,05,200/- in respect of Director of Local Bodies under Major Head No. 47-Miscellaneous Departments be reduced by Rs. 100/- (to discuss the unsatisfactory condition of Bharatpur Municipality.)"

[श्री जवानसिंह]

माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानकर चलूं कि मेरा कटौती का प्रस्ताव पेश हो चुका है। मैंने अपना यह कटौती का प्रस्ताव-डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ के महकमे के सम्बन्ध में, भरतपुर म्युनिसिपेलिटी के सिलसिले में, जो कुछ हो रहा है और जिससे म्युनिसिपेलिटी में असन्तोष फैला हुआ है और जिस प्रकार की कार्यवाही उस म्युनिसिपेलिटी में की जा रही है और जिस प्रकार पब्लिक का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, उन तमाम चीजों की ओर सदन का ध्यान, माननीय सभापति, आपके द्वारा दिलाने के लिए पेश किया है।

बहुत ही ताज्जुब की बात है कि वहां पर इस प्रकार का गबन् काफी अर्से से होता आ रहा है और उसके खिलाफ बहुत अर्से पहले एक्शन ले लिया जाना चाहिये था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिये कट-मोशन पेश कर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब सदन इन चीजों की ओर ध्यान देगा तो उसको आश्चर्य होगा। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जो चेयरमेन साहिबा म्युनिसिपेलिटी की हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा समय के लिये रहना जयपुर में होता है और महीने में ज्यादा से ज्यादा अगर दो-तीन रोज भरतपुर रह गईं तो क्या हुआ? बाकी उनका समय जयपुर में ही व्यतीत होता है। उनके जयपुर में रहने से और भरतपुर में न रहने से उस म्युनिसिपेलिटी का जो खर्चा होता है और पब्लिक का पैसा यहां रहने से ज्यादा खर्च होता है, उस ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि उनको मासिक २०० रु० एलाउन्स के दिये जाते हैं और उम्मीद उनसे यह की जाती है कि वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय म्युनिसिपेलिटी के कार्य में व्यतीत करें और सुचारु रूप से कार्य चलावें। परन्तु वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि महीने में २० या २५ दिन वे जयपुर में व्यतीत करती हैं। इसके साथ-साथ म्युनिसिपेलिटी का और खर्चा बढ़ जाता है। वह जयपुर-भरतपुर से आने-जाने का खर्च बढ़ जाता है। इस पर भी वे एक कांग्रेस व्यक्ति की पत्नि हैं। म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन से जितने भी काम होते हैं उनके लिये भरतपुर से जयपुर ट्रंक-कॉल जाते हैं और वे केवल म्युनिसिपेलिटी के काम के लिये ही ट्रंक-कॉल के किये जाते हों यह बात नहीं है, लेकिन दूसरे भी कई प्रकार के कार्य करने के लिये ट्रंक-कॉल किये जाते हैं। यह वाकई में बहुत बुरी चीज है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की धान्धली हो रही है। क्या सरकार ने कभी इसकी जांच करने की कोशिश की है? अगर की है तो वह रिपोर्ट सदन के सामने रखे ताकि हमें विश्वास हो जाए और सदन वस्तु-परिस्थिति को जानने में समर्थ हो सके। लेकिन जैसी जानकारी मुझे है, सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है और काफी अर्से से पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है।

अब म्युनिसिपेलिटी के काम करने का तरीका किस प्रकार का रहा है, पब्लिक के चुने हुए व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव रहा है, वह एक ताज्जुब की चीज है। अभी थोड़े दिन पहले, ६ महीने पहले एक भरतपुर के म्युनिसिपेलिटी के सदस्य को माननीय चेयरमेन महोदया ने नोटिस दे कर मेम्बरशिप से अलग कर दिया। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि उसको किस प्रकार से निकाल दिया गया। जब तक कोई बोर्ड के सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर दें

[श्री जवानसिंह]

या जब तक कोई दूसरे कारण उपस्थित न हों तब तक कानूनी तौर से वह सदस्य बोर्ड की सदस्यता से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की कार्यवाही हो सकती है और सूचना सरकार को दे दी जाती है और डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ यह कह कर चुप मार जाते हैं कि हमने यह मामला राजस्थान सरकार के सेक्रेट्रियट में पहुंचा दिया है। इसलिये इस सदस्य को, जिसे सदस्यता से मुक्त किया गया, इसलिए उस सदस्य को जिसको सदस्यता से पृथक् किया गया है, उसको उम्मीद करना चाहिये कि कुछ अर्से में हमारी राजस्थान सरकार इस विषय में अन्तिम निर्णय ले लेगी और उन्हें उन मामलों को बतला दिया जायगा, उनको निर्णय बतला दिया जायगा। डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ इस विषय में कोई कदम नहीं लेते। मुझे इस बात का ताज़ुब हुआ और हमारे ख्याल में यह बात लाई गई, हमारी जानकारी में यह बात लाई गई कि इस प्रकार की कार्यवाही सरकार की सूचना में आयी है, उसकी जानकारी में आयी है और फिर भी उस पर एक्शन कोई नहीं लिया जाता और उसको टाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जब कि सरकार विचार करेगी और जो आगे निर्णय होगा, उससे उनको जानकारी करा दी जायगी। यह कार्यवाही म्युनिसिपल बोर्ड के एक सदस्य के साथ हुई है। माननीय चेयरमेन, सदन ख्याल कर सकता है कि किस प्रकार की कार्यवाही म्युनिसिपल बोर्ड के दूसरे कर्मचारी हैं, वे जनता के साथ करते होंगे और उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें मैं सदन के सामने रखना पसन्द करूंगा। वैसे पूरा लेखा सदन के सामने रखना चाहूं तो मैं समझता हूं कि मुझे कम से कम दो घण्टे का समय लगेगा और अगर साथ में सरकार भी जांच कराने के लिये तैयार हुई तो मैं कम से कम ३०–४० मामले अवश्य दूंगा जिन पर कि कार्यवाही हो सकती है और जिन पर कार्यवाही करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। लेकिन उन डिटेल्स में न जाकर केवल मैं मोटी-मोटी बातें सदन के सामने रखना पसन्द करूंगा।

पहली बात यह है कि म्युनिसिपेलिटी भरतपुर में फाइनेन्स कमेटी बनी हुई है और उस फाइनेन्स कमेटी के बनने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड का कोई हिसाब-किताब तक नहीं भेजा गया। तमाम का तमाम पैसा जो खर्च किया जाता है, न तो बाद में और पेश्तर उसका हिसाब दिया जाता है और न मंजूरी ही मांगी जाती है। उस फाइनेन्स कमेटी के बनने का एक फर्ज पूरा होना चाहिए था कि एक कमेटी कॉन्स्टीट्यूट होनी चाहिए, उस नाते उसको बनाया गया है; न तो उसको काम सौंपा जाता है और न उसको एकाउन्ट सौंपे जाते हैं। एक-दो मौके ऐसे भी आये जब कि फाइनेन्स कमेटी के लोगों ने जानना चाहा कि आखिर पैसा खर्च किया गया है उसकी देख-रेख क्या है? तो उस बात को टाल दिया गया और कहा गया कि जो खर्चा हुआ है उसके लिए चेयरमेन साहिबा ने कहा है कि यह हिसाब-किताब किसी को न दिखाया जाय'। हिसाब-किताब अलग पुस्तकों में चेयरमेन साहिबा के पास है और वे आवेंगी जब देखने को मिलेगा। इस प्रकार हिसाब-किताब लॉक के अन्दर बन्द है और किसी प्रकार जांच होने की चीज़ मुमकिन नजर नहीं आती। इसमें क्या क्या गुल छिपे हुए हैं, उसकी ओर ध्यान यह सदन जरूर देगा। वहां पर एक हजार तक के खर्चे की मंजूरी के लिए यह आवश्यक है कि म्युनिसिपल बोर्ड की चेयरमेन साहिबा मंजूरी देती हैं। लेकिन उसके साथ बोर्ड की मंजूरी भी होनी चाहिए और दूसरे ज्यादा खर्च हैं उनके लिए बिना बोर्ड की मंजूरी हुए पहले कोई खर्चा नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ तारीखों में रुपया लिया गया है जिसके लिए

[श्री जवानसिंह]

न तो बोर्ड की मंजूरी ली गई है और न फाइनेन्स कमेटी की ही मंजूरी ली है और मुझे मालूम नहीं है, फिर भी शक है कि इसमें चेयरमेन साहिब की भी मंजूरी ली गई है या नहीं ? तारीख ३०–१०–५४ को म्युनिसिपेलिटी से २ हजार रुपये म्युनिसिपल सेक्रेटरी साहब ने एडवान्स ले लिये। उन रुपयों का क्या हुआ ? वे उनके पास हैं। वे उन्होंने किस आधार पर और किस रूल के माफिक लिये हैं, किस कानून के माफिक एडवान्स लिये हैं और अपने पास रख लिये हैं ? कोई हिसाब नहीं दिया और यह वाकई ऐसी चीज़ है जिसकी जांच होनी चाहिए। उसी तारीख ३१-१०-५४ को ५००रु० ईश्वरीप्रसाद कर्मचारी ने एडवान्स लिये। एकाउन्ट्स के अन्दर कोई जमा-खर्च नहीं और न मंजूरी किसी प्रकार की ली गई। तारीख ३०–१०–५४ को फिर तीन हजार रुपये ईश्वरीप्रसाद ने एडवान्स लिये। इन रुपयों का क्या हुआ, कोई पता नहीं। उसी तारीख को ३०–१०–५४ को ३०० रु० कोई रतनलाल को देने के लिए लेकर गया, जिसकी भी मंजूरी नहीं हुई। मैंने ये मोटी मोटी बातें सदन के सामने रखने की कोशिश की। मैं इस चीज़ को जाहिर करना चाहता हूं कि ये रुपये जनता की गहरी कमाई के हैं जो कि उससे टेक्सों के रूप में म्युनिसिपेलिटीज़ को चलाने के लिए वसूल किये जाते हैं तो क्या उन रुपयों का इस प्रकार सदुपयोग हो ? उनका वास्तविक रूप से सदुपयोग होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री जवानसिंह—मैंने कट-मोशन इसलिए रखा था कि काफी समय तक बोलूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस अदला-बदली में माननीय उपाध्यक्ष और माननीय चेयरमेन के बीच में कि मैंने कटौती के प्रस्ताव इसीलिए रखे थे कि मैं काफी समय तक बोलूं और पहले न बोलूं और मेरी इच्छा है कि इन कटौती के प्रस्ताव द्वारा सदन को जाहिर कर दूं कि वहां ऐसी गलतियां हो रही हैं, वहां दिन-दहाड़े ऐसी लूट है, जिनको डकैती कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी और न यह कोई आवश्यक चीज़ कही जायगी।

कुछ समय पहले भरतपुर में एक नुमाइश भी हुई थी। उस नुमाइश में काफी सामान बाहर से आया था और जिस पर सरकार का सायर वसूल हुआ था। लेकिन उसके मुकाबले में कितनी चुंगी वसूल होनी चाहिए थी और कितनी वसूल हुई, यह देखने की बात है ? असलियत में उन सारी चीजों की चुंगी वसूल की लेकिन मेरा निश्चित मत है और मेरी जानकारी में यह बात आयी है जो मैं निवेदन कर दूं कि २५ परसेन्ट आय हुई यह बताया गया और ७५ प्रतिशत चुंगी कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने गोल-माल कर दी और म्युनिसिपेलिटी के फन्ड में जमा नहीं करवायी गई, बल्कि उसको पहले ही खत्म कर दिया गया।

[श्री जवान सिंह]

इसके अलावा भी कुछ और चीजें ऐसी हैं जो वहां के कर्मचारियों और म्युनिसिपेलिटी के अधिकारियों के विषय में हैं और जो कि राजस्थान सरकार के अवश्य हैं, उसके विषय में कुछ कहना है। एक वहां पर टंकी पहले बनी हुई थी लेकिन वह ठीक हालत में नहीं थी और उसका खर्चा असलियत में जो हुआ वह १७० रु० रुपया था, लेकिन जो हिसाब रखा गया उसमें वह खर्चा १५१० रु० किताबों में लिख दिया गया। इतना खर्च में फर्क है। आखिर हिसाब-किताब किस प्रकार लिखे गये उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सामान तमाम पूरी टंकी को सुधारने के लिये म्युनिसिपेलिटी से दिया गया, लोहे का सामान और जो सामान बाहर से आना था वह भी म्युनिसिपेलिटी से दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी १५१० रु० टंकी को सुधारने के लिए खर्च किये गये हैं। इसलिए किये गये कि सेक्रेट्री महोदय उस मामले में इन्ट्रेस्टेड थे और कोई मेम्बर साहब चूंकि लोहे का कारखाना चलाते थे उस टंकी को बनायें, इसलिए ये तमाम का तमाम रुपया, १५१० रु० में से १७० रु० निकाल भी दिये जायं तो बाकी तमाम रुपये इस गड़बड़-घोटाले में समाप्त हो गये।

इसी प्रकार से एक रेडियो भरतपुर म्युनिसिपेलिटी के लिए खरीदा गया, उसमें नये रेडियो की कीमत जो २७५ रु० होती है वह लगाई गई। पहली बात तो यह है कि वह सेकन्ड-हैन्ड रेडियो था और वह भरतपुर से गुलाबचन्द के यहां से खरीदा गया था। इस बात को छिपाने के लिये कि यह लोकल प्लेस से खरीदा गया है इसलिये एक माननीय सदस्य के कोई रिश्तेदार, जो आगरे में रहते हैं उनकी दूकान से एक बिल लिया गया और उस बिल में २७५ रु० बताये गये। असलियत यह है कि वह रेडियो सेकन्ड-हैन्ड १५० रु० में खरीदा गया, बाकी के रुपये सेक्रेट्री साहब की जेब में गये और कुछ रुपये उन मेम्बर के रिश्तेदार की जेब में जो आगरा में रहते हैं और जिनके यहां से बिल बनवाया गया था; इसके अलावा भी कई बातें हैं। वहां वर्दी के लिये यह किया गया कि देहली के कबाड़ी मार्केट से खरीद कर वर्दियां आती हैं और भरतपुर में उन वर्दियों का नये के तौर पर पैसा वसूल किया जाता है और उसके १३५ रुपये खर्चे में लिखे जाते हैं। इसमें भी काफी पैसा सेक्रेट्री साहब के जेब में जाता है।

२६ जनवरी के दिन तो कम से कम हम लोगों को ईमानदारी बरतनी चाहिए। उस दिन भी ईमानदारी नहीं बरती गई। २६ जनवरी को ३२ गैलन पेट्रोल खर्च किया गया। भरतपुर कस्बा है, उसमें ३२ गैलन पैट्रोल एक दिन में खर्च होना कुछ मायने रखता है। यह किस तरह से किया गया? क्या उस पेट्रोल को पीया गया, क्या किया, यह समझ में नहीं आता? वास्तव में ४–५ गैलन ही खर्च हुआ था और खर्चा ३२ गैलन का बताया गया।

एक ट्रक जो कि म्युनिसिपेलिटी के कभी काम में नहीं आया, जिसका नम्बर २ है, वह सेक्रेट्री साहब के मकान पर पड़ा हुआ है और उस ट्रक का हिसाब म्युनिसिपेलिटी के दफ्तर में रखा जाता है। वह ट्रक सड़क पर चलता है जिसका नम्बर दो है, जो रोजमर्रा काम में आता है। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि जो ट्रक काम में नहीं आ रहा है, बेकार पड़ा है, उसके व्हील्स भी कितने बदल दिये गये हैं और ऐसे बेकार ट्रक के लिए रोजमर्रा खर्च बता दिया जाता है। वहां के सेक्रेट्री महोदय के लिये कहा जाता है कि उनकी मोटर के ट्यूब-टायर भी कभी नहीं खरीदने पड़ते। उसी के खर्चे में अपने

[श्री जवानसिंह]

ट्यूब-टायर का भी खर्चा निकाल लेते हैं। इस प्रकार की बातें हैं, जिनके ऊपर सदन को अवश्य गौर करना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या वजह है कि इस प्रकार की हैरानियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं ! क्या वजह है कि हमारी सरकार इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती ! यही केवल एक ही म्युनिसिपेलिटी नहीं है, राजस्थान में इस प्रकार की कई म्युनिसिपेलिटियां हैं, क्या उनका एकाउन्ट बराबर रखा जाता है या नहीं ? जब हमारे सामने इस प्रकार के दृष्टान्त मौजूद हैं तो हमको शक करने की गुंजायश रहती है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में जल्दी से जल्दी जांच करें और दूसरी जगह की पीरियोडिकली जांच करवाने की ओर कदम लें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही रोकने में सरकार सफल हो सके। वे चाहे कोई चेयरमेन साहब हों, चेयरमेन साहिबा हों, चाहे वे कितने ही इनफ्लुएन्शल, कितने ही कारणों को वजह से हों...

श्री मुक्तिलाल मोदी—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या इनको ही इतना बोलने के लिए समय दे दिया जायगा और दूसरे लोगों को नहीं बोलना है !

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं अभी यह निवेदन कर रहा था कि चेयरमेन साहब या साहिबा व्यक्तिगत रूप से या सम्बन्ध के नाते कितने ही इन्फ्लुएन्शल हों, किन्तु सरकार को इस ओर कठोर कदम उठाना चाहिये। जो जनता के पैसे को खत्म किया गया है उस पर जो मौज-मजे उड़ाये गये हैं, उस पैसे को वापिस बन पड़े तो म्युनिसिपेलिटी के खजाने में लाया जावे। इन तमाम बातों को सामने रखने के लिए ही मैंने यह कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है।

श्री सभापति—श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

श्री एच० के० व्यास।

(अनुपस्थित)

रावत श्री शम्भूसिंह।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, माननीय तेजमलजी आपना, जो भीलवाड़ा से आये हैं, के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—कुछ कटौती के प्रस्ताव और रह गये हैं ?

रावत श्री शम्भूसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) लेबरर्स की कन्डीशन के बारे में जो उन्होंने विचार प्रकट किये, उन्होंने वहां की मिल के मजदूरों के मुतल्लिक कहा है लेकिन भीलवाडा डिस्ट्रिक्ट में माइका माइन्स भी काफी संख्या में विद्यमान हैं। माइका माइन्स में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। जहां तक माइका माइन्स के लेबरर्स और वर्कर्स की अवस्था का सवाल है उनकी अवस्था किसी भी दशा में सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। उनसे मुकर्रर समय से ज्यादा

[रावत श्री शम्भूसिंह]

समय काम लिया जाता है। उनको महीनों तक बल्कि बरसों तक वेतन नहीं दिया जाता और जब पुकार आगे पहुंचाते हैं जिसके लिये लेबर इन्सपेक्टर केन्द्रीय सरकार की तरफ से हैं, तो आगे शिकायत होने पर भी कोई ठीक प्रबन्ध नहीं होता और जो माइका माइन्स के मालिक हैं उनकी तरफ से ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि उनकी वाजिब मांग का भी किसी प्रकार समर्थन न किया जावे। इन माइका माइन्स के लेबरर्स को एक्सप्लोइट करने के लिये वहां पर तथाकथित स्वयंभू एजेन्ट बन गये हैं और जब तक उन एजेन्टों के थ्रू कोई ग्रीवान्सेज आगे नहीं पहुचाई जावे उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती। यह वहां का रवैया बन गया है। मैं नहीं समझता कि लेबर डिपार्टमेन्ट इस सम्बन्ध में क्यों चुप है? ऐसी भी स्थितियां आई हैं कि मजदूरों से महीनों तक काम करवा कर माइन्स को बन्द करवा दिया गया, मजदूर बेचारे लटकते रहे। इसके अलावा लेबरर्स पर एप्लाई होने वाले जितने भी कानून हैं-जैसे वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन एक्ट, मिनीमम वेजेज़ एक्ट, मेटरनिटी बेनीफिट आदि और भी कई प्रकार के कानून मजदूरों को राहत देने के वास्ते सरकार ने प्रचलित कर रखे हैं, उनकी तहत में लेबरर्स को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पाती। केन्द्र द्वारा एक माइका माइन्स वेलफेयर एसोसियेशन कायम किया गया था। उसका इलेक्शन हुआ तो उसमें ऐसे व्यक्ति चुन लिये गये जिससे वे एक दिन भी नहीं मिल पाये। हमें पता नहीं, वह एसोसियेशन क्या काम करने जा रहा है। उसके लिये फंड भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिलने जा रहा है। उसका किस प्रकार से उपयोग होगा, वह फंड किस काम में लिया जायगा, न उसकी कोई योजना है और न कुछ कार्य रूप में ही परिणत हो पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसमें जो पहले नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स लिये गये, वे न तो उस क्षेत्र के हैं और न उनको वहां की अवस्था का सही सही पता है, तो वे वहां के लेबरर्स को राहत दिलाने के वास्ते कैसे सुझाव रख सकते है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय लेबर मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो अभ्रक खान पर काम करने वाले लेबरर्स हैं, जिनकी संख्या हजारों है उनकी मुश्किलात को, उनकी मुसीबतों को दूर करने के वास्ते राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये। खासतौर से जो पेमेन्ट महीनों से नहीं हो पा रहा है, वे महीनों बगैर पेमेन्ट के तकलीफ उठा रहे हैं, उनका पेमेन्ट जल्दी होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां राहत दिलाने के वास्ते जो अधिकारी मुकर्रर हैं, वे अन्धेर कर रहे हैं; उनके द्वारा भी उनको शीघ्र से शीघ्र राहत दिलवाई जा सके इस प्रकार का प्रयत्न शीघ्र होना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—श्रीलक्ष्मणजी ने जो कट-मोशन रक्खा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उन्होंने देवस्थान में जो काफी रुपया पड़ा बताया उसके लिए यह साफ है कि उस रुपये का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस रुपये को इन्डस्ट्रियल बैसिस पर खर्च करना चाहिए। इस दृष्टि से मैं इस कट-मोशन को बिल्कुल वाजिब समझता हूं। देवस्थान में और भी काफी रुपया आ सकता है अगर राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान दे तो। जो जो देवस्थानों की आमदनी है मन्दिरों से या मन्दिरों के साथ में दी गई जागीर से, उसकी कितनी आमदनी होती है? इसकी सरकार पूरी तरह छानबीन करे और इस पैसे को फिर बड़े बड़े कारखानों में लगाने के बजाय ग्रामोद्योग और खादी के काम में

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

लगाया जाय तो इससे गरीब विधवा महिलाओं को भी काफी रोजी मिल सकेगी और देहातियों को और जो बेकार इधर-उधर भूखों मरते-फिर रहे हैं, उनको रोजी मिलेगी। यह बड़ी अच्छी चीज होगी।

मेरी मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना है कि वे इस कट-मोशन को स्वीकार कर लें और यह घोषणा करें कि यह रुपया ग्रामोद्योग और खादी के काम में लगाया जावेगा, जिससे कि लाखों गरीब ग्रामीण जनता का भला हो सके। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, मिसलेनियस हैड के सिलसिले में बहुतों ने कटौती प्रस्ताव पेश किये। जहां तक श्रम-विभाग का सम्बन्ध है साफ तौर से यह अर्ज करना पड़ेगा कि जो विकास-केन्द्र खोला गया है, उसका यह हाउस स्वागत किये बिना नहीं रह सकता। इससे गरीब मजदूरों को लाभ पहुँचेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के खेल-कूद आदि बातों का अभाव था, उनके लिए इस तरह की सुविधा देकर एक स्वस्थ और सात्विक कदम उठाया गया है।

साथ ही यह निवेदन करना जरूरी है कि ये केन्द्र बहुत कम स्थानों पर हैं, उनको बढाना पड़ेगा और जो कुछ ग्रान्ट्स हम मन्जूर करने जा रहे हैं उनके लिए बड़ी शिकायत यह है कि उनका समय पर उपयोग नहीं होता। वे रकमें लैप्स हो जाती हैं अथवा सरेन्डर हो जाती हैं। जब विकास की ओर चलते हैं तो पूरी सतर्कता से हमें चलना चाहिये और बड़े उत्साह और लगन के साथ कार्य करना चाहिये। यह स्फूर्ति अगर पैदा हो गई हममें तो यह नौबत नहीं आवेगी और सारा रुपया खर्च हो जावेगा। खर्च नहीं होने से विभाग की इनएफिशियेन्सी जाहिर होती है। इसलिए इसका जरूर ख्याल रक्खा जाना चाहिए और मैं तो इसको और भी अच्छा समझूंगा कि इस रकम को खर्च करके और अधिक सप्लीमेन्टरी रकम के लिए डिमान्ड लाई जावे।

आपने देखा होगा इलाहाबाद से दिये गये पं० नेहरू के स्टेटमेन्ट को। उन्होंने यह फरमाया कि देश में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ प्रगति अत्यन्त आवश्यक है और संसार में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए हमें बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रियों को हरा-भरा देखना है, उनको आगे बढ़ाना है। इसलिये यह भी निहायत जरूरी है कि श्रम-वर्ग को भी हरा-भरा बनाया जाय, उनको उत्साहित किया जाय।

अब तक राजस्थान में इसकी जो प्रगति रही है, वह सन्तोषजनक नहीं रही है। यहां के पूंजी-पतियों ने इस माने में बड़ा गलत रवैया अख्तियार कर रक्खा था और आज भी कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं प्रतीत होता है। एक यूनियन कहीं उनकी प्रगति और हित के वास्ते कायम की गई तो इन पूंजीपतियों ने ब्लैकमेलिंग करने वालों को इकट्ठा करके दूसरी यूनियन बनाने की कोशिश की, जिसका विरोधी के रूप में उपयोग किया जा सके। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार भी इन पूंजीपतियों के इस तरह के हथकण्डों से अवगत है। सवाई माधोपुर की फैक्ट्री इसका जीता-जागता उदाहरण है। इससे वहां के मजदूरों को राहत नहीं मिलेगी पर मालिकों की ओर से जो व्यवहार हो रहा है, जो टेक्टिक्स वे खेल रहे हैं, वह सब इस प्रकार की है कि जो मजदूरों के हित में तो कम से कम निश्चित

[श्री श्रीदास गोयल]

रूप से नहीं है, तो इसको रोकने का प्रयत्न करना भी सरकार के लिए निहायत जरूरी है, वर्ना जो कुछ सरकार की ओर से किया जा रहा है उसमें बाधा पहुंचेगी।

साथ ही यह भी निवेदन कर दूं कि अभी अभी राजस्थान सरकार के श्रम-विभाग द्वारा एक पेम्फलेट प्रकाशित हुआ है और उसको मैंने पढ़ा। मैं मानता हूं कि अगर सरकार इन बातों को, जो वह कह रही है, पूरा करने के लिए कटिबद्ध होकर प्रयत्न करती है तो हम नये युग को ला सकेंगे इस श्रमिक के संसार में। ऐसी विचारधारा का मैं स्वागत करता हूं और मानता हूं कि जो हमें आम तौर से शिकायत रहती है कि सरकार जो आश्वासन देती है सदन में उनकी पूर्ति होती नहीं, वह इस मामले में अब सरकार से शिकायत नहीं रहेगी। केन्द्रीय सरकार में तो ऐसा हुआ भी है कि जब मन्त्रियों के आश्वासन देने और उनकी पूर्ति करने में असंगतता पाई गई तो वहां पर इसकी देख-भाल करने के लिए एक कमेटी संसद् में बनानी पड़ी। वह देख-भाल करेगी कि सरकार ने आज जो आश्वासन दिए है उसको कार्यरूप में परिणत किया जाता है या नहीं। तो हमारी सरकार के इस बारे में जो विचारा हैं वे स्वागत के लायक हैं और हम विश्वास करते हैं कि सरकार उनको अवश्य पूरा करेगी।

मैं साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में कर्मचारियों का नुकसान हो गया, कई महिलाएं मर गईं, पर अभी तक उनका कम्पेन्सेशन का मामला तय नहीं हुआ। गये साल मैंने इस पर बहस करने के लिए हाफ एन ऑवर डिस्कशन मीं मांगा था और उस अवसर पर फैक्ट्री के मैनेजर के खिलाफ फौजदारी मुकद्मा भी कायम किया गया था, उसे गुप्त रीति से विद्ड्रा कराने की भी कोशिश की गई और विद्ड्रा सरकार द्वारा करा भी लिया गया। माननीय मन्त्रीजी ने इस गलती को महसूस किया था। मैं उनके उस वक्त के दिये गये स्पष्ट उत्तर की तारीफ भी करता हूं और उन्होंने यह भी कहा था कि हमने केस देखा है और यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के गलत काम करने वालों को फिर चाहे वे मैनेजर हों, बड़े से बड़े उद्योगपति हों, मालदार हों, कोई हो, उसे हम मदद नहीं पहुंचाने वाले हैं, दुबारा कार्यवाही करने वाले हैं। पर आश्चर्य के साथ निवेदन करना पड़ता है कि आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं खास तौर से आशा करता हूं कि जिनकी इसमें जिम्मेदारी है वे इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करेंगे।

अन्त में मैं केवल ये दो शब्द अर्ज करूंगा कि यह डिपार्टमेंट अधिक सतर्क बने, अधिक से अधिक मजदूरों को राहत पहुंचाए और कोई गड़बड़ी हो तो उसमें उनकी मदद देने के लिए कटिबद्ध रहे।

दूसरा, मैं देवस्थान के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि वह बड़ी दयनीय परिस्थिति में है। वृन्दावन जैसी जगह में हमारा मन्दिर है जो कि आज ५० लाख रुपये में नहीं बन सकता है। वह शायद भारत के प्रमुख मन्दिरों में से हैं। उसे यहां के भूतपूर्व महाराजा ने बनवाया है। उसकी सेवा-पूजा की व्यवस्था नहीं है। कई दफा मैं वहां गया और अभी ८–१० दिन हुए मैं वहां होकर आया हूं। वह बड़ी दयनीय परिस्थिति में है। उसको रामकृष्ण मिशन को देने की बातचीत चल रही थी। वह बाहर से आये हुये छात्रों के इस्तेमाल के लिए रखा जाय, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया है। वह उत्तर-प्रदेश के इने-गिने मन्दिरों में से है। उसकी सेवा की व्यवस्था नहीं है। जहां भारत आध्यात्मिकता के

[श्री श्रीदास गोयल]

आगे बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उसका चरित्र ऊंचा रहा है, जिससे त्याग की भावना, देश और जन्मभूमि के लिए न्यौछावर होने की आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती थी, वहां आज उलटा हो रहा है। उस पवित्र मन्दिर की कोई व्यवस्था नहीं है।

मैंने यह भी देखा है कि सवाई माधोपुर जिले में कई मन्दिरों को छोटी-छोटी सहायता मिलती थी। उनके पुजारियों ने आकर मुझ से कहा कि उनको कई वर्षों से सहायता नहीं मिल रही है, किसी तरह अपने पेट को बांधकर वहां पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। यह सरकार की एक छोटी सी मद है, वह कल्याणकारी राज्य के लिए शोभनीय नहीं है। कल्याणकारी राज्य में अपने कल्याण के लिए हमें अध्यात्मवाद की ओर सोचना पड़ेगा। मंत्री महोदय को इस आवश्यकता को नहीं भूल जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि देवस्थान के सिलसिले में विचार करना पड़ेगा। यही मेरा निवेदन है।

एक गुजारिश और है कि मेरे मित्र (श्री मुक्तिलाल मोदी) ने चंडाला के १६६० बीघा जमीन है, उस जमीन के सिलसिले में कुछ शिकायतें की हैं। मैं मानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय और सम्बन्धित डिपार्टमेंटल हैड्स इस पर विचार करेंगे कि यह किस प्रकार की शिकायत है।

श्री घीसीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जवानसिंहजी ने जो कट-मोशन के विषय में भाषण दिया है, उसके विपरीत कुछ कहना चाहता हूं, और वह ज्यादातर इसके लिए कहना है कि उन्होंने चतुर्वेदी चेयरमेन के बाबत में जो कुछ कहा है कि वे जयपुर में रहती हैं, वे भरतपुर नहीं जाती हैं, और बहुत से मामलों में गडबड करती हैं; तो मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा ख्याल है, बिलकुल गलत कहा है और इस गलत कहने में भी शायद इस भाषण के पीछे भी किसी का हाथ रहा हो, क्योंकि जब कि वह सिरोंज रहते हैं तो भरतपुर की बात कैसे कह सकते हैं?

श्री जवानसिंह—मेरे खुद के दो हाथ हैं तो किसी के हाथ का सवाल ही नहीं उठता है।

एक माननीय सदस्य—वे सिरोंज के नहीं, सिरोही के हैं।

श्री घीसीसिंह—सिरोही रहते हुए भी भरतपुर के चेयरमेन की हालत उन्हें किस तरह से मालूम हुई। न उन्होंने बतलाया कि ट्रेक्टर वगैरह किनके घर पड़े हैं, टायर और ट्यूब उन्होंने, चेयरमेन साहिबा ने अपनी जीप के लिए किस तारीख को खरीदे, किन से लिये, यह कोई भी बात साफ करके नहीं बतलाई है। यह जो सारी अपमानसूचक बातें कही हैं वे किसी ईर्ष्या या शंका शिकवे की वजह से मुझे मालूम पड़ती हैं। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, I wish to make a few observations on the running of the Bharatpur Municipality. Of course, it is rather very surprising that Shri Jawan Singh should have spoken on the Bharatpur Mjnicipality

[श्री श्रीभानसिंह]

rather than any other member from the Treasury Benches. But any way, I have to say one thing and I hope that my voice will not go in wilderness.

It is a fact that the Bharatpur Municipality is absolutely mismanaged.

(विरोधी दल की ओर से करतल-ध्वनि) .

It will be to strike at the very roots of democracy. The basis of our democracy is laid in Panchayats and Local Self Government. If we do not manage them, if we do not look after them, then, in that case the talk of democracy in legislatures will not carry us anywhere. It will lead to failure of democracy. It is there that the people exercise their right of election, it is there that the people learn lessons of democracy.

It is a fact-and it can be proved-that the Chairman of the Bharatpur Municipal Board stays here in Jaipur. She never goes there. It is a fact and with all the emphasis at my command I can prove it. Not only this, the finances are being mismanaged. There is a sort of system which I would call feeder system, that has been applied there, that has been adopted by the Chairman of the Municipal Board, Bharatpur. I should say that it is not quite good.

Not only this, one thing more. If I remember right, the Municipal Board passed a resolution for the purchase of Ferguson tractor. The resolution for the purchase of Ferguson tractor was unanimously passed, but the agent who was to purchase the tractor purchased Massey Harris tractor and not Ferguson and no meeting was called after the resolution. I do not know why ?

Not only this. One very serious affair was brought to my notice. One of the members of Municipal Board tendered resignation from the Finance Committee. As he was a member in opposition to the Chairman, he was informed that his resignation from the Municipal Board is accepted. Subsequently when he wanted to know about this, a letter was sent to him that there has been a misunderstanding and that his regisantion from the Finance Committee was accepted.

Coming to other things. Recently, wihtout infroming the Government, I am told, the very same member has been asked not to attend the meetings of the Municipal Board. Whether it is within the powers of the Chairman or not, I cannot say. Atleast I am in the knowledge and I have gone through the facts and I did not find the Chairman has such powers. But still a Member who is a representative of the people, duly elected, is denied the right of having his voice in the Municipal Board. I hope that the Government will......

श्री घीसीसिंह—On a point of order. अध्यक्ष महोदय, ये हिन्दी में बोलते तो अच्छा रहता। ये इङ्गलिश में बोल रहे हैं। मैं भी उसमें बोला हूं, मैं भी कुछ समझता।

श्री श्रीभानसिंह—(क्रम में) Enquire into all these complaints and not only this.

I hope and I very humbly submit that the Hon'ble Minister will look into all these things. As far as Shri Jawan Singh is concerned, what he wants is simply to institute an enquiry and place the report of the enquiry on the table of the House, as to whether our Municipal Boards are runing on the lines expected by the Government or there is something wrong.

I read in the paper that the Chairman of the Municipality at Sikar was removed by the Hon'ble Minister because of certain similar charges. Similarly only an enquiry is demanded. I hope the Hon'ble Minister will agree to it.

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, भरतपुर म्युनिसिपेलिटी की अध्यक्षता के विषय को लेकर बहुत कुछ बातें कहीं गई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में उनके साथ एक एक्सीडेन्ट हो गया था जिसकी वजह से उनको यहां के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और उस अर्से में वहां पर गैरहाजिरी की वजह से कुछ काम में कमी पड़ी, यह एक बात समझने की है। इसके अलावा जो शिकायतें उनके बारे में की जाती हैं, उसके मूल में एक कारण है और वह कारण है–आपसी विरोध और आपसी विरोध की वजह से कुछ मेम्बर उनसे नाराज हैं और उस नाराजगी के कारण उनके काम में खींचातान रहती है। फिर भी मैं बतलाना चाहूंगा कि म्युनिसिपेलिटी जो है, वह एक स्वायत्त शासन संस्था है और उसको अपने कानून-कायदों के अनुसार चलाने का और काम करने का अधिकार है। अगर वहां का चेयरमेन ठीक से काम नहीं करे तो वहां के सदस्यों को उन्हें हटाने का भी अधिकार है और इसके लिए राज्य से मांग करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें हाउस के सामने कही गई थीं, उन बातों के सम्बन्ध में जांच करवाऊंगा। (विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि) यदि वहां का काम ठीक नहीं पाया गया तो एक्शन भी लिया जायगा, लेकिन साथ में यह भी कह दूं कि बोलने वाले सदस्यों में से जो कि भरतपुर से आये हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है सीकर के चेयरमेन का। सीकर के चेयरमेन के उदाहरण के बारे में मैं इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि उनको हटाया नहीं गया है और उस उदाहरण की बेसिस पर वह कोई भरतपुर के चेयरमेन पर एक्शन लिवाना चाहें तो उचित नहीं है। यदि कोई शिकायत होगी तो सरकार अवश्य एक्शन लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक कटौती प्रस्ताव का सवाल था माननीय मन्त्रीजी ने अभी सदन के सामने उसका जवाब दिया है। इसके अलावा श्रम-विभाग के बारे में और देवस्थान के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका उत्तर मैं देना चाहता हूं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

श्रम-विभाग के बारे में भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि श्रम की गति हमारे यहां संतोषजनक नहीं है और इनके मामलों को निपटाने में काफी समय लग जाता है। इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने विचार उनके सामने जाहिर किये हैं और स्वयं उन्होंने बताया कि वे अच्छे विचार हैं। उनको इस बात का विश्वास होना चाहिये कि हम प्रयत्न करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि मजदूरों के झगड़ों के निपटारे के सम्बन्ध में जो अभी एक कानून बना हुआ है उसमें किस प्रकार का संशोधन किया जाय, वास्तव में यह सवाल है कि आज मजदूरों की समस्या का निपटारा किस प्रकार हो। मैं खुद ट्रेड यूनियेनिस्ट हूं। राजस्थान के मजदूरों में मैंने काम किया है। मैं जानता हूं कि इसमें कितनी मुश्किल पड़ती है। यदि आपस में झगड़ों का निपटारा नहीं हो जाता है तब तो कंसीलियेशन ऑफिसर निपटारा करेंगे; यदि नहीं करते हैं तो कंसीलियेशन बोर्ड के पास चला जाता है और उससे भी निपटारा नहीं होता है तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने चला जाता है, तो उसमें मजदूर को परेशानी का सामना करना पड़ता है; टेक्निकेलीटीज़ के कारण या और कई कारणों से देरी लगती है। यह मामला भारत सरकार के सामने भी है। इस बारे में भारत सरकार के श्रम-मंत्री श्री खंडूभाई देसाई भी विचार कर रहे हैं। कई कॉन्फ्रेन्सेज़ में भी इस बारे में विचार हुआ है कि मजदूरों के झगड़े को निपटाने के लिये इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है या कम्पलसरी आर्बिट्रेशन के जरिये निपटारा कर सकते हैं। इस बारे में एकसी अखिल भारतीय नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है और भारत सरकार जैसी नीति निर्धारित करेगी उसी के अनुसर चलना पड़ेगा। जब तक ऐसी नीति निर्धारित नहीं होती तब तक तो ट्रिब्यूनल के सामने जाना ही पड़ेगा।

भीलवाड़ा के कई मामले ट्रिब्यूनल के सामने हैं। दूसरी जगहों के मामले भी उसके सामने हैं। इस विषय में मैं अपने विचार जाहिर न करने के लिये मजबूर हूं। कई बातों में हमारी मजबूरी है, हम भारत सरकार के साथ विचार करेंगे। कई बार ट्रेड यूनियन्स के बारे में कॉन्फ्रेन्सेज हुई हैं और इन समस्याओं पर विचार हुआ है। अभी इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स बिल पार्लियामेन्ट के सामने है, उस पर पूर्ण रुप से विचार किया जायगा क्योंकि बिल उनके सामने है।

दूसरी बातें माननीय सदस्य ने कहीं माइका माइन्स के बारे में। माइका माइन्स का २ लाख ४६ हजार रुपयों का लीज़ दिया गया है। भारत सरकार की ओर से एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है। छोटे और बड़े दो तरह के श्रमिक संघ स्थापित हुए हैं, एक बहुत अच्छा अफसर अधिकारी के रूप में वहां रखा गया है। मैं समझता हूं कि माइका माइन्स वेलफेयर पर अच्छा खर्चा होगा।

इसके अलावा रुपनगढ़ से आनेवाले सदस्य ने किशनगढ़ के श्रमिक संघ के बारे में एतराज किया। हो सकता है, ऐसा ही हो। मैं कतई इन्कारी नहीं करता कि इसका उपयोग उतना नही होता, जितना कि होना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारी कई मजबूरियां हैं। किशनगढ़ में हमें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला जो उस कॉलोनी के नजदीक हो। हम इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि काफी अच्छा मैदान हो, उसमें कमरे भी हों ताकि उनमें इन्डोर और आउट डोर गेम्स का प्रबन्ध हो सके, सिनेमा का प्रबन्ध हो सके, मजदूरों को शिक्षण मिल सके, ऐसा भी प्रबन्ध हो सके।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

लेडी वेलफेयर ऑफिसर किशनगढ़ में पार्ट टाइम नहीं है, सिर्फ एडल्ट एजुकेशन के लिये पार्ट टाइम है। कुछ समय के लिये शिक्षा की व्यवस्था का कार्य उसके जिम्मे है। जैसा वे कहते हैं वहां उसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि केवल ५० मजदूर ही उससे फायदा उठाते है। तो में सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस विषय में मुझे खुद को दिलचस्पी है और जैसा कार्य-भार मुझ पर डाला गया है तो मैं जरूर सदन की बैठक समाप्त होने के बाद किशनगढ़ जाऊंगा और देखूंगा कि वास्तव में उपयोगी है या नहीं। चपरासी और चौकीदार के बारे में कहा गया कि उनकी जरूरत नहीं है। चौकीदार की जरूरत इसलिये है कि वहां पर कई तरह की चीजें हैं उनको संभाल कर रखना, उनकी देख-रेख करना व रात को भी उनकी संभाल करना जरूरी है। चपरासी की जरूरत पानी पिलाने आदि के लिये भी पड़ती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे लेबर से दिलचस्पी है, श्रम में दिलचस्पी है। मैं विशेष तौर से वहां जाकर जरूर उनको देखूंगा और वहां की व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करूंगा।

जहां तक दूसरे केन्द्रों का सवाल है, मैंने उनमें से कई देखे हैं और वहां पर व्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन ये चीजें मजदूरों में कार्य करने वालों पर भी ज्यादा मुनस्सर हैं। मजदूर उससे पूरा फायदा उठाना चाहें तो मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद माइका माइन्स वेलफेयर के बारे में कहा गया है कि कई प्रकार के एजेन्ट होते हैं; यदि उनके जरिये मामला आता है तो उनकी सुनवाई होती है, नहीं तो नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी नीति यह है कि हम ट्रेड यूनियन्स को स्थापित करें, मजदूरों को कलेक्टिव बारगेन का मौका दें और यदि नहीं मिले तो इंडिविज्युअली कानून के अनुसार काम करें। यदि मजदूर यूनियन ऑर्गेनाइज करेंगे और किसी चीज को सामने रखेंगे तो जितना ज्यादा मजबूत यूनियन होगा उतनी ज्यादा सुनवाई होगी। यदि उसको मजबूत नहीं कर सके तो यूनियन कमजोर होगा। एक-आध यूनियन ऑर्गेनाइज़ करके तो देखें कि मजदूरों को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल है। लीडरशिप लेना आसान नहीं है। यह कहा गया कि भीलवाड़ा मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि उनके एजेन्ट हैं। मैं मानता हूं कि मजदूरों के प्रतिनिधि की हैसियत से वे उनके एजेन्ट हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने का उनको अधिकार होगा। मजदूरों के बारे में मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि होने के नाते से उनकी सुनवाई होगी, व्यक्तिगत रूप से कोई सुनवाई नहीं होगी, वह हमेशा कमजोर रहेगा। मैं हमारे माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे भी मजदूरों का नेतृत्व करें और एक-आध मजदूरों की यूनियन संगठित करें तो हम भी देखें कि इन्होंने ऐसा किया।

देवस्थानों की रकम से कारखाने वगैरह खोलने के बारे में जो कहा गया उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि देवस्थानों की रकम एक ट्रस्ट फंड है और इन्डियन ट्रस्ट एक्ट के मातहत उस ट्रस्ट फंड की रकम को किसी व्यापार या नफे की

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता । इस रकम को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में ही लगाया जा सकता है । उस रकम से कारखाने खोलना या जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जावर माइन्स में इस रकम से कारखाना खोला जाय, ऐसा नहीं किया जा सकता । सरकार को अधिकार नहीं कि इन्डियन ट्रस्ट एक्ट के प्रोविज़न्स के बाहर जाकर ट्रस्ट फंड की इस राशि को कारखाने खोलने में लगायें । जो भी नेशनल सेविंग्स हैं उनमें और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यह रुपया लगाया जा सकता है, इसमें रुकावट नहीं आ सकती ।

तो मैं समझता हूं कि मेरे इस निवेदन से जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वे उन्हें वापिस लेंगे ।

श्री श्रीदास गोयल—सैंकड़ों देवस्थान हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, वहां पुजारी पूजा कैसे करें भगवान् की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर भगवान् उनको पैसा दिलाने में मदद नहीं करता तो उनकी पूजा किस काम में आयेगी ।

श्री श्रीदास गोयल—चार-पांच महिलाएं सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में मारी गईं थीं उनके बारे में आपने कुछ नहीं फरमाया ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—मैं समझता हूं कि सवाई माधोपुर का काम तो मेरे ऊपर छोड़ दिया जाता क्योंकि मैं वहां के मजदूरों का व और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं । क्या विथ्ड्रॉअल के बाद भी दुबारा मुकद्दमा चल सकता है, मैंने इसके बारे में पुलिस में भी कहा कि पुलिस केस बनता है या नहीं ? तो उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया है, कम्पेन्सेशन का मामला है उसको मैं देखूंगा ।

श्री श्रीदास गोयल—जिन अफसरों ने विथ्ड्राअल के लिये लिखा, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होकर एक्शन लिया जाना चाहिये कि क्यों उन्होंने विथ्ड्राअल के लिये लिखा ?

(बाधा-सूचक घंटी)

श्री श्रीदास गोयल—घंटी बजाने के साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत इम्पोटेन्ट प्रश्न है, इसका उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं होगा ।

श्री श्रीदास गोयल—डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के बारे में क्या फरमा रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने इस फाइल को देखा है और उसको देखने से इस बात का पता लगाना कि किसने विथ्ड्रॉअल के लिये लिखा, मुश्किल है; पता नहीं लगा । सरकार ने ऑर्डर दे

Page No.75

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

दिये। कौन से आदमी के खिलाफ इन्क्वायरी चलाई जाय जब कि सरकार की तरफ से विथड्रॉअल का ऑर्डर हो गया है ?

रावत श्री शंभूसिंह—भीलवाड़ा जिले में माइका माइन्स वेलफेयर पर कोई प्रकाश नहीं डाला ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरी श्रम-प्रगति की किताब निकली है, उसके ६ पेज पर पढ़ें तो पता चल जायगा।

श्री तेजमल बापना—जो मजदूर-समस्याओं के प्रति दिलचस्पी ली जा रही है उसको देखते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा ही नहीं तो वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो दूसरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोला था।

श्री उपाध्यक्ष—Not moved, right. श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, सरकार की ओर से जो उत्तर प्राप्त हुआ, उससे मुझे इस बात का तो संतोष रहा कि सरकार भरतपुर म्युनिसिपेलिटी के हिसाब में गडबड़ी के सिलसिले में जांच करने के लिये तैयार है, लेकिन एक बात की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वहां की म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर्स में आपस में फूट है, इसलिए ऐसी-वैसी बातें सदन के सामने आ जाती हैं व एक दूसरे भरतपुर जिले के माननीय सदस्य ने द्वेष के कारण ये तमान बातें सदन में लाने को कहा। मेरा भी निवेदन है कि चाहे आपसी फूट या द्वेष के कारण कोई भी बात घटी है, अगर वास्तविक रूप में वह सही है और सदन के सामने आई है या सरकार के सामने आती है तो सरकार का फर्ज है कि जांच कराये और वास्तविकता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करे। केवल यह कहना कि केवल फूट से यह हुआ है यह ठीक नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि माननीय सदस्य कटेला ने एक वक्तव्य दिया था। उनकी तरफ से हो सकता था कि जिनका दिग्दर्शन कुछ दिनों पहले सदन में किया था। पर फूट से किसी ने फायदा उठाया हो, ऐसी बात तो नहीं। इस ख्याल से हम चाहते हैं कि सरकार इसमें जांच कराये, कोई गलती हुई

[श्री जवानसिंह]

हो तो ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि जांच की जायगी, इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री बापना, श्री लक्ष्मण हीरात, श्री चांदमल मेहता और श्री जवानसिंह ने प्रस्तुत हुए हैं, क्या उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय ? क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तेजमल बापना—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—मैं भी इसी प्रकार अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या २४, मेजर हैड ४७-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मर्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ९०,०२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

क्या सदन की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

एक माननीय सदस्य—समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक प्रस्ताव इस सिलसिले में हुआ कि आज पिछले टाइम बैठक न रखी जावे और परसों २६ तारीख को १२ से ५ बजे तक रखी जावे, कल तो छुट्टी है ही। इस हालत में सभा की कार्यवाही आज एक बजे तक चलती रहेगी; आप समय भी चाहते हैं और बैठना भी नहीं चाहते, ये दोनों बातें आप नहीं कह सकते।

श्री मुकिलाल मोदी—कल आज के ४ से ८ बजे तक के लिये भी प्रोग्राम रखा था।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन और लोगों की आज यह सम्मति हुई कि आज तो एक बजे तक कार्यवाही रखी जावे और २६ तारीख को १२ बजे से ५ बजे तक रखा जावे।

श्री तेजमल बापना—आज १२॥ बजे तक का ही रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष—यह बोलने वालों की इच्छा पर है।

श्री चांदमल मेहता—हम तो शाम तक बैठने के लिये तैयार हैं।

रावत श्री शम्भूसिंह—२६ तारीख को सेटरडे है और हाउस की परम्परा के अनुसार सेटरडे को बैठक नहीं हुआ करती इसलिये स्वस्थ परम्परा तो यही होगी कि सेटरडे को बैठक नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष—यह स्वस्थ परम्परा कायम रखना मुश्किल है।

मांग संख्या ३२–विविध

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३२, मेजर हैड ५७-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ७०,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री उपाध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री छीतरलाल शर्मा।

श्री छीतरलाल शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है, "कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में से १००० रु० की कटौती की जावे (कि चीफ पंचायत आफिसर की पोस्ट कायम करने से कोई लाभ नहीं है, विचार करने हेतु)।"

(चारों ओर से 'सुनाई नहीं दे रहा है' की आवाज पर श्री छीतरलाल आगे के माइक पर आकर बोलते हैं।)

माननीय उपाध्यक्ष, लोकल सेल्फ के अन्दर में पंचायत और म्युनिसिपेलिटी-दोनों विभाग हैं। म्युनिसिपेलिटी और पंचायत के लिये सरकार की तरफ से अलग-अलग ऑफिसर मुकर्रर हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि दोनों ऑफिसरों को रखना फिजूल सी बात है उनको तनख्वाह सालाना ५७१७ रु० मिलते हैं और सालाना स्पेशल एलाउन्स १,२०० रुपये मिलते हैं; यानी १०० रु० माहवार स्पेशल एलाउन्स मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक ग्रेड मुकर्रर है तो फिर ऐसा क्यों? इसके साथ-साथ मोटर का खर्चा भी दिया जाता है और १०० रु० माहवार भत्ता भी जो दिया जाता है उसकी बचत होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ उनको खर्चा दिया जाता है वह खर्चा कम होना चाहिये। जहां तक इस विभाग के कार्य का सम्बन्ध है वह कार्य भी ठीक तरह से नहीं होता। सम्मेलन बुलाये जाते हैं वे सत्तारूढ़ पार्टी का प्रोपेगेन्डा करने के वास्ते बुलाये जाते है। इसके अलावा इन्सपेक्टरों के ग्रेड फिक्स होने पर भी ग्रेड्स न देकर उनके पेपर द[illegible] रखे हैं। जो निगरानियां हुई हैं उनको भी सालों तक गढ्ढे में रखा गया। आखिर नतीजा यह हुआ कि अब उनको तहसील पंचायतों में भेज दिया गया है कि वे उन निगरानियों को सुनें। मगर तहसील पंचायतों

[श्री छीतरलाल शर्मा]

को निगरानियों के सुनने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फैसला करने के लिये उनको वहां भेज दिया गया है। इसके अलावा पंचायत अधिकारी ने जहां-जहां पंचायतें हैं उनको कभी नहीं सम्भाला। दौरा जो किया जाता है वह सड़कों तक ही होता है और घी और चावल वगैरह लाने व भत्ता पकाने के लिये दौरा किया करते हैं। पूरी-पूरी निगरानी नहीं होने से पंचायतों की तरक्की नहीं हो रही है। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने पूरी पंचायतों को भी नहीं देखा है।

इसके अलावा मेरा यह अर्ज करना है कि विधान की तहत में जहां-जहां ग्राम पंचायतें बनी हैं उनमें नोमिनेटेड पंच रखे गये थे, मगर अब उनका समय समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी वे ही पंच वहां पर काम कर रहे हैं जब कि नोमिनेटेड पंचों का कानूनी समय समाप्त हो गया है। उनका कार्य अवैधानिक है, उनको कार्य करने से रोका जाना चाहिये। मैं बता सकता हूं कि चैता पंचायत बनी हुई है। वहां पर नोमिनेटेड पंच हैं। उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। मैंने उसके बारे में कई दफे लिखा मगर उनका काम करना भी अभी तक बन्द नहीं किया गया। बगैर किसी खास कारण के चुनावों का समय बढ़ाना और तहसील और पंचायतों से बगैर रूल्स के कार्य मनमाना कराया है व गांवों की जमीनों को बेचने के अधिकार पंचायतों को हो जाने का बरधन एलान कर दिया है जब कि उस सम्बन्ध में कोई कानून और रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। लगान से १० रु० सैकड़ा दिलाने की कार्यवाही नहीं कराई ताकि पंचायतों को फायदा होता और उससे उनकी तरक्की होती।

इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि यह बन्द होना चाहिये और मुझे उम्मीद है कि सदन इसको मंजूर करेगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the demand for grant No. XXXII, Major Head 57-Miscellaneous-in regard to charges in connection with Village Panchayat Act-be reduced by Re. 1/-(to discuss irregularities committed in Panchayat elections.)"

इस कट-मोशन के जरिये मैं यह बात साबित करूंगा कि पंचायतों में पक्षपात और ऊपर से जो उसमें हस्तक्षेप किया जाता है उसके कारण हमारी स्वस्थ पंचायतों में गड़बड़ पैदा हो जाती है। पंचायत आज के जमाने में एक ऐसी बुनियाद है जिस पर जनतन्त्रवाद खड़ा है। अगर आप इसके अन्दर गड़बड़ शुरू कर देंगे या पक्षपात शुरू कर देंगे तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि ऊपर की सरकार में कितना घोटाला होगा।

हमको यह चाहिए कि पंचायतों में कोई पार्टी शक्ल पर चुनाव न लड़े और जनता को आजादी के साथ अपने नुमायन्दे चुनने के लिए मौका दिया जाय। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि इसके अन्दर बड़े बड़े लोग और यहां तक कि मंत्री तक हाथ बंटाते हैं और अपने मित्रों को लाने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं। कई पंचायतों के चुनाव टाल दिये जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और बीत गये हैं लेकिन चुनाव हो नहीं

[महाराज श्री केसरीसिंह]

पाते। इसका कारण क्या है? हम सोचते हैं कि इसमें कोई रहस्य है। रहस्य यह है कि जहां तक वे नहीं समझते हैं कि उनका पक्ष मजबूत है, उनके आदमी नहीं आ जावेंगे, वे चुनाव नहीं होने देते हैं और गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। सर-पंच ने इस्तीफा दे दिया, मगर फिर भी सरकार चुनाव नहीं कराती है। इसका क्या कारण है? प्रश्न पूछे जाते हैं तो माननीय मंत्रीजी जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, वे तो पंचायत बैठकों से एक सर-पंच चुन लेते हैं और काम चलाते हैं। मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न की भी जांच करें कि सर-पंच काम करता रहे और जनता को वह बराबर बताता रहे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और मैं ही सर-पंच हूं। सर-पंच कापरेन ने २-२-५४ को इस्तीफा दिया था और उसका इस्तीफा ८-३-५४ को स्वीकार हो गया था। वहां आज तक सर-पंच का चुनाव नहीं हुआ। पंचायत चल रही है। सरकार से पूछते हैं कि जवाब दें कि बात क्या है, तो वही जवाब मिलता है। मैं थोड़ा सा यह बता दूं कि इसका कारण क्या है? मंत्रियों का जब दौरा होता है तो उनका स्वागत बड़ी धूमधाम और गाजे-बाजों से किया जाता है और जब वे पंचायतों के दफ्तरों में ले जाये जाते हैं तो वहां उनको गरम-गरम बादाम के हलुए खिलाये जाते हैं और सर-पंच वे ही काम करते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है और सरकार हमको कहती है कि ये काम नहीं कर रहे हैं; केवल गरम हलुओं के लिए ही उनको कायम रखना चाहती है। उसी सर-पंच को टिकिट दिया जाता है; वही सर-पंच फिर खड़ा होता है और किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो पाता है और १६ तारीख को इलेक्शन पास्टपोन कर दिया जाता है।

पंचायतों के रूल्स हैं वे बहुत ही डिफेक्टिव बने हुए हैं। बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, वहां बड़ी-बड़ी गलतियां होती हैं। इलेक्शन का वार्ड-वाइज सिस्टम रखा है। इससे जनता को बहुत परेशानी हो जाती है। बात-बात में उनको इधर से उधर आना पड़ता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं आपको १६ तारीख के चुनाव की बात कहूं कि यही कारण था चुनाव नहीं होने का। तीन दफा जनता को इधर-उधर बैठाया गया, कभी बाहर बैठाया, कभी कहीं, महिलायें काफी तादाद में थीं और काफी तादाद में होने के कारण भी परेशानियां थीं और आखिर चुनावों को स्थगित कर दिया। कापरेन की पंचायत की अवधि ११-८-५४ को खतम हो जाती है और आज आठ महीने हो गये हैं, चुनाव अब निश्चित हो रहे हैं; यह बताने पर भी अभी तक चुनाव नहीं हो पाये हैं, इस तरह से अवधि आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि स्वस्थ परम्परा इस स्वायत्त-शासन विभाग में कायम करने के लिए इलेक्शन की अवधि एक महीने पहले सरकार तय कर दे और अवधि समाप्त हो उसके सात रोज पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दे और इसी तरह से अवधि समाप्त होने के एक-दो रोज पहले चुनाव हो जावें और नई पंचायत कायम करें। यह नहीं होना चाहिए कि आठ महीने और बारह-बारह महीने तक चुनाव न हो। तो अवश्य इसकी व्यवस्था को सुधारना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री केसरीसिंहजी ने और श्री छीतरलालजी ने............

श्री उपाध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वे हैं नहीं, मैं मूव कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—औरों को नम्बर दें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जी केसरीसिंहजी ने और छीतरलालजी ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और सरकार के ध्यान में ला देना चाहता हूं कि हम प्रजातन्त्र राज्य सारे हिन्दुस्तान में बनाना चाहते हैं राजस्थान की सरकार भी राजस्थान में कल्याण-कारी राज्य बनाने का दावा करती है ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप कोई खास बात कर रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आज ग्राम पंचायतों के इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, जो तरीका काम में लाया गया है और लाया जा रहा है वह तरीका सरकार की दृष्टि से भी ठीक नहीं था । गजट में आये हुए आंकड़ों को फिर बदल देना, गजट में प्रकाशित हुए सेन्टरों को फिर बदल देना, गजट में जो गांव आने से छूट गये थे उनको सरकार को लिख कर देने पर भी बिल्कुल नहीं रखना, उनमें पंचायतें नहीं कायम करना, और जहां-जहां इलेक्शन्स हुए, जिन-जिन गांवों के अन्दर इलेक्शन्स हुए, उन-उन गांवों के अन्दर जाकर मिनिस्टरों के खुद के द्वारा उन वोटरों पर दबाव डालना, उन अफसरों पर दबाव डालना, यह पंचायतों के इलेक्शन्स का तरीका नहीं है । इस प्रकार की सरकार चलती नहीं है और फिर कहते हैं कि हम तो प्रजातन्त्र राज्य बनाना चाहते हैं । इलेक्शन्स में सरकार के उन अफसरों को, जिसके लिए श्री छीतरलालजी ने कटौती प्रस्ताव रखा है उन पंचायत ऑफिसर्स की कोई आवश्यकता नहीं है जब कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को म्युनिसिपेलिटी और पंचायतों के पावर्स दे दिये गये हैं । तो राजस्थान में भी कलेक्टर्स को वे पावर्स दे दिये जाय और चुनावों के वास्ते वे सारे पॉवर्स अपने काम में ले लेंगे तो फिर क्या जरूरत है लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेंट को रखने की और पंचायत डिपार्टमेन्ट को रखने की । वह इसलिये रख रखा है कि जो सरकार चलाते हैं वे समझते हैं कि राजस्थान में इन ग्राम पंचायतों को अपनी बनाकर पूरी तरह से लाभ पहुंचावे । लेकिन वे लाभ न पहुंचा करके, डिक्टेटरशाही करके, उसके आधार पर अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं ।

जहां पंचायतों के इलेक्शन होते हैं वहां एम० एल० ए० लोग जाकर हस्तक्षेप करते हैं और अपने अपने पक्ष के लोगों को जिताते हैं । इस तरह से प्रजातन्त्र जो शासन बताया गया है उसमें पंचायतों के इलेक्शन जो हो रहे हैं, वे पक्षपात से भरे हो रहे हैं ।

इसलिये मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जो भी मांग पंचायतों और लोकल बोडीज़ के लिये रखी गयी है, इसके लिए जितने रुपयों की मांग की गई है उनका सदुपयोग नहीं हो सकता जब तक कि इस बारे के पॉवर्स कलेक्टर्स को नहीं दे दिये जाते । कुछ पॉवर तो कलेक्टर को दिये गये हैं बाकी के पॉवर भी दे दिये जायं और इन दफ्तरों को खत्म किया जाय ताकि राजस्थान की गरीब जनता का भला हो सके ।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराजा साहब श्री केसरीसिंहजी ने पंचायती शासन के सिलसिले में जो कट-मोशन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द अर्ज कर देना चाहता हूं। पंचायतें जिस दृष्टि से और जिस कार्य के वास्ते कायम की गई हैं वर्तमान समय में जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को देखते हुए पंचायतों के कायम करने का जो उद्देश्य है वह नष्ट हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष— आप इस सम्बन्ध में कोई विशेष सूचना रखते हैं या विशेष प्रकार का सुझाव रखते हों तो कहिये।

रावत श्री शम्भूसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं कुछ विशेष बातों का ही उल्लेख करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, महात्मा गांधी ने पंचायती राज्य के जो स्वप्न देखे थे और आज जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं वे बिल्कुल उनके स्वप्न के विपरीत हैं। संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में हमने जो पंचयतों के उद्देश्य रखे हैं उनकी ओर वर्तमान चुनाव पद्धति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अग्रसर नहीं हो रहे हैं।

सबसे बड़ी खामी पंचायतों के चुनाव की यह है कि मतदाताओं की सूची तैयार नहीं होती और इसके बिना ही चुनाव कर लिये जाते हैं। जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि किसको मत देने का अधिकार हो गया। वार्ड तो जरूर बनाये गये हैं लेकिन उन वार्डों में मत देने का किन किन को अधिकार होगा यह मालूम नहीं रहता। मतदाताओं की सूची जब तक तैयार नहीं कर ली जाती तब तक यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि किसका वाजिब वोट है और किसका नावाजिब वोट है। इस वास्ते पंचायतों के चुनाव में सब से पहले मतदाताओं की सूची तैयार होनी चाहिये।

जो हमारी पंचायतों के चुनाव के नियम रहे हैं, इस पंचायत कानून की तहत में बने हैं; उसमें मतदाताओं की सूची तैयार करने का प्रोविजन नहीं है। ऐसी अवस्था में यह कैसे सम्भव है कि चुनाव सही तरीके से हो सके?

इसके अलावा दूसरे दूसरे भी जो तरीके हैं वे भी ठीक तरह से काम में नहीं लाये जाते, जिनकी वजह से पंचायतों का ठीक प्रकार से चुनाव नहीं होता।

हाल ही में सिरसी की जनता ने एक अपील भेजी थी। उसमें जो जो चुनाव में अनियमिततायें हुई थीं उनका काफी जिक्र है। इस प्रकार की अनियमितता होते हुए भी पंचायतें जिस उद्देश्य के लिये कायम की गई वह उद्देश्य हासिल नहीं हो सकता।

इसके अलावा पंचायतों की कार्यपद्धति के सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। पंचायतों में जो कार्य हो रहे हैं वे सन्तोषजनक नहीं हो रहे हैं। इसके लिए जगह जगह से शिकायतें आई हैं। इन सब की एक ही वजह है वह यह है कि इनका कन्ट्रोल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

पंचायतों को कॉन्जी हाउस के भी अधिकार दे दिये गये हैं। जो लोग मवेशी चुराकर ले जाते हैं वे क्या करते हैं। दूसरे दिन कॉन्जी हाउस में जाकर उसको दाखिल करा देते हैं, और बाद में वह कौडियों के मोल में खरीद लिये जाते हैं। न कोई उसका गजट में शाया होता है, न मालिक मवेशी को ही इस बात का पता चल पाता है और इस तरह से कौडियों के मूल्य में मवेशी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की कई शिकायतें सुनने में आती हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी और पंचायतों के चुनाव के बारे में जो लोगों में असन्तोष फैल रहा है उसको समाप्त करने की ओर कदम उठायेगी।

श्री ईश्वरीसिंह—चेयरमेन महोदय, मैं भी थोड़ो सो पंचायतां रे विषय में बोलणो चावूं हूं। पंचायतां के अन्दर किण किण प्रकार रो घोटालो हो रह्यो है आ म्हे बतानी चावूं हूं। इसो मालूम पड रह्यो है के पंचायतां को चुनाव मिनिस्टर ही करा रह्या है। मैं आप लोगां ने इण वास्ते एक मिसाल दे र बताऊं हूं। म्हारा सीकर ठिकाना में सरूडी, दोसा की ढाणी में पंचायत को चुनाव हुयो। उणा में कांग्रेस का आदमी जीत नहीं सक्या। इणी विषय में काल बलवीरसिंह कह्यो कि वठा को कलेक्टर राजपूत है, तहसीलदार राजपूत है, इण वास्ते वे राजपूतां को पक्ष करे हैं। वे इण वास्ते आ बात कही कि वो दो जगह सूं लड़ो हुयो वीरे वोट नहीं आ सक्या और सर-पंच दूसरो ही आदमी चुण लियो गयो। जद कलेक्टर उणारी बात नहीं मानी तब वे आय ने मिनिस्टर साहब ने कहने जो नतीजो निकल्यो हो वो गजट में हालतां ही शाया नहीं होणे दियो है। कम से कम गवर्नमेन्ट ने चाहिजे के जो कलेक्टर रा कागज है उणा में जो बातां है वे तो बता दी जावे। आ सरासर धांधली है एम० एल० ए० खुद मिनिस्टर सूं मिलने उण नतीजा ने रोक दियो हो।

कुआं के बारे में भी आ ही बात है। उण बारे में भी तहसीलदार रिपोर्ट करी है। उण कागज ने मंगाकर देख लो, आ कियां धांधली हो रही है।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के विषय में बूँदी से तशरीफ लाये हुए हमारे मित्र ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव के लिये जो पंचायत सर्कल कायम हुए हैं या जो कुछ भी बातें इस सम्बन्ध में आज तक हो रही हैं वे भी अव्यवस्थित ढंग से हुई हैं। यह अव्यवस्था आज हुई हो, ऐसा कहना भी गलत है। इस अव्यवस्था की पराकाष्ठा उस समय पहुंची जब कि पंचायतों के सर्कल बने थे। इसका कारण यह था कि जो पंचायतों के सर्कल बनाये गये, वे व्यक्ति विशेष की सहूलियत को देखते हुए बनाए गए हैं। यहां तक भी नौबत पहुंची थी कि किन्हीं व्यक्तियों को पंचायत में रिप्रेज़ेन्टेशन कम मिले, इस खातिर पंचायतों के जो वार्ड गांवों में बनाये गये वे इस प्रकार बनाये गये कि एक ही गांव में एक वार्ड में तो हजार आदमी हैं और दूसरे वार्ड के अन्दर १०० आदमी हैं। इस प्रकार से जो वार्ड का विभाजन हुआ है वह बहुत गलत हुआ है।

कल वाद-विवाद का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि जनरल इलेक्शन के समय में भी कई गांव रह गये थे अगर पंचायत के चुनाव में गांव रह जायं तो कोई

[श्री मानसिंह महार]

बड़ी बात नहीं है। वे इसके महत्व को बिना समझे ही इस प्रकार कह रहे थे क्योंकि वे चुनाव तो धारा सभा के लिये थे, अगर उसमें एक-दो गांव के लोगों ने वोट नहीं भी दिया तो जनता को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इस क्षेत्र से एक पर्टिकुलर आदमी जो आया, वह उस सारे इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, उससे उस गांव की जनता को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन अभी जो पंचायतें कायम हुई हैं उसमें गांव के गांव रह जाना इस बात का द्योतक है कि उस गांव की जनता को अपना काम करने में कोई लाभ नहीं। इसकी मिसाल मैं सदन के सामने जमुआ रामगढ़ की तहसील को लेकर रक्खूंगा। इस तहसील के अन्दर कुछ गांव ऐसे थे कि जिन्होंने पिछले आम चुनाव में मुझे सोलिट्री वोट दिये थे। इन गांवों को बेचारों को पंचायत इलेक्शन के अन्दर न तो किसी सेन्टर के नीचे लगाया गया और न वहां पर इन्डिपेन्डेन्ट पंचायतें कायम हुईं और एक बार मैंने इस बात की जांच के बतौर पंचायत ऑफिसर के दफ्तर में जाकर निवेदन किया कि जमुआ-रामगढ़ में आप क्या कर रहे हैं, जरा मुझे बताइये, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इन्सपेक्टर जमुआ-रामगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की राय के अनुसार काम करने के लिए कागजात लेकर चला गया है, इसलिये वे कागजात आपको नहीं बता सकते हैं। तो असेम्बली के एक मेम्बर को एक उतनी भी इम्पोर्टेन्स नहीं दी गई जितनी कि उस इलाके के एक कांग्रेसमेन को दी गई। माना कि हमारा कोई उस क्षेत्र से वास्ता ही न हो, हमें नहीं पूछा जाएगा, वहां के कांग्रेसमेन को पूछा जावेगा और उसी की राय से काम किया जावेगा। मैं जो बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। मन्त्री महोदय के सामने कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं कांग्रेस का एम०एल०ए० हूं, तो भी अगर कोई बेजा बात होती है तो मेरा फर्ज है कि उसको आपके सामने रखूं।

श्री कुम्भाराम आर्य—ये पंचायत ऑफिसर इसको सही नहीं बता रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—इसलिए कहता हूं कि यह बात हुई है और वास्तविक बात है। तो जमुआ-रामगढ़ में हमें कोई रिप्रेजेन्टेशन पंचायतों में नहीं दिया गया। चीफ पंचायत ऑफिसर ने अपनी जिन्दगी में झूंठ बोलने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है।

श्री कुम्भाराम आर्य—और मैं आपके लिए ऐसा कह दूंगा तो बहुत बुरा लगेगा आपको।

श्री मानसिंह महार—और इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वे इस बात से इन्कार कर रहे हैं तो फिर मेरे सामने आकर इन्कार करें। सदन के बाहर चल कर मैं गंगाजल का कलश उनके सिर पर धरूंगा। यह और बात है, इसलिये आपको मालूम नहीं है माननीय मन्त्री महोदय जी। मैं पहले की बात कह रहा हूं। इसलिए इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि जमुआ रामगढ़ तहसील में एक गांव है रौंडल, जिसने सोलिटरिली मुझे वोट दिया। दूसरा गांव है रोडा, जिसने ८०० वोट मुझे दिये। तीसरा गांव इरोद है, इसने भी इसी प्रकार मुझे अधिक वोट दिये। इन तीन-चार गांवों को पंचायत सर्कल्स में लगाया ही नहीं गया। इन गांवों में न पंचायत है और न किसी और पंचायत के नीचे ही इनको लगाया गया है। तो ये जो गांव रह गये हैं, उन पर दुबारा

[श्री मानसिंह महार]

विचार कर के वहां पंचायतें स्थापित की जावेंगी और उन गांवों की जो उपेक्षा की गई है उसको अब दूर किया जावेगा, ऐसा अगर माननीय पंचायत मन्त्री आश्वासन देंगे तो मैं मानूंगा कि कुछ न्याय हो रहा है। पर इस प्रकार की बातों में पड़कर वे अगर इससे डिनाई करते हैं और कहते हैं कि यह नहीं है, वह है तो इसको तो मानने को मैं तैयार नहीं हूं।

मैं यह कह दूं कि पंचायतों का होना राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अगर कोई शिकायत आवे तो उस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। खाली यह कह कर इस तरह की शिकायतों को टाल देना कि यह बात यों हो गई, त्यों हो गई; इस बात को मानने को मैं तैयार नहीं हूं। अगर मौजूदा सरकार ने या इसके पहले की सरकार ने कोई गलती या गलतियां की हैं तो सरकार का फर्ज है कि वह अपनी गलती महसूस करे और सुधारे। जनतन्त्र का तकाजा यही है और मैं साथ ही यह भी कहूं कि अगर सरकार ऐसी गलतियों को सुधारेगी तो हमारा भी ऐसी सरकार में विश्वास दिन दूना, रात चौगुना बढ़ेगा और जनता का भी विश्वास सरकार में बढ़ेगा। आज तो जनता जानती है कि इस प्रकार की कोरी बातें करने से कुछ नहीं होता। इसलिए एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि पंचायत विभाग के अफसर जो हैं, एक बार मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि यह पर्सनल टैक्स होते हैं, यह मैं मानता हूं। पर जहां पर नाकाबलियत की हद हो जाती है, इन्तहा दर्जे तक बात पहुँच जाती है, वहां कहना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे यहां के चीफ पंचायत ऑफिसर साहब ने एक बार जैसा कि कहा था जोधपुर के पंच सम्मेलन में, जब कि हमारे केन्द्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आये थे तो इन्होंने इस प्रकार से सम्बोधित करके कहा कि हमारे वित्त-मन्त्री चिन्तामणिजी देशमुख पधारे हैं। यह है हमारे चीफ पंचायत अफसर साहब की काबलियत और जनरल योग्यता। इसी प्रकार की बातें यहां राजस्थान की पंचायतों के चुनावों में भी होती हैं। इन चुनावों में भी उन्होंने इन्तहा दर्जे की गलतियां की हैं। इसमें काम ये करते हैं और बदनामी सरकार को उठानी पड़ती है, मन्त्रियों को उठानी पड़ती है। पर इसके जैसे जो हैं, वे हमारे यहां के पंचायत अफसर हैं, जिनको चीफ पंचायत ऑफिसर का डेज़िग्नेशन दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह चीफ पंचायत ऑफिसर महोदय कहां से लाकर इस गरीब राजस्थान पर थोप दिये गये हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह यहां के जाये-जन्मे हैं।

श्री मानसिंह महार—यह तो और भी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भी राजस्थान में पैदा होते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता।

श्री कुम्भाराम आर्य—कुछ लोग इसको सौभाग्य मानते हैं।

श्री मानसिंह महार—शायद उनका काम किसी तरह पक्षपात लेकर कर दिया होगा, इसलिए वे मानते होंगे। पर जो न्यायप्रिय आदमी हैं और चाहते हैं कि जनता का भला हो, वे हर्गिज इस बात को नहीं मानेंगे और यह बात तो कांग्रेस के एक मेरे और साथी श्री कस्तूरचन्दजी भी कह रहे थे कि यह पंचायत ऑफिसर तो एक विचित्र मूर्ति है। तो इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय...

रावत श्री शम्भूसिंह—Is the Hon'ble member speaking relevant ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हिन्दी में कहिये श्रीमान्‌जी ! आप महासभा के प्रेसिडेन्ट हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रक्खें।

श्री मानसिंह महार—हमारे हिन्दू महासभाई दोस्त को हमारी बात से नाराजी हुई है। वास्तविक बात को छोड़कर वे इस बात पर आये हैं, चूंकि ये भी मेवाड़ी हैं और पंचायत ऑफिसर भी मेवाड़ी हैं, तो पगड़ी का तो ख्याल आता ही है; सब कोई इसका ख्याल तो रखते ही हैं। अब इनको छोड़कर दूसरी दो-एक बातें और निवेदन करूंगा।

पंचायतों के चुनावों के लिए हमारे इलाके में जब वैराठ और कोटपूतली की तरफ चुनाव हो रहे थे उस समय, एक ढोली गांव है, छोटा सा गांव है, वहां पर पंचायतों के चुनाव हुए और वहां पर काफी लड़ाई-झगड़ा हुआ। लड़ाई-झगडा होने के बाद हमारे यहां की उपमन्त्राणी जी जो हैं वे वहां तशरीफ ले गईं तो वहां के गांव वालों को यह शिकायत हो गई कि राजस्थान की उपमन्त्राणी हमारे गांव में रात्रि के १२ बजे तशरीफ लाती हैं; मैंने कहा तुम्हें इसके लिए नाराज नहीं होना चाहिये। मन्त्रियों को फुर्सत दिन भर में नहीं मिलती तो रात्रि में आवें और समझावें कि लड़ाई-झगड़ा मत करो; तो इसमें अन्याय क्या हुआ ? तो आयन्दा हमारी उपमन्त्राणी जी को भी ध्यान रखना चाहिये कि रात्रि को जाने में लोगों में कानाफूसी होती है ख्वाहमख्वाह। तो ऐसा काम नहीं करेंगे तो शोभा बढ़ेगी सरकार की।

इसके अलावा पंचायतों में जो वार्ड बने हैं, गलत बने हैं। पंचायतें हमारे देश की जान हैं, इसलिये हमारे स्वायत्त-शासनमन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में कम से कम जो गांव रह गये हैं उनको रिप्रेजेन्टेशन देने की कोशिश करें। अगर चुनाव न करा सकें तो वहां नोमिनेटेड पंचायत बना दीजिये पर कुछ ढांचा तो बनाइये नहीं तो वे गांव वाटर बोर्ड की मदद से वंचित रह जावेंगे क्योंकि यह सारा काम भी पंचायतों के मार्फत होगा और भी दुनिया भर के काम हैं जो इन पंचायतों के माध्यम से होने वाले हैं और जिनका फायदा गांव वालों को मिलेगा, वह नहीं मिलेगा। वे गांव वहां के वहां पुराने जमाने पर रह जावेंगे। इसलिए जो कुछ लाभ देना चाहिये, वह अगर देना है तो इसका कुछ इन्तजाम वहां कर दीजिये। ये चन्द शब्द कह कर सरकार की ओर से पंचायतों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन्हें निष्पक्षता से सोच-समझ कर निवारण करना चाहिये।

एक गड़बड़ और की गई पंचायतों के चुनावों में कि जहां पर जिस स्थान पर तारीख निश्चित की गई वहां न मालूम क्या वजह हुई कि वह तारीख और स्थान, दोनों स्थगित कर दिये गये। जहां कि चुनाव की तारीख निश्चित की गई थी, न मालूम क्या वजह हुई, यह मैं नहीं कह सकता कि चुनाव कई जगह स्थगित करवा दिये। पंचायतों के चुनाव कराने वाले अधिकारी वहां पहुँच गये और पहुँचने के बाद आदेश पहुँच गया कि चुनाव नहीं किया जायगा, स्थगित किया जाता है। इस प्रकार से बहुत लोगों में गलत धारणा पैदा होती है, आपने चाहे अच्छी नीयत से काम किया हो। न आपने उन्हें कोई मौका दिया, न कोई ऐसी बात की। ५ दिन पहले का नोटिस देना चाहिए था। इन गावों के अन्दर पंचायतों के चुनाव में यह हुआ कि वहां के अधिकारियों ने धांधली की है। सरकारी अधिकारियों की जांच की जाय और उन १०-५ में से १-२ अफसरों को पनिशमेन्ट

[श्री मानसिंह महार]

दे दी गई तो वह एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेन्ट होगी। वह पनिशमेन्ट जो होगी वह सरकार के स्तर को ऊंचा उठायेगी। सरकार में कॉन्फीडेन्स बढ़ेगा। इससे फायदा ही फायदा है। इस प्रकार छोटे-मोटे १०-५ केसेज को सरकार ले लेगी तो सरकार की प्रतिष्ठा कुछ कम नहीं होगी। सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही और बढ़ने से जनता को लाभ होगा। ये दो-चार बातें हैं। मैं आशा करूंगा कि मन्त्री महोदय इन पर प्रकाश डालेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायतों के सिलसिले में काफी वाद-विवाद हुआ है। यह सब लोगों ने महसूस किया है कि वहां पर कैसी-कैसी कुछ गड़बड़ें हुई हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है कि पंचायतें ही हमारे देश को डेमोक्रेसी की ओर ले जाने का सही मार्ग है, उसको हम स्वस्थ रखें और पंचायतों के द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण करते हुए ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता को राहत पहुँचाएं, जो कि अब तक बर्बाद हो रहे थे और हर तरह के छोटे-बड़े मामले में कचहरियों की शरण लेते थे। वे आज पंचायतों के द्वारा अपने दुःख-दर्द की समस्या को हल कर लें क्योंकि एक्ट में कुछ दीवानी और फौजदारी अधिकार भी दे दिये गये गये हैं और कहीं-कहीं तो यह अनुभव करते हैं कि शायद उनका दुरुपयोग न हो जाय।

मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि हमारे यहां पंचायतों की बहुत बड़ी तादाद में जो कि ३३०० या ३४०० के करीब हैं, चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कहीं-कहीं गड़बड़ होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात जरूर अशोभनीय है कि किसी रिटर्निङ्ग अधिकारी ने नावाजिब हरकत की हो, वह भी डिपार्डमेन्टल हैड्स को ध्यान में रखना चाहिए और उनको इसलिए पनिशमेन्ट करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ करने का कोई साहस न करे।

यह निहायत जरूरी है कि बजट में कट-मोशन पर बोलते समय जो आंकड़े देखें हैं तो १९५४–५५ में डेढ़ लाख की ग्रान्ट इन एड पंचायतों के लिए स्वीकार की गई थी। बाद में जब रिवाइज्ड बजट हुआ तो उसे बढ़ाकर १,९२,००० रु० कर दिये गये। लेकिन मुझे दुःख और अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि विकास और दूसरी मदों में काफी रुपया खर्च किया जा रहा है, पुलिस पर दो करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। एजुकेशन और दूसरे डेवलपमेन्ट के काम में काफी सरफा देखते हैं, तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि डेढ़ लाख रुपयों से डेढ़ करोड़ की जनता में से करीब-करीब सवा करोड़ जनता के दुःख-दर्द को राहत पहुँचाने जा रहे हैं, अपने यहां पंचायत राज्य स्थापित करने जा रहे हैं। जब हम यह मानते हैं कि पंचायतें डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है तो इतनी छोटी सी रकम पंचायतों में कैसे खपायेंगे। यह एक ऐसा एमाउन्ट है जिसको देखकर मुझे असन्तोष ही नहीं होता है बल्कि दुःख होता है और दर्द के साथ मुझे निवेदन करना पड़ता है कि मन्त्री महोदय अगर आज नहीं तो जल्दी से जल्दी सम्भव हो तो कल ही, इस प्रकार की सप्लीमेन्ट्री मांग रखें तो जिस ढांचे को हम बना रहे हैं, जिस ढांचे को पूरा करना चाहते हैं और संसार को दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में किस प्रकार से सही पंचायत राज्य काम कर रहा है, उसको सही साबित कर सकेंगे। आर्थिक अभाव हो तो किस प्रकार से पंचायतें चलेंगी, किस तरह से वह काम करेंगी। पंचायतें हैं तो हमारा डेमोक्रेसी का दर्रा बचा रहेगा। उस डेमोक्रेसी को चलाना है तो येन-केन

[श्री श्रीदास गोयल]

प्रकारेण उसका खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट के लिए यह रकम बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए।

थोड़ा सा मैं और अर्ज करता हूं पंचायतों के सिलसिले में। जो कि माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर हैं, जो कि कल आम एम० एल० ए० थे, वे बहैसियत मिनिस्टर या व्यक्तिगत रूप में एक हिन्डौली गांव है मालपुरे में, उसमें गये। वहां एक गलती तो यह हुई कि असल में पंचायतें वहां कायम हुईं तो ५-७ नजदीक के गांवों का पंचायत केन्द्र उसको बना दिया जब कि नियम यह है कि सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम में पंचायत केन्द्र कायम कर दिया जाय। तो सबसे पहले उस क्षेत्र के पंचों को असन्तोष इस बात से रहा कि जहां तीन सौ या चार सौ की आबादी है वहां केन्द्र रखा जा रहा है जबकि जिस गांव की आबादी २-२॥ हजार की है उसको उससे विमुख रखा जाता है। वह एक ऐसी गलती है जो कि दुरुस्त करने के काबिल है यह एक ऐसी मिसाल है, जिस पर मन्त्री महोदय जरूर स्पष्टीकरण करेंगे, खास तौर से ऐसी हालत में कि जिस क्षेत्रमें मौजूदा मालमन्त्रीजी दिलचस्पी रखते हैं, उसके लिए खास तौर से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। तो वहां पर यह था कि दो-तीन दफा पंचायत के अधिकारी आये भी, लेकिन उन्होंने देखा कि यह वहां के वातावरण और विचारधारा के मुताबिक ठीक नहीं होगा और वे चले गये। इससे वहां कई कष्ट बढ़े। किसी कारण को लेकर ऐसी गलती करदी जाय और गलतियां हुई हैं, वे उनकी जानकारी में हुई होंगी समय-समय पर, दुबारा चुनाव भी हो गया तो डिपार्टमेन्ट को मालूम हुए बगैर नहीं रहा होगा तो उसकी इन्क्वायरी कराई जाय और आम लोगों के कष्टों को राहत मिले। चाहे वहां कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली हो, लेकिन न्याय जो है वह दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

ऐसी स्थिति में इस प्रकार की गड़बड़ें होती हैं तो उन लोगों को कहने का अवसर मिलता है। वे १० की १५ बढ़ाकर गड़बड़ें करते हैं और मुझ जैसा १० को ५ ही कहता है। ऐसी स्थिति में पंचायतों को सही रिप्रेज़ेन्टेशन मिले, और यही कारण है कि राजस्थान की किसी पार्टी ने पंचायतों के चुनाव करवाने के सिलसिले में कोई मेन्डेट नहीं जारी किया है, कोई प्रोग्राम नहीं दिया। इसलिए हमारी सरकार की भी इच्छा है और हम सब की भावना है कि असली रूप में पंचायत राज्य कायम करें और उस क्षेत्र में अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दें। इसलिए यह १॥ लाख रुपया बिल्कुल नाकाफी है। इस पर पुनर्विचार करके अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय उपाध्यक्षजी,......

(हणूतसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

श्री हनवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं श्री श्रीदास जी गोयल का समर्थन करते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि कर्मचारी जो पंचायत विभाग में हैं, उनको एक भी पैसा नहीं देना चाहिए और उनकी तनख्वाह बन्द कर देनी चाहिए जब तक कि वे पंचायतें जैसलमेर के पूरे इलाके में न खोल दें।

[श्री हनवन्तसिंह]

कई वक्त कहा गया कि जैसलमेर जिले में पंचायतें खोल दी जायं, मगर अभी तक कोई पंचायत नहीं खोली गई हैं। पंचायतों के द्वारा वाटर बोर्ड का पैसा खर्च होगा, तो हमारे वहां पंचायतें हैं ही नहीं तो वह खर्च कौन करेगा। वह कहा गया है कि हरेक जगह कमेटी मुकर्रर कर दी जायगी, पंचायतें खाल दी जायंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह डिपार्टमेंट इतना स्लेक है कि लोगों को बड़ी परेशानी है। इनको तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि सारे जैसलमेर इलाके में पंचायतें न खोली जायं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि अभी श्री मानसिंहजी महार ने आज अपने भाषण में यह बताया कि चीफ पंचायत ऑफिसर के लिए श्री कस्तूरचन्द ने यह कहा कि वह एक 'विचित्र मूर्ति' है तो इसके लिए मैं यह कहता हूं कि सदन के बाहर यह बात चल रही थी तो मैंने यही कहा कि मैं भी ५-७ गांवों का रिप्रेज़ेन्टेशन ले गया, लेकिन काम नहीं हो पाया। वे जागीरदाकरों की परम्परा रखते हैं। उन्होंने काम नहीं किया। मैंने नहीं कहा है कि वह 'विचित्र मूर्ति' हैं। मैं जरा सदन में अपना स्पष्टीकरण दे दूं कि श्री मानसिंहजी ने यह जो मेरे लिये कहा है कि मैंने 'विचित्र मूर्ति' कहा है, वह ठीक नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कई बार वाद-विवाद हुआ और आज कटौती प्रस्ताव भी आया है। मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें जरूर निवेदन करना चाहता हूं, उनमें से एक यह है कि चुनाव के सम्बन्ध में लोगों को शिकायत चल रही है। मैं यह चाहता हूं कि वे शिकायतें यदि ज्यादा हैं तो उनको हल करने का एक तरीका है कि यदि शिकायत करने वालों की शिकायत ठीक है तो फौरन इलेक्शन-पिटीशन दायर कर दें और गवर्नमेन्ट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत भेजें कि जितनी इलेक्शन पिटीशन्स उनके यहां आ गई हैं उनका फैसला एक महीने में निश्चित रूप से कर देना चाहिए, चाहे इसमें उनको स्पेशली एस. डी. ओ. से मदद लेनी पड़े। लेकिन वे फौरन तय हो जानी चाहिये। उनके तय होने से पंचायत विभाग पर और पंचायतों के कार्यकर्त्ताओं पर जो शक है वह साफ हो जायगा और गलतियां ठीक हो जायेंगी और शिकायत सही है तो इलेक्शन सेट असाइड हो जायगा और नये चुनाव हो जायेंगे।

मैं एक बात और कह दूं। यह बात मैं मानता हूं और निश्चित रूप से मानता हूं कि कई जगह गलतियां हुई हैं। एक गलती की ओर मैं भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो मोटी गलती है। एक आदमी सर-पंच के स्थान के लिये खड़ा हुआ। उसका नोमिनेशन इस बात पर रद्द कर दिया गया कि वह शुद्ध हिन्दी लिखना-पढ़ना नहीं जानता। वह आदमी मुझ से मिला। मैंने उससे कहा कि तुम ऑर्डर की कॉपी ले आओ। वह ऑर्डर की कॉपी लाया। ऑर्डर यह था वि वह शुद्ध हिन्दी लिख-पढ़ नहीं जानता, इसलिये नोमिनेशन रद्द किया जाता है। मैंने उसे डिक्टेशन लिखाया और किताब का रीडिंग कराया तो उसने अच्छी तरह से डिक्टेशन लिख लिया और पढ़ लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम काम क्या करते हो तो उसने कहा कि ३० साल तक मैं पटवारी रहा हूं। उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कह दिया कि तुम शुद्ध हिन्दी लिखना-पढ़ना नहीं जानते हो और उसका नोमिनेशन

[श्री गोपीलाल यादव]

पेपर खारिज कर दिया। उसकी हिम्मत यह लिखने की तो नहीं हुई कि यह पढ़ा-लिखा नहीं है; लेकिन यह कह दिया कि शुद्ध हिन्दी लिखना-पढ़ना नहीं जानता है। इस प्रकार की गलतियां करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि चीफ पंचायत ऑफिसर और माननीय मंत्रीजी निहायत ही ईमानदार आदमी हैं लेकिन उनको ऐसे आदमियों से बदनामी मिलती है। इसलिए मैं आपको सुझाव के रूप में तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब चुनाव हो, रिटर्निंग ऑफिसर को काफी सुविधाएं दी जानी चाहिए और उसका कैम्प होना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि हर गांव और हर पंचायत के वोटर्स की लिस्ट भविष्य में बना दी जावे; बगैर लिस्ट के रिटर्निंग ऑफिसर और लोकल लोगों द्वारा गलतियां की जा सकती हैं। यह ठीक चुनाव करने का तरीका है।

इसके बाद में मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव सारे राजस्थान में हुए हैं या होने वाले हैं लेकिन शिकायत थोड़े से गांवों के बारे में है। हजारों पंचायतों में १०-२० पंचायतों के बारे में शिकायतें हैं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यह जानता हूं कि चीफ पंचायत ऑफिसर ने ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से हमेशा काम करते रहे हैं और और सर्विसेज़ भी निहायत ईमानदारी से काम करती हैं और किया है। लेकिन जो बुरा है उसको बुरी निगाह से देखना चाहिए और उनके खिलाफ जांच करानी चाहिये। हमको भी जो बुराइयां हैं वे पंचायत ऑफिसर व मन्त्रीजी के नोटिस में लानी चाहिये ताकि वे उनकी जांच करायेंगे। मैं यही निवेदन करता हुआ कहूंगा कि आप कटौती प्रस्ताव को प्रेस नहीं करें।

श्री तेजमल बापना—उपाध्यक्ष महोदय, मांग सं० ३२–विविध में पंचायतों के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो रहा है उस पर मैं इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो काम ढिलाई से होता है उसको खत्म करके शीघ्रता से काम करना चाहिये। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के दो-एक पंचायतों के कागजात करीब दो साल से रुके हुए पड़े हैं, वहां पर डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति जाने की देर है। डिविजनल पंचायत ऑफिसर के यहां से कागजात ६ महीनों तक भी निकलते नहीं हैं। उक्त पंचायत ने करीब ६ महीने तक काम किया, इन्सपेक्टर ने उसका इन्सपेक्शन कर लिया, वह सेटिस्फाइड हो गया कि काम ठीक ढंग से चल रहा है, फिर भी उसको बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिये।

इसके बाद जो रिक्रीएशन का आइटम है मांग संख्या ३२ में, मैं उस पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बजट के जनरल डिस्कशन के समय मैंने इस बात पर जोर दिया था कि आज भारतवर्ष के नौजवानों की तन्दुरुस्ती और स्फूर्ति जितनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए स्पोर्ट्स और गेम्स को काफी प्रोत्साहन देना चाहिये। कन्ट्रीब्युशन के ऊपर जो खर्चा होगा वह बजट के पेज २५८ पर दिखाया गया है। उसमें म्युनिसिपेलिटीज़ को १३,५०,००० रु० और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को ४,५०,००० रु० देने का लिखा गया है। लेकिन स्पोर्ट्स एण्ड क्लब्स के लिए कुछ भी रकम नहीं रखी गई है, उसको ब्लेंक छोड़ दिया गया है। यह हमारी बहुत बड़ी रियासत के लिए शोभाजनक बात नहीं है। मैं आपका ध्यान २२ मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स के ऊपर दिलाना चाहूंगा। उसमें

[श्री तेजमल बापना]

खबर छपी है कि एक स्टेन्डिंग कमेटी ऑल इन्डिया स्पोर्ट्स एण्ड क्लब्स की बनी है। उसने ८ लाख रुपयों का बजट स्पोर्ट्स एण्ड गेम्स के लिए बनाया है। उसमें काफी सर्वे आइटम्स दिये हैं। उसको यदि माननीय मंत्रीजी पढेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने किसी किसी क्लब को तो पांच-पांच या दस-दस हजार रुपयों तक की ग्रान्ट दी है और किसी को तो ५० हजार तक की ग्रान्ट दी है। वे एक पर्मानेन्ट सेक्रेटेरियट भी दिल्ली में खोलने की सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान भी भारत का एक बड़ा प्रान्त है उसमें उसके लिए एक पैसा भी नहीं रखना शोभाजनक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिये कहीं से फन्ड प्रोवाइड किया जायगा। इन्टरनेशनल गेम्स में भारत की कई टीमें जायेंगी, लेकिन राजस्थान की कोई टीम नहीं जायगी। इतने बड़े स्टेट की उपेक्षा करना शोभाजनक बात नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय...

कुछ माननीय सदस्य—१ बज गया है, इसलिए अब समाप्त होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इनको तो बोल लेने दीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के सिलसिले में जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन पंचायत एक्ट में जो पिटीशन का प्रोविजन दिया उसके अन्तर्गत बहुत कम पिटीशन्स राजस्थान में हुई हैं। यह इस बात का द्योतक है कि पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं वे निष्पक्ष और ठीक ढंग से हुए हैं। जहां हजारों पंचायतों के चुनाव हों वहां यह नहीं कहा जा सकता कि सब ठीक रूप से ही होंगे और कोई खामी नहीं रहेगी। यदि कोई खामी रह भी गई तो रूल्स में अधिकार दिया गया है कि उसको ठीक कर लिया जाय। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने जो भाव व्यक्त किये हैं वे या तो हार चुके हैं या उनकी पार्टी हार चुकी है, इसलिये उन्होंने इस तरह के भाव व्यक्त करने की कोशिश की है।

पंचायत एक्ट के तहत तहसील पंचायत का प्रोविजन रखा है। ये पहले से ही राजस्थान में कायम थीं। लेकिन पंचायत एक्ट में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गई कि जिससे तहसील पंचायतों को कुछ आमदनी हो सके और उसके जरिये उनका वर्क ठीक ढंग से चल सके। कई जगह ऐसी पंचायतें कायम हुई हैं। जहां पर अफसरों, क्लर्कों और चपरासियों को तनख्वाह नहीं मिल सकी है। इसलिये मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तहसील पंचायतों को मदद दी जाय ताकि वे अपना काम ठीक ढंग से कर सकें।...

कुछ माननीय सदस्य—अब समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—आज इस डिमान्ड को खत्म करना है या कल?

कुछ माननीय सदस्य—आज तो अब छुट्टी दे दी जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—५–१० मिनट और बैठ जावें तो अच्छा हो। इस पर अभी बहुत सारे सदस्य बहस करना चाहते हैं क्या ५–१० मिनट में मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

कई माननीय सदस्य—१ बज गया है, आज आप छुट्टी दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी–Many Members of this House are to speak over this demand.

श्री उपाध्यक्ष—Too many have already spoken. The Minister-in-charge will make a reply now.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of privilege, sir, there are large number of Members in this House who have to have their say in this connection. They should not be deprived of their right. Therefore, the reply ef the Government should be reserved for the next sitting.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने सदस्य महोदयों ने कट-मोशन्स रक्खे हैं उनसे दुगुने से ज्यादा सदस्य अब तक बोल चुके हैं।

जन-लेखा समिति १९५४-५५ के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है। श्री द्वारकादास पुरोहित अब पी. ए. सी. की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

श्री द्वारकादास पुरोहित—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति, १९५४–५५ का प्रतिवेदन, एप्रोप्रियशन अकाउन्ट की ऑडिट रिपोर्ट सन् ५१–५२ पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, २६ को बारह बजे फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १ बज कर २ मिनिट पर दिनांक २६ मार्च, १९५५, शनिवार को मध्यान्ह १२ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २४–९–५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २१० का उत्तर देखिये)

District.	Dispensaries.	Hospitals.
1. Jodhpur.	1. Shergarh.	1. Jodhpur. 2. Bilara. 3. Phalodi.
2. Jaisalmer.		1. Jaisalmer.
3. Jalore.	1. Sanchore. 2. Bhinmal.	1. Jalore.
4. Barmer.	1. Balotera. 2. Shiv. 3. Siwana.	1. Barmer.
5. Nagaur.	1. Deedwana. 2. Nawa.	1. Nagaur. 2. Merta City. 3. Makarana.
6. Pali.	1. Desuri. 2. Jetaran. 3. Sumerpur.	1. Pali. 2. Bali. 3. Sojat.
7. Sirohi.		1. Sirohi.
8. Bikaner.		1. Bikaner.
9. Churu.		1. Churu. 2. Ratangarh.
10. Ganganagar.		1. Bhadara.
11. Udaipur.	1. Kherwara. 2. Salumber. 3. Bheem. 4. Kanor.	1. Udaipur. 2. Rajsamand.
12. Chittor.	1. Chhoti Sadri. 2. Kapasin.	1. Chittorgarh. 2. Pratapgarh. 3. Nimbahera.
13. Banswara.	1. Kushalgarh.	1. Banswara.
14. Dungarpur.		1. Dungarpur.

15. Bhilwara.	1, Asind.	1. Bhilwara.
	2. Oniabpura.	2. Shahpura,
	3. Jahajpura.	
	4. Gangapur.	
16. Kotah.	1, Rajmandi.	1. Kotah.
	2. Kishanganj.	2. Beraa.
	3. Seemlia.	3. Sironj.
	4. Mandava.	
	5. Chhtiabarod.	
	6. Sheemeli.	
	7. Sangod.	
17. Jhalawar.	1. Eklora.	1. Jhalawar.
	2. Bhawanimandi.	2. Khanpur.
18. Bundi.	1. Talora.	1. Bundi.
		2. Nehwa.
19, Tonk.	1. Todarai Singh.	1. Tonk.
	2. Diggi.	2. Malpura.
	3. Niwai.	
20. Jaipuri.	1. Jamuwa Ramgarh	1. Jaipur.
	2. Barath.	2. Dausa.
	3. Bandikui.	3. Kishangarh.
	4. Sikrai.	
	5. Phagi.	
	6. Bassi.	
	7. Chaksu.	
	8. Roopangarh.	
	9. Sarwar.	
	10. Narena.	
	11. Arain.	
	12. Phulera.	
21. Jhunjhunu.		1. Jhunjhunu.
		2. Khetri.
22. Sikar.	1. Thoi.	1. Sikar.
	2. Reengus.	2. Neemka Thana.
23. Sawai Madhopur.	1. Khandar.	1. Sawai Modhpur.
	2. Malarna.	2. Karouli.
	3. Bamanwas.	3. Hindon.
	4. Nadoti.	4. Gangapur.
	5. Mehwa.	
	6. Toda Bheem.	
	7. Bonli.	

	8. Surwal.	
	9. Lalsot.	
24. Alwar.	1 . Bansur.	1, Alwar.
	2. Laxmangarh.	2, Rajgarh.
	3. Thanagazi.	3, Tijara.
	4. Nalkhera.	4, Boehror.
	5. Ramgarh.	
	6. Govindgarh.	
	7. Khatumber.	
	8. Nundhan.	
	9. Kishsngarh.	
	10. Harsoli.	
	11. Kot-Kashim.	
25. Bharatpur.	1. Nagor.	1. Bharatpur.
	2, Nadwai.	2. Dholpur.
	3, Bari.	3. Deeg.
	4, Kumher.	4. Bayana.
	5, Pahari.	
	6, Vehain.	
Total=75		Total=54

Hospitals and Dispenceries run by district Board Ganganagar:—

1. Shriganganagar. H
2. Raisinghnagar. H
3. Hanumangarh. D
4. Vijainagar. D
5. Karanpur. D
6. Padanpur. D

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २१६ का उत्तर देखिये)

Name	Period of Suspension From	To
1. Mahesh Chandra	5-2-54	6-4-54
2. Raj Narain	8-6 54	3-1-55
3. Babulal	5-8-54	8-9-54
4. Radha Kishan	5-2-54	6-4-54
5. Bhanwar Singh	,,	,,
6. Chotu Ram	,,	,,
7. Fazulla Khan	,,	,,
8. Jagdish Ram	,,	,,
9. Hari Singh	12-5-54	,,
10. Radhey Shyam	8-5-54	26-5-54
11. Bhanwar Lal	10-5-54	24-9-54
12. Ram Sahai	26-5-54	21-9-54
13. Gopal Singh	13-6-54	28-8-54
14. Nathulal	31-5-54	27-8-54
15, Suraj Singh	24-4-54	1-8-54
16. Prabhat Ram	6-7-54	27-8-54
17. Ram Chandra	30-7-54	3-10-54
18. Bhagwan Ram	6-8-54	31-12-54
19. Dhan Singh	21-7-54	11-10-54
20. Laduram	2-8-54	13-8-54

21.	Satya Narain	20-8-54	6-1-55
22.	Brijmohan Lal	15-8-54	27-11-54
23.	Ghasi Khan	5-9-54	20-10-54
24.	Bijai Singh	27-3-54	4-9-54
25.	Sardar Singh	4-7-54	13-9-54
26.	Rameshwar	9-9-54	1-11-54
27.	Mool Singh	17-9-54	31-12-54
28.	Sohan Singh	27-9-54	18-10-54
29.	Kishan Chand	"	"
30.	Chotu Ram	20-9-54	27-1-55
31.	Gopal Singh	"	"
32.	Ram Pratap	9-10-54	23-10-54
33.	Jaswant Singh	"	"
34.	Moola Ram	27-7-54	1-9-54
35.	Narain Singh	26-9-54	1-11-54
36.	Bijai Lal	26-10-54	31-12-5
37.	Raghunath Singh	"	5-11-54
38.	Shamsher Khan	8-11-54	7-12-54
39.	Zorawar Khan	14-11-54	4-2-54
40.	Narain Singh	4-9-54	24-11-54
41.	Ramlal	"	"
42.	Gyarsa Ram	6-12-54	5-1-55
43.	Raghunath Ram	1-10-54	"
44.	Ramji Lal	29-12-54	18-1-55
45.	Ram Narain	3-2-55	9-2-55

(शेष नाम उपलब्ध नहीं हैं)

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

१. (४ । ए. टी. एम.) श्री चांदमल मेहता, स. वि (८७)–क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः–

१. सिंचाई विभाग में जिलेदारों की संख्या कितनी है ?

२. उनके हैड क्वार्टर्स कहां-कहां हैं ?

३. किस-किस जिलेदारों के अधीन कितने-कितने तालाब और कितनी-कितनी सिंचाई की भूमि है

४. किशनगढ़ में जिलेदार का हैड-क्वार्टर नहीं रखने का क्या कारण है ?

उत्तर

१. १५ हैं।

२. उपरोक्त जिलेदारों के हैड-क्वार्टर्स निम्न हैं—

१ दौसा, २ जयपुर, ३ मोजमाबाद, ४ टोरड़ी, ५ सरदार समंद, ६ पाली, ७ तखतगढ़, ८ शादुलशहर, ९ सूरतपुरा, १० धौलीपाल, ११ सुन्दरपुरा, १२ हनुमानगढ़, १३ संगरीया, १४ भादरा, १५ टीबी।

३. उपरोक्त जिलेदारों के पास निम्नलिखित तालाब तथा सिंचाई की भूमि हैः–

जिलेदारः-	संख्या तालाबः-	भूमिः-	
१. दौसा	५०	६०,०००	बीघा
२. जयपुर	१३५	५५,०००	,,
३. मोजमाबाद	१२०	५२,०००	,,
४. टोरड़ी	६०	५६,०००	,,
५. सरदारसमंद	१५	१,४४,०००	एकड़
६. पाली	१६	३८,६००	,,
७. तखतगढ़	२	१,१०,०००	,,

तथा ८ जिलेदार भाखरा की नहरों पर हैं, तालाबों पर नहीं। पिछले साल लगभग ४०,००० सिंचाई थी। आने वाले सालों में सिंचाई बढ़ती जायगी और साथ-साथ जिलेदारी की संख्या भी बढ़ती जावेगी।

४. किशनगढ़ में सिंचाई का कार्यक्रम है तथा किशनगढ़ ज़िलेदारी के मध्य में नहीं है।

२. (१२। एस. आर. एम.) श्री खेतसिंह, वि. स. (७२)–क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

१. राजस्थान बनने के बाद जोधपुर डिविजन में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कितने-कितने रुपये कब-कब कर्ज के रूप में दिये गये हैं ?

२. क्या यह सही है कि कर्जे की व्यवस्था अच्छी न होने से जोधपुर डिविजन की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मूवमेंट बिल्कुल डैड हो चुका है ?

३. राजस्थान बनने के बाद जोधपुर में कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किन-किन जिलों में कब-कब व किन-किन स्थानों पर खोली गई ?

४. रियासत जोधपुर के मर्ज होने के बाद से आज तक तहसील शेरगढ़ में किस-किस साल में कहां कहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई और उनको कितना-कितना कर्ज कब-कब दिया गया ?

उत्तर

१. राजस्थान बनने के बाद जोधपुर डिविजन में ७६ सहकारी समितियों को १,६४,४०१ रुपये कर्ज के रूप में दिये गये हैं जिनका विस्तृत विवरण सूची "क" सम्मिलित है।

२. नहीं।

३. चाही गई इत्तला सूची "ख" में दर्ज हैं।

४. शेरगढ़ तहसील में डाढनियां किसान क्रीम सेल और सप्लाई सोसाइटी २०।७।४६ में रजिस्टर्ड की गई, यह कर्ज की (credit) समिति नहीं है, अतः कर्ज देने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)